खण्ड-229, अंक-10
गुरूवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1884
(3 मई, 1962 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

---

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ७२५—७२६ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | ७२६—७५६ |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. | ७५६—७६० |
| श्री अध्यक्ष से भेंट करने के समय के सम्बन्ध में सूचना .. .. | ७६०—७६१ |
| १९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल) (स्वीकृत) .. .. | ७६१ |
| अनुदान संख्या १५—पुलिस (जारी) .. .. | ७६१— ८१४ |
| प्रादेशिक सरकार के मंहगाई भत्ते को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले भत्ते के समकक्ष लाने से सम्बद्ध १८ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न ४ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद .. | ८१४—८२० |
| नत्थियां .. .. .. .. .. | ८२०—८४० |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## बृहस्पतिवार, ३ मई, १९६२

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—३८२

अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती

कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भंदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (जौनपुर)
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री

जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड०ए० अहमद, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
बैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री

यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामआधार कनोजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
वियनलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री

शिवनार्थासिंह श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्त सिंह यूसुफ श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगंनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, भी उपस्थित थे।

---

## प्रश्नोत्तर

---

## बृहस्पतिवार, ३ मई, १९६२

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### जलालपुर डिस्पेन्सरी के प्रबन्ध की शिकायत

**१—श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जलालपुर डिस्पेन्सरी (अस्पताल), जिला फैजाबाद, के सेवा क्षेत्र में चेचक और हैजा का प्रकोप चल रहा है और उक्त अस्पताल में न कोई डाक्टर है और न मेडिकल आफिसर इंचार्ज ?

चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—जलालपुर डिस्पेन्सरी, जिला फैजाबाद, के सेवा क्षेत्र में मार्च, अप्रैल, १९६२ में चेचक (Small-pox) तथा हैजा के होने की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। उक्त काल में चिकन पाक्स (Chicken-pox) तथा खसरा (Measles) के कुछ केस उस क्षेत्र के निम्नलिखित ग्रामों में अवश्य हुये हैं :—

१—असरफपुर
२—मीरापुर
३—वाजिदपुर
४—हाजीपुर
५—साहापुर
६—जफरपुर

उक्त डिस्पेन्सरी में डाक्टर ने २४ अप्रैल, १९६२ को कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

**२—श्री जगदम्बाप्रसाद तथा श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर—सरकार उक्त अस्पताल के लिये डाक्टर कब तक भेजेगी ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन स्थानों पर स्माल पाक्स का प्रकोप है वहां पर माननीय मंत्री महोदय ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री धर्मसिंह—उस वक्त तो जो कुछ उपाय मेडिकली किये जा सकते थे, किये गये । टीके आदि भी लगवाये गये ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—स्माल पाक्स के संबंध में जो सूचना सरकार को मिली है उस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक उपचार वहां के लिये नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपकी सूचना है, उनकी सूचना यह नहीं है ।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—उक्त अस्पताल में कितने महीने तक डाक्टर नहीं रहा ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने निवेदन किया, अब तो वहां डाक्टर पहुंच गया है, वैसे १८ जुलाई, १९६१ से वहां डाक्टर नहीं था ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा चेचक का प्रकोप उत्तर प्रदेश में है ?

श्री धर्मसिंह—मुझे तो उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जहां तक चेचक का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेशीय सरकार की यह स्कीम है कि उसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है और आशा की जाती है कि उसमें काफी काम होगा ।

श्री गेंदासिंह—यह सूचना जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी है वह तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गयी होगी । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी मेहरबानी करेंगे कि वे इसकी जानकारी प्राप्त कर लें कि जो कुछ केन्द्रीय मंत्री जी ने कहा है वह किस आधार पर कहा है ताकि उसके अनुसार कार्यवाही हो सके ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—कदाचित् उन्होंने इस प्रकार के विचार इसलिये व्यक्त किये होंगे कि उनके क्षेत्र में, जहां से कि वे लोक सभा की सदस्या हैं, अभी चेचक काफी मात्रा में हो गयी थी । उस कारण शायद उन्होंने इस तरह की रायजनी कर दी हो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चेचक के रोग के मरीज होते हैं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चेचक की रोकथाम के लिये उनकी क्या योजना है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने निवेदन किया, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चेचक की रोकथाम के लिये योजना बनाई गयी है । इस प्रदेश ने जिस प्रकार मलेरिये की रोकथाम के लिये सरकार ने योजना बनाई थी, उसी तरह की यह भी योजना होगी, वैसे डिटेल्स तो बताना इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस तरह की योजना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह योजना समूचे प्रदेश में चालू होगी या प्रदेश के किसी विशेष क्षेत्र को चुनकर उसमें लागू की जायगी ?

श्री धर्मसिंह—अभी तो उस पर विचार कर रहे हैं कि उस को समस्त प्रदेश में लागू किया जाय या प्रदेश के कुछ भागों में, अभी हम किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं।

श्री रामायण—मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के जो स्नातक हैं उन को मान्यता देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेडिकल कौंसिल तो उन व्यक्तियों की संस्था है जो कि उस प्रोफेशन से संबंध रखते हैं, उसमें कुछ सरकार के भी प्रतिनिधि हैं इस माने में कि डायरेक्टर वगैरा इस कौंसिल के सदस्य हैं। वही निर्णय लिया करती है कि किस डिग्री को अपनाना चाहिये और किस को नहीं अपनाना चाहिये। अतः एक नागरिक के नाते मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और वह भी उस हालत में जब कि एलोपैथ्स इतनी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। तो उन व्यक्तियों को भी जिन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक की शिक्षा पाई है और जिन्हें थोड़ी मात्रा में भी आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दी गई है उन को भी लिया जाय, लेकिन अभी तक एलोपैथिक डिस्पेंन्सरीज खुली हैं और एलोपैथ कौन हो सकता है इस का रिकग्नीशन मेडिकल कौंसिल देती है, उस में सरकार का हाथ नहीं है। यही एक कारण रहा है जिस की वजह से यह हिन्दू विश्वविद्यालय के पढ़े हुये आयुर्वेदिक के स्नातक और पंडितगण उन अस्पतालों में अभी तक जगह नहीं पा रहे हैं।

श्री रामायण—श्रीमन्, इस संबंध में एक कमेटी यू० पी० सरकार ने बनाई थी जिस के चेयरमैन श्री के० सी० जोशी थे, तो उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री धर्मसिंह—उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, वह सरकार के विचाराधीन है, लेकिन उस के आंकड़े अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि काशी विश्वविद्यालय से जो आयुर्वेद के पंडित निकले हैं उन में से बहुत से स्वायत्त शासन विभाग के अस्पतालों में डाक्टर बनाकर रखे गये हैं ? यदि हां, तो अब वहां जहां कि डाक्टर नहीं हैं इस तरह के आदेश दिये जायेंगे कि उन को डाक्टर बनाकर रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष—वह तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि एक कौंसिल है जो इस का निर्णय करती है। आप यह सुझाव दे सकते हैं कि पुनः विचार करें।

श्री ऊदल—श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के अस्पतालों में इस प्रकार के डाक्टर रखे गये हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आप का मतलब यह है कि एलोपैथिक अस्पतालों में यह आयुर्वेदिक पंडित रखे गये हैं ?

श्री ऊदल—जी नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने अस्पतालों में आयुर्वेदिक शिक्षा प्राप्त लोगों को रखेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय से पास किये हुये आयुर्वेदिक पंडित प्रादेशिक सरकार द्वारा खोले हुये आयुर्वेदिक अस्पतालों में और स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चालित अस्पतालों में काम कर रहे हैं परन्तु वे एलोपैथिक अस्पतालों में काम नहीं कर रहे हैं। जो मेडिकल कौन्सिल ने बी० एम० बी० एस० उपाधि प्राप्त किये हुये लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एलोपैथिक अस्पतालों में काम करने के लिये इजाजत दी है उसका मुख्य कारण यह है कि यह बी०एम०बी०एस० के विद्यार्थी जो थे, जो अब डाक्टर हो गये हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बी० एम० बी० एस० के कोर्स में करीब-

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

करीब आधा कोर्स उन्होंने आधुनिक विज्ञान का भी ग्रहण किया था और इस कारण से उन्होंने यह डिस्टिंक्शन करके कि चूंकि बी०एम०बी०एस० कोर्स के डाक्टरों को आधुनिक विज्ञान को पढ़ने का अवसर मिला है। इसलिये उन्होंने इस उपाय को.मान्यता प्रदान की। तब उन्हें एलोपैथिक अस्पताल में रखने के लिये सरकार ने नियुक्त किया और पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमारी सिफारिश को माना। नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन की सहमति से होती हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्वालीफिकेशन्स इत्यादि मेडिकल कौन्सिल की सहमति से भेजी जाती हैं। तो आज महज प्रदेशीय सरकार के आदेश दे देने से यह काम बनने वाला नहीं है जब तक कि प्रदेशीय सरकार यह निर्णय न कर ले कि जो एलोपैथिक अस्पताल हैं वे आयुर्वेदिक अस्पतालों में परिवर्तित कर दिये जांय। यह प्रश्न विचारा जा सकता है, यद्यपि इस प्रश्न को विचारते समय जनता की इस ख्वाहिश को सामने रखना पड़ता है कि जहां जहां से अस्पताल खोलने की मांग आती है वह ज्यादातर यह आती है कि एलोपैथिक अस्पताल खोले जांय जहां वे डाक्टर नियुक्त रहें जो आधुनिक विज्ञान के पंडित हैं।

श्री रामायण —बी० एम० बी० एस० के विद्यार्थी आधुनिक मेडिकल साइंस की योग्यता रखते हैं। ठीक वही पाठ्यक्रम और उनसे सुपीरियर पाठ्यक्रम माडर्न मेडिसिन और सर्जरी का बनारस विश्वविद्यालय का है फिर उनको केवल आयुर्वेद के नाम पर अलग रखने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि यह तो विशेषज्ञ जो मिडेकल कौन्सिल के होते हैं वही दे सकते हैं, फैसला वह लेते हैं। मेरी अवश्य ख्वाहिश रही है और उनसे निवेदन भी रहा है कि जो माननीय सदस्य सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं वे उसे स्वीकार कर लें। परन्तु उन्होंने अभी तक उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और वह ऐसा मानते हैं कि बनारस यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी कदाचित् उतनी मात्रा में आधुनिक विज्ञान की शिक्षा नहीं पा सके हैं जितनी मात्रा में बी०एम०बी०एस० पास किये हुये डाक्टरों को आधुनिक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त रहा है।

## अल्मूनियम फैक्ट्री, जिला मिर्जापुर को रिहन्द बांध से बिजली देने का मुआहदा

**३—श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार (विद्युत् मंत्री) यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द डैम द्वारा उत्पादित बिजली को मिर्जापुर में स्थापित होने वाली अल्मूनियम फैक्ट्री को देने के संबंध में सरकार और उस फैक्ट्री के मालिकों के बीच कोई मुआहदा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

नियोजन उप-मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—जी हां। मुआहदे की एक† प्रति संलग्न है।

**४—श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मूनियम फैक्ट्री के मालिकों ने सरकार को यह सूचना दी है कि वह फैक्ट्री के उपयोग हेतु बिजली प्राप्त करने के लिये अपना निजी बिजली का प्लांट लगाना चाहते हैं ? यदि हां, तो उसके लिये क्या कारण बतलाये हैं ?

---

†प्रति छापी नहीं गई।

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**—हिन्दुस्तान अल्मूनियम कारपोरेशन ने अल्मूमियम के कारखाने की क्षमता बढ़ाने का विचार किया था और उसके लिये अधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती, अतः उन्होंने यह भी विचार किया था कि वे बिजली के उत्पादन के लिये एक प्लांट लगायेंगे ।

**श्री चन्द्रजीत**—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कांट्रेक्ट सरकार ने इस सम्बन्ध में किया था और जिसके क्लाज (१०) में रेट जो फिक्स किया गया है वह १.९९७७१७ नया पैसा पर किलोवाट है जब कि सरकार दूसरे स्थानों पर, बनारस, मिर्जापुर और इलाहाबाद में ४ से ५ नये पैसे देती है । तो इतने सस्ते रेट पर इस कम्पनी को बिजली देने का क्या कारण है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—मुझे दुख है यह सवाल बारबार इस सदन में लाया जाता है, ५,६ साल से बराबर इस सदन का समय लिया गया और आज फिर सूचना दी गई, यद्यपि मैं कहना चाहता हूं कि एक सवाल के बारबार इकट्ठा करने में और जवाब देने में काफी धन इस सदन का व्यय होता है । जो सवाल पूछा गया कि दूसरी जगह पर दूसरे रेट पर बी गई है वह इस बात से सिद्ध हो जाता है ।

**श्री चन्द्रजीत**—श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं । माननीय सदस्यों को हक हासिल है कि वे जिस सवाल को आवश्यक समझें, पूछें और शार्ट नोटिस क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसको आपने स्वीकार किया तथा मंत्री जी ने भी उत्तर देना स्वीकार किया । तो फिर इस प्रकार की भाषा रोषपूर्ण शब्दों में कहना कि इस प्रकार से व्यय होता है, यह मैं समझता हूं इस सदन का अपमान है । आप व्यवस्था दें कि मंत्री जी इस प्रकार से कह सकते हैं ?

**श्री उग्रसेन**—माननीय मुख्य मंत्री अपने शब्द वापस लें ।

**श्री अध्यक्ष**—यह ठीक है कि सवाल का जवाब देते समय उपयुक्त और उचित यही है कि प्रश्न का उत्तर दिया जाय और आलोचना न की जाय ।

**श्री चन्द्रजीत**—मैंने यह प्रश्न किया जो ऐग्रीमेंट सरकार ने इस कम्पनी के साथ किया है उसके क्लाज (१०) के मुताबिक जो बिजली इस कम्पनी को दी जायगी वह पर किलोवाट, १.९९७७१७ नये पैसे के हिसाब से दी जायगी जब कि प्रदेश में दूसरी जगह के लाइसेंसीज को ४ और ५ नये पैसे पर दी जा रही है । तो इस कम्पनी को इतने सस्ते रेट पर क्यों बिजली देना स्वीकार किया ?

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**—मैं समझता हूं माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है । यह जो रेट हमने दिये हैं यह यहां है पिपरी पर और इस रेट में हमको काफी मुनाफा भी होता है । जब कि और दूसरी जगह जो रेट दिये हैं वह नो प्राफिट नो लास पर हैं । मैं आपको बता दूं हमने जिस रेट पर अल्मूनियम कारपोरेशन को बिजली दी है वह १७५ रुपया किलोवाट पर ईयर पड़ता है । जब कि मेरे पास ऐग्रीमेंट्स हैं कि जो दूसरी स्टेट्स ने अल्मूनियम के कारखाने के साथ किये हैं । उड़ीसा सरकार ने १२० रुपया पर किलोवाट पर बिजली दी है । केरल सरकार ने १०५ रुपये पर किलोवाट का ऐग्रीमेंट किया है । अगले सवाल में हमने यह भी बताया है कि मिर्जापुर में या दूसरी जगह हमारा रेट क्या है । मैंने जैसा पहले बताया नो प्राफिट नो लास पर बिजली दी है जब कि बिड़ला जी से एग्रीमेंट में हमको काफी मुनाफा है । तो जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छुपा कर रखा गया हो । जिस रोज हमारा ऐग्रीमेंट हुआ था उसके दूसरे रोज वह प्रेस में छाप दिया गया था ।

**श्री अध्यक्ष**—बस कीजिये, अब आप बैठिये ।

**श्री चन्द्रजीत**—जो उन्होंने कहा कि उनके पास एमाउन्ट भी है कि कितना मुनाफा होता है। तो मंत्री जी बतायें कि बिजली उत्पादन की लागत क्या होगी और जो बिजली इस कम्पनी को दी जा रही है उसमें सरकार को कितना मुनाफा होने जा रहा है किस रेट से ?

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**—हमारी जो कास्ट आफ प्रोडक्शन रिहन्द बिजली की है वह १४५ रुपये किलोवाट पर ईयर आता है और इनको दे रहे हैं १७५ रुपये किलोवाट पर ईयर।

**श्री चन्द्रजीत**—मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर में जो कहा गया है कि बिड़ला जी ने यह कहा है कि चूंकि कारखाने के उत्पादन को दुगना करना चाहते हैं इसलिये अपना प्लांट लगाना चाहते हैं। जब कि यह जो कांट्रेक्ट हुआ है उसके सेक्शन ४ में यह कहा गया है :— "The Company shall take electrical energy from the Governor and the Governor undertakes to supply the same energy in the manner herein understated for a period of 25 years commencing from the date" तो जब कि २५ साल के लिये कम्पनी को लेनी पड़ेगी तो क्या सरकार इस ऐग्रीमेंट के मुताबिक उनको मजबूर करेगी कि २५ साल तक वह रिहन्द से उत्पादित बिजली को लें और दूसरा प्लांट अपना न लगायें ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—अगर वह अपना प्लांट लगा लें और केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन मंजूरी दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं क्योंकि इस प्रदेश को बहुत बिजली की आवश्यकता है और अधिक बिजली पैदा करने के बहुत साधनों की आवश्यकता है। इसलिये यदि कोई व्यक्ति अपने साधनों से बिजली अधिक मात्रा में पैदा करेगा और हमसे बिजली न ले और उसके अलावा हमको और बिजली दे तो यह सरकार उस व्यक्ति से बिजली लेने के लिये तैयार है।

**श्री चन्द्रजीत**—मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि बिजली की जो नोटिस बिड़ला जी को दी गई थी ३ महीने पहले कि हमारी बिजली तैयार होना शुरू हो गई है, लेकिन उनकी कम्पनी तैयार नहीं हुई जिससे सरकार को लाखों रुपया का घाटा हुआ है और फिर अब सरकार बिड़ला जी को इजाजत देने जा रही है प्लांट लगाने के लिये। तो सरकार उस घाटे को कैसे पूरा करेगी ? क्यों सरकार ने उनकी इच्छा पर छोड़ा ?

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**—शायद आपने पढ़ा होगा उसमें यह था कि हमारे नोटिस देने के १ वर्ष तक वह हमको उतना ही पैसा देंगे जितनी बिजली कनज्यूम करेंगे। तो उसके हिसाब से वह बिजली लेते जा रहे हैं। जहां तक आगे की बात है वह प्रश्न अभी उठता नहीं क्योंकि अभी इजाजत नहीं मिली है और अगर बिजली का कारखाना लगायेंगे भी तो ७,८ साल लग जायेंगे। तब तक हमारी बिजली दूसरी जगह चली जायगी।

**श्री उग्रसेन**—मंत्री जी बतायेंगे कि उस समझौते के अनुसार बिड़ला जी को अभी तक कितना पैसा रिहन्द से उत्पादित बिजली इस्तेमाल करने के लिये उस समझौते के अनुसार दे देना चाहिये ?

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**—मैं समझा नहीं। समझौते में यह है कि जब नोटिस देंगे उसके तीन महीने बाद बिजली लेना प्रारम्भ करेंगे और १ वर्ष तक उतनी बिजली के पैसे देंगे जितनी बिजली वह खर्च कर रहे हैं। तो कोई पैसा उनके पास बाकी नहीं है, जितनी बिजली खर्च कर रहे हैं उसके पैसे हमको साथ-साथ देते जा रहे हैं।

## लखनऊ में बुर्कापोश पुलिस

**५—कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि हाल ही में लखनऊ नगर में छात्राओं को छेड़ने वाले मजनू छात्रों की संख्या वृद्धि देख कर उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिये किसी बुर्कापोश (बेगम) पुलिस का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इसमें कहां तक सफलता मिली तथा कितने अपराधी अब तक पकड़े जा सके ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—किसी बुर्कापोश पुलिस का निर्माण नहीं किया गया है, परन्तु असामाजिक तत्वों की हरकतों को रोकने के लिये कुछ पुलिस जनों को बुर्का पहना कर भेजने का एक तरीका अपनाया गया जिससे लोग लड़कियों तथा स्त्रियों से छेड़खानी करने में डरें तथा ऐसा करने में सफलतापूर्वक पकड़े जा सकें। इसमें काफी सफलता मिली और लगभग २४ व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं।

कुंवर श्रीपाल—मंत्री जी बतायेंगे कि जो २४ आदमी पकड़े गये यह बुर्का पहने हुये सिपाहियों को छेड़ रहे थे या लड़कियों को छेड़ रहे थे जब पकड़े गये ?

श्री नवलकिशोर—यह जो पकड़े गये हैं लड़कियों और स्त्रियों को छेड़ते हुए पकड़े गये जिसमें बुर्का पहने और गैर बुर्का पहने सभी सम्मिलित थीं। हो सकता है कि किसी सिपाही को भी बुर्का पहने हुये छेड़ दिया गया हो।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—अगर बुर्का पुलिस इतनी कामयाब पुलिस है तो क्या सारे सूबे में इसी प्रकार की बुर्का पुलिस की योजना बनाने की सरकार कृपा करेगी ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अगर सब एम०एल०एज० तैयार हो जायं तो सारे सूबे को हम बुर्का पहना देंगे।

## खलीलाबाद थाने में बिक्री-कर इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट

**६—श्री नरसिंहनारायण—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के खलीलाबाद में मार्च के द्वितीय सप्ताह में जिला बिक्री-कर अधिकारी को कार्य करते समय किसी व्यक्ति ने पीटा था जिसकी रपट उक्त अधिकारी ने खलीलाबाद थाने में की ? यदि हां, तो वह रपट क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नवलकिशोर—घटना इस प्रकार है कि दिनांक १७-३-६२ को खलीलाबाद में एक दूकान का सर्वेक्षण करते समय, दूकानदार ने जिला बिक्री-कर अधिकारी की बुशशर्ट पकड़ कर खींच लिया, उन्हें मारने की धमकी दी और इस तरह सरकारी काम में अड़चन पैदा की। उक्त अधिकारी ने थाने पर इस संबंध में एक रिपोर्ट लिखाई जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इस रिपोर्ट पर दूकानदार के विरुद्ध धारा ३५३ भा०दं० वि० का मुकदमा कायम किया गया और तफतीश समाप्त कर चार्जशीट लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे ८२० पर)

श्री नरसिंहनारायण—क्या गृह मंत्री बतलायेंगे कि इस घटना के दूसरे दिन सेल्स टैक्स आफिसर के विरुद्ध उपर्युक्त बनिये ने जिसकी दूकान पर वह जांच करने गये थे, कोई रपट दी थी ?

श्री नवलकिशोर—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण—अभियुक्त के खिलाफ जो रपट दी गयी है थाने में उसे अभी तक गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—मैंने कहा कि उस पर ३५३ की कार्यवाही हो रही है। उसको अभी तक सम्भवतः गिरफ्तार नहीं किया गया है।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## करमही ग्राम में गिरफ्तारियां

*१—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया के एक विधायक द्वारा करमही ग्राम, थाना हाटा, जिला देवरिया में २२/२३ मार्च की रात में डकैती पड़ने की सूचना दी गयी है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उस डकैती का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री नवलकशोर—जी हां।

इस सम्बन्ध में जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम करमही में ऐसी कोई डकैती नहीं पड़ी।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री चन्द्रबली—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २२/२३ तारीख की डकैती के सिलसिले में जैसा कि पत्र में लिखा है पुलिस कप्तान, देवरिया, जिलाधीश, देवरिया और परगनाधीश तहसील हाटा को भी जनता की ओर से कोई तार द्वारा सूचना मिली थी ?

श्री नवलकिशोर—मेरे पास तो कोई सूचना है नहीं कि उन्होंने कोई सूचना एस०डी०एम० को भेजी है। जो हमसे सवाल पूछा गया उसका उत्तर हमने दिया।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री नवलकिशोर—इस सम्बन्ध में अब तक करीब १५ व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं ?

श्री उग्रसेन—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये व्यक्ति किन धाराओं में पकड़े गये हैं ?

श्री नवलकिशोर—ये व्यक्ति धारा १४८, १४९, ३३३ और ३०७ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पकड़े गये हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो लोग डकैती करने गये थे उनमें हाटा थाने के सिपाही भी थे ?

श्री नवलकिशोर—मैंने पहले ही कह दिया था कि डकैती करने कोई नहीं गया था। असल वाकया यह है कि दो साहबान दफा ११० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने वाले थे और जब ये सिपाही गये तो उन्होंने इनको पीटा। इसके ऊपर वे गिरफ्तार किये गये और उन पर मुकदमा कायम किया गया।

श्री चन्द्रबली—जिनको दफा ११० में गिरफ्तार करने गये थे क्या उन पर पहले से ११० का मुकदमा चल रहा है ?

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, मेरे कहने में कुछ गलती हो गयी। दफा ११० का मुकदमा चल रहा था और इन व्यक्तियों से सिपाहियों ने कहा था कि आप इसकी पैरवी मत कीजिये और इसके लिये जब वे गये तो उन्होंने पीटा।

श्री उग्रसेन—इस बात को देखते हुये कि घटना बहुत गम्भीर है और माननीय मंत्री जी के उत्तर से मालूम होता है कि वे बहुत कम जानकारी रखते हैं, तो क्या विशेष जानकारी हासिल कर के वे उसे सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसकी कोई जरूरत नहीं है।

## मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को रिहन्द बांध से बिजली देने की दर

*२—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा श्री गयाप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि रिहन्द बांध की बनी बिजली कितने दर पर सरकार मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को देने जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—रिहन्द बांध से बनी बिजली मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को ३१ मई, १९६२ तक ५ न० पै० प्रति यूनिट की दर से दी जा रही है। १ जून, १९६२ से लागू होने वाली दरें नत्थी किये व्योरे में दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२१–८२३ पर)

*३—श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री गया प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि इस बिजली की उत्पादन लागत प्रति यूनिट कितनी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बिजली की लागत कई बातों पर निर्भर है जैसे डिमांड का लोड फैक्टर तथा पावर फैक्टर, ट्रांसमिशन लाइनों तथा सब–स्टेशनों का खर्चा और ट्रांसमिशन तथा ट्रांसफारमेशन में होने वाली विद्युत् शक्ति की स्वाभाविक क्षति। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो रिहन्द ग्रिड टैरिफ बनाई है वह ऐसी है कि उसमें सरकार को न कोई लाभ ही होता है न घाटा। प्रश्न २ के उत्तर के साथ नत्थी में जो रेट है वही बिजली की लागत भी है।

*४—श्री यादवेन्द्रदत्त तथा श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी रिहन्द से प्राप्त बिजली उपभोक्ताओं को किस दर पर दने जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बिजली कम्पनी द्वारा प्रचलित दरें नत्थी किये व्योरे में दी हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२१–८२३ पर)

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को सरकार ५ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देती है और यह कम्पनी आम जनता को ३२ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देती है, तो इतना फर्क क्यों है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर सुना नहीं। ५ नये पैसे ३१ मई तक का रेट था और वह इसलिये था कि हम बिजली बनाते थे, उस वक्त उनको दे दी। अब जो रेट फिक्स किया है वह जो मैंने उत्तर दिया उसमें नोटेड है। वह ५ नये पैसे नहीं है, उससे ज्यादा है।

श्री ऊदल—नियमों के हिसाब से कोई भी लाइसेन्सी ६ परसट से अधिक मनाफा नहीं ले सकता। यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि मिर्जापुर की लाइसेन्सी कम्पनी वहां की जनता से बहुत ज्यादा मुनाफा ले रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जांच हम करते रहते हैं। अब भी उनका मुनाफा ज्यादा नहीं है। उनकी कुछ लाइन्स पुरानी हैं और उन्होंने कहा है कि वे अपनी ट्रांसमिशन लाइन सुधार रहे हैं। इसके बाद रेट कम करेंगे। बहरहाल हम जांच कर लेंगे और देखेंगे कि ६ प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा न लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी इस रिहन्द बांध की बिजली के संबंध में कोई व्हाइट पेपर प्रस्तुत करेंगे जिससे माननीय सदस्यों को जानकारी हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जब हमारा बजट पेश होगा तो हमारा ऐसा इरादा है कि इसके बारे में विस्तार से सदन के लोगों को बताया जाय।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

## सचिवालय के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों व अधिकारियों को एक्सटेन्शन

*१—श्री बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित), श्री बाबूलाल (अनुपस्थित) (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में सरकारी सचिवालय के कौन-कौन अफसर व कर्मचारी ५५ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के कारण सेवा से निवृत्त हुये, किन-किन को Extension दिया गया तथा Extension देने के क्या-क्या कारण थे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—कृपया वांछित सूचना के लिये संलग्न तालिका को देखें। तालिका में दिये गये अफसरों व कर्मचारियों में से केवल निम्नांकित ४ व्यक्तियों को प्रशासकीय कारणों के आधार पर एवं Public Interest में Extension दिया गया था :—

१—श्री रूप चन्द्र, एच० जे० एस० सचिव, विधान मंडल,
२—श्री आर० पी० वर्मा, एच० जे० एस०, सचिव, विधायिका विभाग,
३—श्री देवीशंकर, केयर टेकर।
४—श्री बद्रीप्रसाद त्रिवेदी, अनुवादक।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२४–८२५ पर)

*२—श्री बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह (अनुपस्थित), श्री बाबू लाल (अनुपस्थित) तथा श्री बेदराम (अनुपस्थित)—१ जनवरी, १९६२ को सरकारी सचिवालय में कौन-कौन से स्थान रिक्त हो गये उनमें से अब तक कौन-कौन भरे जा चुके हैं तथा कौन-कौन खाली पड़े हैं अथवा समाप्त किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—संलग्न तालिका में दिखलाये गये व्यक्तियों के स्थान पहली जनवरी, १९६२ को खाली हुए। इनमें से सचिव, विधायिका विभाग का पद जिस पर श्री आर० पी० वर्मा। एच० जे० एस०, कार्य कर रहे थे, १ मार्च, १९६२ से सचिव, न्याय विभाग के पद में मिला दिया गया। शेष सभी पद भर दिये गये हैं। केवल क्रमांक ६, ७ व ८ पर दिखलाये गये अनुसचिव के पदों के स्थान पर ३ सहायक सचिव नियुक्त किये गये हैं।

(देखिय नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८२४–८२५ पर)

*३—श्री बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री बाबूलाल तथा (अनुपस्थित) श्री बेदराम (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकर्मचारियों की सेवा निवृत्ति काल ५८ से ५५ वर्ष कर दिये जाने से राजकीय कोष पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न में पूछी गई सूचना को एकत्रित करने में बहुत सी क्रियात्मक कठिनाइयां हैं। इसमें जो श्रम तथा समय लगेगा, वह इस सूचना की उपादेयता के अनुपात में कहीं अधिक होगा।

## प्राविधिक प्रशिक्षण

*४—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली), श्री बेदराम तथा श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या प्रदेशीय सरकार ने प्राविधिक प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई है? अगर हां, तो वह क्या है तथा उस पर कितना खर्चा होगा?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—यू० पी० गवर्नमेंट की पृथक से कोई योजना नहीं है। आल इंडिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन के निश्चयानुसार कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

## फर्रुखाबाद जिले के ग्राम चुनाव में ड्यूटी देने वाले चौकीदारों को भत्ता देने पर विचार

*५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के कितने ऐसे चौकीदार हैं जिनको ग्राम सभाओं के गत चुनावों के अवसर पर भिन्न-भिन्न जगहों पर duty पर तैनात किया गया? क्या उनको यात्रिक तथा भोजनादि भत्ता का रुपया दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नवलकिशोर—७२९ चौकीदार ड्यटी पर तैनात किये गये। उन्हें उक्त कार्य के लिये भत्ता देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतायेगी कि इस बात के लिये विचार किया जा रहा है कि भत्ता न दिया जाय या इस पर विचार किया जा रहा है कि भत्ता दिया जाय?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उनको एक रुपया प्रति दिन के हिसाब से भत्ता दिया जाय।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतायेगी कि यह विचार कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री अध्यक्ष—शीघ्र समाप्त हो जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनको इसमें क्या एतराज है कि उनको एक रुपये के बजाय २ रुपया प्रतिदिन भत्ता दिया जाय?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, यह प्रश्न तो ऐसा है कि अगर दो रुपये कहा जाय तो ३ रुपय क्यों न दिये जांय? यह तो ओपीनियन की बात है।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कारण है कि निर्णय लेने में एक साल तीन महीने लगे?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, असल बात यह है कि चौकीदार पार्ट टाइम कर्मचारी हैं। जो हमारे यहां फुलटाइम कर्मचारी हैं उनके लिये तो भत्ता वगैरा के नियम बने हुये हैं, लेकिन इनके लिये कोई नियम नहीं हैं। लिहाजा नीचे से सिफारिश आई कि एक रुपया प्रति दिन के हिसाब से भत्ता दिया जाय। इसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन सरकारी आदेश निकलने में कुछ समय लग जाता है इसीलिये देरी हो गई।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बतायेगी कि जो भत्ता दिया जायगा इसमें किराया वगैरा भी शामिल है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, प्रश्न इतना ही है कि एक रुपया प्रति दिन के हिसाब से इनको भत्ता दिया जाय ।

श्री नरसिंहनारायण---क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि हर चुनाव में चौकीदारों की सेवायें ली जाती हैं इसलिये भविष्य के लिये कोई ऐसी योजना बनायेंगे कि इनको भत्ता पहले दे दिया जाय ?

श्री नवलकिशोर---जब इसके ऊपर सरकार का निर्णय हो जायगा तो जितने चुनाव होंगे सब पर यह चीज लागू हो जायगी ।

## ग्राम चुनाव में झगड़

*६---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत ग्राम चुनाव में प्रदेश के किन-किन स्थानों पर चुनाव से संबंधित दंगे हुये और उनमें कितनी जन-धन की हानि हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गत ग्राम चुनाव में इस प्रदेश में गोंडा, उन्नाव, बलिया, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, मेरठ, जौनपुर तथा वाराणसी जिलों में चुनाव से संबंधित दंगे हुए जिन में दो व्यक्ति मारे गये तथा करीब १,४६० रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई।

## लहरपुर थाने में पुलिस द्वारा चालान

*७---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ मार्च, १९६२ से १४ मार्च, १९६२ तक थाना लहरपुर, जिला सीतापुर में कितने व्यक्तियों के चालान पुलिस द्वारा हुये और किन-किन धाराओं में हुये ?

श्री नवलकिशोर---३ मार्च, १९६२ से १४ मार्च, १९६२ तक थाना लहरपुर, जिला सीतापुर में पुलिस द्वारा २४ व्यक्तियों के चालान हुए जिनमें से २३, धारा १०९ सी० आर० पी० सी० तथा १, धारा १९ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत थे ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति धारा १९, आर्म्स ऐक्ट में पकड़े गये हैं, वह किस स्थान पर पकड़े गये हैं ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, किस स्थान पर पकड़े गये इसकी सूचना नहीं है ।

[३ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## पुलिस आयोग की सिफारिशों पर विचार

*१---श्री रामसुन्दर, श्री उग्रसेन तथा श्री गणेश चन्द (जिला मैनपुरी)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार का पूर्णरूपेण विचार कब तक हो जायेगा ?

श्री नवलकिशोर---सरकार पुलिस आयोग की सिफारिशों पर यथाशीघ्र पूर्ण रूपेण विचार करने का प्रयत्न कर रही है परन्तु यह बताना कठिन होगा कि यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ।

*२---श्री रामसुन्दर, श्री उग्रसेन तथा श्री गणेशचन्द---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कमेटी की रिपोर्ट के किन-किन अंशों को कार्यान्वित किया गया है और शेष को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

**श्री नवलकिशोर**—पुलिस आयोग की जिन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर आदेश जारी हो गये हैं उनकी सूची संलग्न है। जहां तक शेष सिफारिशों का संबंध है उन पर विचार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८२६ पर)

**श्री रामसुन्दर**—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सिफारिशों पर आदेश जारी हो गये हैं क्या वे सिफारिशें कार्यान्वित हो गयी हैं या नहीं ?

**श्री नवलकिशोर**—मान्यवर, इनमें से बहुत सी सिफारिशें जो सप्लीमेंटरी बजट पेश हुआ था उसके अन्दर शरीक हो गयी थीं और बहुत सी जो नया बजट पेश होगा उसके अन्दर आ जायंगी।

**श्री उग्रसेन**—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उस आयोग ने कोर्ट इंस्पेक्टरों का वेतन क्रम क्या निर्धारित किया है ?

**श्री नवलकिशोर**—मान्यवर, उनके वेतन-क्रम बढ़ाने की कोशिश की गयी है। वह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, चूंकि प्रासीक्युशन एजेंसी को रिआर्गेनाइज करने की बात सरकार के सामने है।

**श्री गणेशचन्द**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पुलिस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है वह काम किस तारीख तक पूरा हो जायगा ?

**श्री नवलकिशोर**—यह तो उत्तर में कह दिया गया है कि यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक सम्पन्न हो सकेगा।

**श्री चन्द्रजीत**—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो सिफारिशें अपराधों की रोकथाम और अनुसंधान संबंधी हैं उनमें से सरकार ने किन्हीं को लागू किया है और शेष को सरकार लागू करने पर क्या विचार कर रही है ?

**श्री नवलकिशोर**—मैंने स्पष्ट कर दिया कि जिसके बारे में आदेश दे दिये गये हैं उसकी सूची दी हुई है। बाकी सब प्रश्न विचाराधीन है।

**कुंवर श्रीपाल**—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो उनकी संस्तुतियां कार्यान्वित की गयी हैं, जिसके आधार पर पुलिस के कांस्टेबिलों की तनख्वाहें बढ़ायी गयी हैं क्या फायर ब्रिगेड की तनख्वाहें भी इसी तरीके से बढ़ायी गयी हैं या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

**श्री नवलकिशोर**—फायर ब्रिगेड के परसोनेल की तनख्वाहें नहीं बढ़ायी गयी हैं। वह मामला सरकार के विचाराधीन है। उसका कारण यह भी है कि चूंकि वे टेक्निकल सर्विसेज मानी जाती हैं उनका प्रश्न टेक्निकल सर्विसेज के साथ इंटरलिंक्ड है।

**कुंवर श्रीपाल**—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि फायर ब्रिगेड और रेडियो डिपार्टमेंट के जो सिपाही हैं उनको २४ घंटे काम पर रहना पड़ता है, उनकी तनख्वाहें शीघ्र बढ़वाने की कृपा करेंगे ?

**श्री नवलकिशोर**—मान्यवर, मैं तो शुरू में ही इस प्रश्न पर निवेदन कर चुका हूं, सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और उसके ऊपर सरकार निर्णय करने जा रही है।

**श्री उग्रसेन**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सिपाहियों और कर्मचारियों को वेतन में बृद्धि दी जा रही है वह उनको कब से दी जा रही है ?

**श्री नवलकिशोर**—पहली जनवरी, सन् १९६२ से।

## अपराधों को सही दर्ज करने की राजाज्ञा का प्रभाव

*३—श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री बेदराम तथा श्री बसंतसिंह—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराधों को सही दर्ज करने की राजाज्ञा प्रेषित की जाने के पश्चात् विभिन्न प्रकार के जुर्मों की रोक-थाम से वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में बमुकाबले वर्ष १९६०–६१ के आंकड़ों में कितना-कितना अन्तर पड़ा ?

श्री नवलकिशोर—अपराधों को सही दर्ज करने की राजाज्ञा जारी होने के पश्चात् सन् १९६० के मुकाबले में सन् १९६१ के विभिन्न अपराधों के आंकड़ों का अन्तर निम्न तालिका से स्पष्ट होगा। अपराधों की संख्याए कैलेंडर वर्ष के अनुसार रखी जाती हैं अतः तदनुसार ही तालिका में संख्याएं दी गई हैं।

तालिका

| वर्ष | डकैती | राहजनी | हत्या | दंगे | नकबजनी |
|---|---|---|---|---|---|
| १९६० .. | ९५२ | ५४२ | १६५६ | २७४३ | १४,७२४ |
| १९६१ .. | १७५१ | १२५८ | २१०१ | ४८५६ | २७,६४४ |

श्री हरीशकुमार गंगवार—जैसा कि इस तालिका में दिया हुआ है १९६० में डकैतियां ९५२ हुई और १९६१ में १७५१ हुई। राहजनी १९६० में ५४२ और १९६१ में १२५८, हत्यायें १९६० में १६५६ और १९६१ में २१०१, दंगे १९६० में २७४३ और १९६१ में ४८५६, नकबजनी १९६० में १४७२४ और १९६१ में २७६४४ हुई, तो यह इस बात को सिद्ध करता है.....

श्री अध्यक्ष—आप बहस न कीजिये, सवाल कीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—वास्तव में अपराधों की वृद्धि के कारण क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अन्वेषण कराया है, यह आप जानना चाहते हैं ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—जी हां।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में यह निवेदन किया था कि सरकार ने इस तरह का आदेश दिया है कि जो अपराध हैं उनको छिपाने की चेष्टा न की जाय और किसी सरकारी कर्मचारी की क्षमता या योग्यता इस बात पर निर्भर नहीं होगी कि उसके यहां अपराध कम हुए या ज्यादा हुए बल्कि इस पर निर्भर होगी कि उसने अपराध छिपाये या नहीं छिपाये।

श्री नरसिंहनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की राजाज्ञा कब दी गई, किस तारीख को दी गई ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, नवम्बर, १९५९ में दी गई और उसके बाद सन् १९६० में दी गई और १९६१ में फिर जारी की गई।

## चक्की भूसाडीही का पुलिस प्रबन्ध आजमगढ़ जिलान्तर्गत करने पर विचार

*४—श्री रामसुन्दर—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक्की भूसाडीही, जिला आजमगढ़ का पुलिस प्रशासन देवरिया के बदले आजमगढ़ के जिम्मे कर देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन लगभग १ वर्ष से है ?

श्री नवलकिशोर—प्रस्ताव सरकार के सामने लगभग छः माह से विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा और शीघ्र निर्णय न होने का कारण क्या है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इसके ऊपर सरकार का निर्णय बहुत शीघ्र ही होने वाला है ।

## होली मैत्रीपूर्ण ढंग से मनाने का आदेश

*५—श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश फरवरी या मार्च, १९६२ ई० में थानों को गया था कि होली के मौके पर बिला किसी की मर्जी के रंग न फेंका जाय, और कीच मिट्टी से होली न खेली जावे ?

श्री नवलकिशोर—थानों को कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया था । जिलाधीशों को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि होली मैत्रीपूर्ण तथा सद्भावना पूर्ण ढंग से मनाई जाये । इस आदेश की प्रतिलिपि आई० जी० पुलिस को भी सूचनार्थ भेजी गई थी ।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो आदेश जिलाधीशों को भेजा गया था उसका पालन किस-किस जिले में नहीं हुआ ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जहां तक सरकार की सूचना है सभी जिलाधीशों ने इसका पालन किया ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश के मध्य और पश्चिम के हिस्से म हर वर्ष होली के अवसर पर कीचड़, मिट्टी, अलकतरा, इस किस्म की चीजों का बहुत प्रयोग होता है जिसका असर रेलगाड़ियों और बसों पर भी होता है, तो क्या सरकार इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने के ऊपर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—जो कुछ सरकार कर रही है वह तो उन्होंने बतला दिया । अब आप बतलाइये कि आपका क्या कहना है ?

श्री ऊदल—श्रीमन्, यह हर साल व्यापक होता जा रहा है तो सरकार इसके लिये कुछ प्रबन्ध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार कोई और आदेश इस सम्बन्ध में नहीं देना चाहती, यह तो ऐसा विषय है कि जो सोशल रिफार्म से सम्बन्ध रखता है । ज्यों-ज्यों शिक्षा बढ़ती जायगी और ज्यों ज्यों नई परम्परा लोगों के अन्दर प्रसारित होती जायगी आशा यह की जाती है कि प्रथा जरूर बदलेगी और एक वक्त आयेगा कि यह प्रथा हमारे बीच में नहीं रहेगी ।

## सचिवालय की पुनस्संघटन योजना पर विचार

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री बसंतसिंह तथा श्री बेदराम—क्या कार्य दक्षता बढ़ाने व खर्चा घटाने की दृष्टि से सरकार सचिवालय के पुनर्गठन की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां । इस समय आधुनिक ढंग से एक-एक करके सचिवालय के विभिन्न विभागों के संगठन तथा कार्य पद्धति का अध्ययन किया जा रहा है । इस अध्ययन के आधार पर यदि सम्भव हुआ तो पुनस्संगठन की व्यापक योजना भी बनाई जावेगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अध्ययन किसी कमेटी के द्वारा हो रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा ?

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा**—पहले यहां पर एक कमिश्नर नियुक्त हुये थे वह देखते थे। अब कमेटी देखती है ।

**श्री दीपनारायणसिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में गत तीन वर्षों के अध्ययन का परिणाम लिखकर प्रकाशित कराया गया है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—मुख्य सचिव के सचिवालय में इस विषय में अन्वेषण, जानकारी और अनुभव प्राप्त करने के लिये एक डिवीजन खोला गया है और उसमें दो व्यक्ति ऐसे हैं जो इस विषय के ऊपर अध्ययन करते हैं और अध्ययन के बाद अपनी बातों को और अनुभव को जानकारी के रूप में मुख्य सचिव को देते हैं। मुख्य सचिव उन बातों को अपने सचिवों के बीच लाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति को बाहर विदेश में भेज कर इस सम्बन्ध में शिक्षा प्राप्त कराई गई है। तो वह कार्य अभी जारी है और उसका अध्ययन वह कर रहे हैं। जब कभी कोई ऐसी बात कार्य रूप में परिणित नीचे से ऊपर तक की जायगी तो अवश्य उसकी सूचना सदन को दी जायगी और छाप कर वह सूचना दे दी जायगी।

**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अध्ययन का ढंग अपनाया जा रहा है उसका आधार कोई देश या विदेश की पद्धति है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—कई देशों में विभिन्न प्रकार के सचिवालय इत्यादि और बहुत सी और संस्थायें, जो सरकार के तहत में काम करती हैं, चलाई जा रही हैं। उनकी जानकारी प्राप्त करके तथा केन्द्र में किस तरह से विभागों का संचालन होता है उस तमाम ज्ञान को प्राप्त करके उन आधुनिक अनुभवों को अपने प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर लागू करने का प्रयास है और उसी प्रयास में यह दो व्यक्ति जुटे हुये हैं। उनके अनुभव और जानकारी के आधार पर जो हमें जानकारी होगी उसे हम इस प्रयास में लागू करते समय आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

**श्री ऊदल**—मैं यह अपनी जानकारी से बता रहा हूं कि जो डिवीजन खोला गया है उसकी शुरूआत से आज तक सिर्फ दो विभागों की जानकारी उसने की है और जो उसके पदाधिकारी हैं वह उपसचिव की हैसियत के हैं।

**श्री अध्यक्ष**—आप प्रश्न करिये ।

**श्री ऊदल**—क्या वे सारे विभागों के सचिवों की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री जी को दे सकते हैं ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जो व्यक्ति वहां कार्य कर रहे हैं वे कार्यकुशल हैं और अनुसंधान और अन्वेषण में दिलचस्पी रखते हैं और उस काम के लिये ऐसे ही व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये उनके द्वारा हम नयी जानकारियां और नये अनुभव प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

**श्री उग्रसेन**—विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने सचिवालय के पुनस्संगठन के संबंध में एक रिपोर्ट दी है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसके सुधार के लिये उस रिपोर्ट की सिफारिशों को मानेंगे ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—मैंने तो अभी शायद उसका अध्ययन नहीं किया है। मैं देख लूं कि क्या रिपोर्ट है तभी मैं उसके विषय में कुछ कह सकता हूं। माननीय सदस्य यदि मुझे इस बात का नोटिस देंगे तो जानकारी प्राप्त करके मैं कुछ बता सकूंगा कि उसमें मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता ।

**कुंवर श्रीपाल**—इस विषय में श्री के० के० दास की भी एक रिपोर्ट है। क्या मुख्य मंत्री जी ने उस पर भी गौर किया है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—उनकी रिपोर्ट है और प्रारम्भ में उसके अनुसार कुछ कार्य भी हुआ है, उन सिफारिशों की बुनियाद पर। लेकिन तजुब ने ऐसा सिद्ध किया कि शायद उसके अनुसार काम चल नहीं सकता इसलिय उन सिफारिशों पर काम करना बन्द कर दिया गया।

## ग्राम चुनाव में जिला परिषदों की जीपों के प्रयोग के विरुद्ध शिकायत

*७—**श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री बसंतसिंह** तथा **श्री बेदराम**—क्या सरकार ने अन्तरिम जिला परिषदों को हिदायतें भेजी थीं कि हाल के चुनाव के दौरान परिषद् की जीप का प्रयोग न किया जाय ? क्या किसी जिले से इन हिदायतों की अवहेलना की शिकायत आई है ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

**श्री मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)**—जी नहीं। आदेशों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या किसी जिले से परिषद् की जीप के चुनाव में इस्तेमाल किये जाने की शिकायत आयी है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री बंशीधर पांडेय**—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

**श्री नरसिंहनारायण**—मैंने स्वयं शिकायत की है गोरखपुर जिला बोर्ड (परिषद्) के खिलाफ कि उन्होंने चुनाव में परिषद् की जीप का इस्तेमाल किया है। माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

**श्री बंशीधर पांडेय**—इस संबंध में मुझे नहीं मालूम कि आपने खुद शिकायत की है। लेकिन अगर की होगी तो मैं मंगाकर सूचना दे दूंगा।

**श्री उग्रसेन**—इसी प्रकार की शिकायतें देवरिया के विधायकों द्वारा भी आयी हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि उन्होंने गलत तरीके से उन जीपों का इस्तेमाल किया है चुनाव में ?

**श्री बंशीधर पांडेय**—मैंने निवेदन किया कि जो भी शिकायतें आयेंगी उनकी मैं जांच करूंगा, उन पर विचार किया जायगा।

**श्री गेंदासिंह**—श्रीमन्, कुछ आश्चर्य हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिला परिषद् की जीपों का इस्तेमाल चुनाव में अध्यक्ष द्वारा किया जाय इसके लिये कोई हिदायत सरकार ने भेजी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिये ?

**श्री बंशीधर पांडेय**—श्रीमन्, इस प्रकार के कोई नये आदेश भेजने की बात उठती नहीं क्योंकि जिला परिषद् के लिये जो यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट है उसके पेज १७४ पर साफ लिखा हुआ है कि जीप किस प्रकार अध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लायी जायगी।

*८—**श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री बसंतसिंह** तथा **श्री बेदराम**—[१ मई, १९६२ को प्रश्न १३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया है।]

## मेडिकल कालेज इलाहाबाद

*९—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज की इमारत बनाने हेतु स्थानीय गवर्नमेंट हाउस को भी शामिल कर उसमें भी कालेज की इमारत बनाई जायगी ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जी हां।

---

नोट—तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलावेंगे कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज में प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में कितने-कितने छात्र पढ़ने हेतु शामिल किये गये तथा उसमें से प्रथम वर्ष कितने छात्र उत्तीर्ण हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी प्रथम ही वर्ष चालू हुआ है जिसमें ५० विद्यार्थी शामिल किए गए हैं। उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। द्वितीय वर्ष में विद्यार्थी अगस्त में शामिल किए जायेंगे ।

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज में कितने डाक्टर शिक्षक के रूप में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१० डाक्टर ।

*१२-१४—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—[१७ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये । ]

*१५—श्री ऊदल—[१७ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

## क्षेत्र विकास अधिकारियों का प्रोमोशन

*१६—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि फरवरी, सन् १९६२ के शुरू में कोई आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि प्रदेश के जितने आफिशियेटिंग क्षेत्र बिकास अधिकारी हैं वे प्रमोशन के लिये १५ रुपये फीस देकर इम्तहान में बैठें ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी नहीं ।

*१७—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में अब तक करीब २५० क्षेत्र विकास अधिकारियों को पिछले वर्ष में बिला इम्तहान लिये ही प्रमोशन दे दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं ।

## क्षेत्र समितियों के प्रमुखों का निर्वाचन

*१८—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाकों के अध्यक्षों का चुनाव कब तक होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के निर्वाचन शीघ्र ही होने की सम्भावना है ।

*१९—श्री गिरजाप्रसाद—क्या बिकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि ब्लाक अध्यक्षों के चुनाव में मतदाताओं की सूची की क्या रूप-रेखा होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ६ में उल्लिखित क्षेत्र समितियों के सदस्य अपने-अपने प्रमुखों का निर्वाचन करेंगे ।

## जिला परिषद् चुनाव की रूपरेखा

*२०—श्री चन्द्रजीत, श्री गिरजाप्रसाद तथा श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् चुनाव की रूप रेखा क्या होगी और उसका चुनाव कब तक कराने का विचार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १८-१९ में जिला परिषद् के संगठन की रूप रेखा दी हुई है। जहां तक चुनाव की रूप रेखा का प्रश्न है चुनाव सम्बन्धी नियम बनाये जा रहे हैं और उक्त नियम बन जाने के पश्चात् चुनाव की रूप रेखा स्पष्ट हो सकेगी। जिला परिषदों के लिये चनाव की कोई तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है।

## मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

*२१—**श्री शिवेन्द्रप्रताप** (जिला सीतापुर)—क्या यह सही है कि मन्त्रियों के वैयक्तिक सहायकों में कुछ लोग सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं हुये और फिर भी अपना कार्य कर रहे हैं?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जी नहीं।

*२२—**श्री शिवेन्द्रप्रताप**—क्या सरकार उन वैयक्तिक सहायकों की सूची जिन्हें अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है, सदन की मेज पर रखेगी?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जी नहीं। यह सूची गोपनीय है, अतः उसे सदन की मेज पर रखना उचित न होगा।

## मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकों की पुनर्नियुक्ति

*२३—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत दिसम्बर मास में मन्त्रियों के कितने वैयक्तिक सहायकों को पुनर्नियुक्त किया गया और पुनर्नियुक्ति के समय इन लोगों की अलग-अलग आयु कितनी थी?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—मन्त्रियों के ६ वैयक्तिक सहायक गत दिसम्बर मास में पुनः नियुक्त किये गये थे और पुनर्नियुक्ति के समय उनकी आयु निम्नांकित थी:—

| वैयक्तिक सहायक के नाम | पुनर्नियुक्ति के समय की आयु | | |
|---|---|---|---|
| | वर्ष | माह | दिन |
| १—श्री हरिहर प्रसाद चतुर्वेदी .. .. .. | ५७ | ० | २२ |
| २—श्री राम सिंह कोतवाल .. .. .. | ५७ | २ | २० |
| ३—श्री रघुवीर सहाय मिश्र .. .. .. | ५६ | ४ | २३ |
| ४—श्री जगदीश शरण रस्तोगी .. .. .. | ५७ | ११ | ० |
| ५—श्री शांति स्वरूप .. .. .. .. | ५६ | ९ | २० |
| ६—श्री जगशरण तिवारी .. .. .. | ५८ | ० | ० |

*२४—**श्री गयाप्रसाद**—क्या किन्हीं वैयक्तिक सहायकों की पुनर्नियुक्ति का समय फिर बढ़ाया जा रहा है? यदि हां, तो किस कारण?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जी हां। मुख्य मंत्री के वैयक्तिक सहायक की आवश्यकता समझी गई है।

*२५–२७—**श्री चिरंजीलाल** (जिला एटा)—[१७ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

## रिहन्द विद्युत् योजना

*२८—**श्री कृष्णानन्द राय** (जिला गाजीपुर)—क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रिहन्द विद्युत् योजना अपनी पूरी क्षमता भर विद्युत् शक्ति किस समय तक देने लगेगी?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रिहन्द विद्युत् गृह में पांचों मशीनें लग चुकी हैं और पूरी क्षमता पर बिजली देने के लिये तैयार हैं।

*२९—श्री कृष्णानन्द राय—वर्तमान समय में निर्धारित लक्ष्य से किस अनुपात में कम विद्युत् रिहन्द से उपलब्ध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पांचों मशीनें व्यावसायिक रूप से चलने के लिये तैयार हैं।

## बहराइच जिले के पुराने गजटेड अधिकारी

*३०—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में ३ वर्ष से अधिक काल से कितने गजेटेड अधिकारी काम कर रहे हैं और उसका क्या विशेष कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्यारह।

स्थानान्तरण न करने के कारण संलग्न सूची में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८२ पर)

## वृन्दावन में हड़ताल

*३१—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक ३० मार्च, १९६२ को वृन्दावन नगर में कोई हड़ताल इस कारण रही कि पुलिस ने नगरपालिका के सदस्य श्री वृन्दावन लाल पर किये गये घातक हमले व लूट के मामले में आतताई का पक्ष किया ? अगर हां, तो वह घटना क्या थी तथा इस पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। एक स्थानीय वकील को कथित गुंडागर्दी के विरोध में आंशिक हड़ताल हुई थी ।

*३२—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[हटा दिया गया।]

*३३—श्री मन्नालाल तथा श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—[४ मई, १९६२ के लिए प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## भावरी ग्राम की हत्याओं के सम्बन्ध में जांच

*३४—श्री हिम्मतसिंह, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में भावरी ग्राम के दो कृषकों को ३१ मार्च, १९६२ को भूतपूर्व जमींदार औरंगाबाद ने गोली से मार दिया ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, भावरी ग्राम में ३१-३-६२ को शाम को ६ १/२ बजे ऐसी घटना हुई। गोली चलाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है और उसको विरुद्ध थाना औरंगाबाद पर एक मुकदमा धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज हुआ है जिसकी जांच हो रही है।

## राधानगर निवासी, श्री राधेश्याम गुप्त को कथित ऋण

*३५—श्री दीपनारायणसिंह—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी विशेष उद्योग के लिये क्या राधेश्याम राइस ऐन्ड आयल मिल्स, राधानगर, फतेहपुर, जिला फतेहपुर के प्रोप्राइटर श्री राधेश्याम गुप्त जी को आज तक कोई धन ऋण या अनुदान के रूप में दिया गया था ? और यदि दिया गया था, तो कब, कितना व क्या जिस काम के लिये दिया था, वह काम पूरा हो गया है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—जी नहीं, शेष प्रश्न ही नहीं उठते ।

## सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, टांडा को रिबेट तथा पावर लूम

*३६—**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के अन्तर्गत टांडा में सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटड को कितना रुपया रिबेट का सन् १९६०–६१ में दिया गया है ?

**श्री फूलसिंह**—जिला फैजाबाद के अन्तर्गत टान्डा में सेन्ट्रल वीवर्व कोआपरेटिव सोसाइटी लि० को रिबेट का २७,७१९ रुपया २५ न० पै० सन् १९६०–६१ के वर्ष में दिया गया है।

*३७—**श्री सुखरामदास**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद के अन्तर्गत टांडा में सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सन् १९६०–६१ में कितने पावर लूम दिये गये और उन पावर लूमों से कितने गज कपड़े का उत्पादन हुआ ?

**श्री फूलसिंह**—जिला फैजाबाद के अन्तर्गत टान्डा में सेन्ट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, टान्डा को सन् १९६०–६१ के वर्ष में १० पावर लूम एलाट किये गये। इन पावर लूमों द्वारा अभी कुछ उत्पादन नहीं हुआ।

## विकास अन्वेषणालय (प्लानिंग रिसर्च ऐण्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट) पर व्यय

*३८—**श्री मन्नालाल तथा श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय प्लानिंग रिसर्च ऐन्ड ऐक्शन न्स्टीट्यूट पर अब तक कुल कितना खर्च हो गया है, उसके द्वारा क्या-क्या नूतन अन्वेषण किये गये, उनसे कितना लाभ पहुंचा तथा सरकार की योजनाओं में क्या बचत हुई है ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—विकास अन्वेषणालय (प्लानिंग रिसर्च ऐण्ड ऐक्शन इन्स्टीट्यूट) मई, सन् १९५४ में स्थापित हुआ। उसका ८ साल के आधार पर प्रति वर्ष का बजट ५,३०,००० रु० का होता है। इस प्रकार अब तक कुल लगभग ४२,०१,००० रु० व्यय हुआ है। अन्वेषणों की सूची तथा सफलता का विवरण "एवं विकास अन्वेषणालय का एक संक्षिप्त परिचय" नामक पुस्तिका *माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

*३९–४०—**श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया)—[हटा दिये गये।]

## रिहन्द विद्युत् योजनान्तर्गत लाइसेन्सों का दिया जाना

*४१—**की चन्द्रजीत**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द विद्युत् योजना की बिजली के उपयोग के लिये कुछ उद्योगों को लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन को और वह किन जिलों में होंगे ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—अभी रिहन्द विद्युत् योजना से केवल मिर्जापुर, इलाहाबाद, तथा वाराणसी जिलों को बिजली दी जा रही है। इन तीन जिलों में जिन नये कारखानों की स्थापना के लिये वर्ष १९६० तथा १९६१ में इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट ऐण्ड रेगुलेशन ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस दिया जा चुका है उनकी एक †सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८२८ पर)

---

†छापी नहीं गई।

## अन्तरिम जिला परिषदों के अन्तर्गत समितियों का संघटन

*४२—**श्री देवदत्त** (जिला उन्नाव)—क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में ऐसी कितनी अन्तरिम जिला परिषदें हैं जहां तत्सबन्धी कानून के अन्तर्गत निहित समितियों और उप-समितियों का अभी तक संगठन नहीं हुआ है ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत बने नियम संख्या १८ के अन्तर्गत केवल कार्यकारिणी समिति का संगठन होना आवश्यक है। प्राप्त सूचना के अनुसार सभी अन्तरिम जिला परिषदों ने अपनी कार्यकारिणी समिति का संगठन कर लिया है। वाराणसी, अलीगढ़, अल्मोड़ा तथा गोंडा से सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

*४३—**श्री रक्षपालसिंह** (जिला इलाहाबाद)—[१७ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

## बीरसिंहपुर में कत्ल सहित डकैती, देवरिया जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें तथा भिखारीपुर ग्राम में हरिजन के साथ कथित अत्याचार

*४४—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिले के अन्तर्गत ग्राम कोइली के निकट थाना रोहनियां में गत ११ मार्च, १९६२ को रात्रि में डाका पड़ा जिसमें एक व्यक्ति की हत्या गोली से हुई ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—११ मार्च, १९६२ को नहीं बल्कि ८/९ मार्च, १९६२ की रात्रि में कोइली के निकट ग्रामबीरसिंह पुर, थाना रोहनियां में एक डकैती की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

*४५—**श्री उग्रसेन**—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद में १ जनवरी, १९६२ लगायत ३१ मार्च, के अन्तर्गत कहां-कहां (अ) डकैतियां पड़ी हैं, (ब) कितनों की जान गई, (स) कितने की क्षति हुई, (द) कितने मुकदमे चलाये गये ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८२९ पर)

*४६—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार को पता है कि ग्राम भिखारीपुर थाना मिर्जामुराद, जिल वाराणसी में मार्च, १९६२ के द्वितीय सप्ताह में एक हरिजन के घर में आग लगा दी गई और उसका खेत उस समय जबरन गांव के पुराने तालुकेदारों ने काट लिया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घंटना का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जी नहीं। आग स्वयं विपत हरिजन के पुत्र ने लगाई थी।

उक्त खेत विपत हरिजन के पट्टीदार ने ठाकुर प्रसाद को सन् १९५७ में बेच दिया था। खेत में खड़ी फसल को ठाकुर प्रसाद ने अपनी बताते हुए कटवाया। पुलिस द्वारा जांच करने पर कोई हस्तक्षेप योग्य अपराध नहीं पाया गया। विवरण संलन है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८३० पर)

## चीनी मिलों के मजदूरों को बोनस देने का आश्वासन

*४७—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या श्रम मन्त्री को पता है कि केन्द्रीय चीनी वेज बोर्ड ने मजदूरों के लिये बोनस देने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो यह बोनस उत्तर प्रदेश में हर फैक्टरियों के मजदूरों को कब तक मिलेगा ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—जी हां।

आदेश लागू किया जा रहा है कि एक माह के भीतर मजदूरों को बोनस मिल जाय।

*४८—**श्री नरसिंहनारायण**—क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वेज बोर्ड के फैसले के लागू होने से मजदूरों का बोनस पिछले सालों से उत्पादन को बढ़ाने के बाद भी कम पड़ेगा? यदि हां, तो कितना?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—जी हां।

१९५८-५९ के सीजन से लगभग ९ लाख रुपया और १९५९-६० के सीजन से लगभग ६६ लाख रुपया कम बोनस मिल रहा है।

## बिजली के वितरण से नियंत्रण हटाने की प्रार्थना

*४९—**श्री चन्द्रजीत**—क्या विद्युत से नियंत्रण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में बिजली के वितरण पर लगे हुये नियन्त्रण को उद्योगों को देने के सम्बन्ध में सरकार निकट भविष्य में उठाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

**श्री चन्द्रभानुगुप्त**—जी नहीं

## सुभाखुरपुर तथा नन्दगंज के अस्पतालों में डाक्टर न होना

*५०—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि गाजीपुर जिले के अन्तर्गत सुभाखरपुर अस्पताल में, जब से वह बना है, तब से आज तक कोई डाक्टर नहीं भेजा गया तथा नन्दगंज अस्पताल में पिछले करीब सात माह से कोई डाक्टर नहीं भेजा गया है? अगर पता है, तो सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब कौन सा कदम उठा रही है?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जी हां।

नये डाक्टर उपलब्ध होने पर सुभाखरपुर अस्पताल में डाक्टर भेजा जायेगा। नन्दगंज अस्पताल में डाक्टर भेजने का आदेश दिया जा चुका है और आशा है कि वह शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण कर लेगा।

## लघु-उद्योगों के लिये एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट्स

*५१—**श्री किशोरीलाल अग्रवाल** (जिला लखनऊ)—क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो साल में उद्योग संचालक ने किन-किन लघु-उद्योगों को Essentiality Certificate जारी किये?

**श्री फूलसिंह**—पिछले दो वर्षों में विभिन्न वस्तुओं के बनाने के लिये सामान को आयात करने के लिये एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट (Essentiality Certificate) जारी किये गये जैसे फ्रीह्वील (Free wheel), साइकिल चेन (Cycle Chain), टेप रिकार्डर (Tape Recorder), ट्रान्जिस्टर्स (Transistors), सीरिन्ज (Syringe), दवाइयां, बिजली का सामान, आटोमोबाइल पार्टस् (Auto-mobile Parts), थार्मामीटर (Thermometer) प्रेशर डाईकास्टिंग सामग्री (Pressure Dyecasting), साइकिल, रेडियो, घड़ी, सिलाई की मशीन, गैस लैम्प, प्रिन्टिग प्रेस (Printing Press) तथा कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) के उद्योगों के लिये विभिन्न पुरजे एवं मशीनें। इसके अतिरिक्त जर्मन सिल्वर (German Silver), बोरेक्स (Borax), कारबोरेन्डम (Carborandum) और क्रूसिबिल्स (Crucibles), बर्तन तथा कटलरी उद्योग के लिये पाम आइल (Palm Oil) तथा टैलो (Tallow) साबुन उद्योग के लिये, अल्टरा मैरीन ब्लू (Ultra Marine Blue)

तथा कोलतार डाईज (Dyes) छपाई उद्योग के लिये, ड्राइंग का सामान तथा ब्रश इत्यादि बनाने के लिये कच्चा माल, सेन्ट, इत्र एवं बालों का तेल बनाने के लिये कच्चा माल, सर्जीकल (Surgical) औंजार तथा इंजीनियरिंग के लिये बाल बियरिंग (Ball Bearing), विभिन्न औजार एवं मशीनें, आभूषण उद्योग के लिये ज्वैलरी फाइल्स (Jewellery Files) इत्यादि तथा लौह एवं इस्पात उद्योग के लिये स्टैनलेस स्टील शीट (Stainless Steel Sheet), टूल तथा एलाय (Tool and Alloy), जी० आई० वायर (G. I. Wire) तथा अन्य प्रकार के सामान के लिये एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट (Essentiality Certificate) जारी किये गये ।

*५२--**श्री किशोरीलाल अग्रवाल**--उन में से कितने लोगों को केन्द्रीय सरकार ने इम्पोर्ट लाइसेन्स दिये ?

**श्री फूलसिंह**--इस प्रकार की कोई सूचना पहले लाइसेन्स अधिकारियों से नहीं आती थी किन्तु अब कुछ कापियां आने लगी हैं । पूर्ण सूचना मांगी गई है जो कि आने पर उपलब्ध की जा सकती है ।

*५३--**श्री किशोरीलाल अग्रवाल**--अगर नहीं दिये, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया ? यदि हां, तो क्या ?

**श्री फूलसिंह**--इस सम्बन्ध में जिन जिन उद्योगपतियों ने उद्योग निर्देशक से पत्र व्यवहार किया उनके सम्बन्ध में भारत सरकर को लिख दिया गया और समय समय पर अधिकारीगणों द्वारा गोष्ठियों में तथा निजी सम्पर्क स्थापित करके विचारों का आदान प्रदान किया गया ।

## दादरी तथा विलासपुर टाउन एरिया को बिजली देने की स्वीकृति

*५४--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या माननीय विद्युत् मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि टाउन एरिया दादरी व बिलासपुर, जिला बुलन्दशहर में बिजली लगाई जाने के लिये कोई जांच हुई ? यदि हां, तो कब-कब और उपरोक्त टाउन एरियाओं में कब तक बिजली लगा दी जायगी ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--जी हां । इन नगरों के विद्युतीकरण के लिये जांच सन् १९६१ में की गई । राज्य विद्युत् परिषद् ने इनके विद्युतीकरण की स्वीकृति दे दी है और कार्य इसी वर्ष सन् १९६२ में पूरा होने की आशा है ।

## किसान मेला में अहरोरी ब्लाक कर्मचारियों द्वारा पैसे के दुरुपयोग की शिकायत

*५५--**श्री परमाई** (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अहरोरी ब्लाक, जिला हरदोई में जो १५ मार्च, १९६२ से १७ मार्च, १९६२ में किसान मेला हुआ था उसमें ब्लाक के कर्मचारियों द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया ? इसके विषय में सरकार के पास कोई शिकायती-पत्र आया ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**--१५ मार्च सन् १९६२ से १७ मार्च सन् १९६२ तक ग्राम अहरोरी ब्लाक अहरोरी में एक किसान मेले का आयोजन हुआ था उसमें ब्लाक के किसी कर्मचारी द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना नहीं पाया गया ।

इसके विषय में एक शिकायती पत्र श्री परमाई, एम० एल० ए० ने मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को दिया था जिसकी प्रतिलिपि जिलाधीश को भी प्राप्त हुई और उसमें जिला नियोजन अधिकारी ने जांच की । जांच करने पर किसी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं पाया गया । यह किसान मेला जिला क्षेत्रीय विकास समिति, अहिरौरी के तत्वाधान में हुआ था और ब्लाक प्रमुख स्वयं उपस्थित रहे थे । इनाम आदि जिला नियोजन अधिकारी ने, परगनाधीश हरदोई, जिला सचना अधिकारी, हरदोई तथा एक बड़े जन समूह की उपस्थिति में वितरित किये थे ।

## हैण्ड़ीक्राफ्टस के शो रूमों पर व्यय

*५६—**श्री धूमप्रसाद तथा श्री गयाप्रसाद** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्टस के हजरतगंज शो रूम की पुरानी इमारत में सजावट, मरम्मत करने में कितना-कितना रुपया गत तीन वर्षों में खर्च किया गया ? इस इमारत के कमजोर होने का पता पहलीबार कब लगा था ?

**श्री फूलसिंह**—यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के हजरतगंज शो रूम की पुरानी इमारत में गत ३ वर्षों में सिर्फ १९५९–६० में ५०,२२५ रु० १५ न० पै० सजावट तथा फिटिंग्स (fittings) में खर्च किये गये । चूंकि यह इमारत किराये पर थी अतएव मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया ।

८ जुलाई, १९६० को, जब कि शो रूम की छत गिर गई थी, पहली बार इमारत के कमजोर होने का पता चला ।

*५७—**श्री धूमप्रसाद तथा श्री गयाप्रसाद**—इस समय हैन्डीक्राफ्ट्स के शो रूम कहां-कहां चल रहे हैं तथा गत तीन वित्तीय वर्षों में याने १९५९–६०, १९६०–६१ व १९६१–६२ में उनमें कुल कितनी बिक्री हुई, कितना व्यय हुआ तथा शुद्ध लाभ या हानि कितनी हुई ?

**श्री फूलसिंह**—इस समय हैन्डीक्राफ्टस के शो रूम निम्नलिखित स्थानों पर चल रहे हैं—

१—लखनऊ—२
२—इलाहाबाद—१
३—आगरा—१
४—भोपाल—१
५—नागपुर—१
६—हैदराबाद— १
७—कलकत्ता—१
८—नई दिल्ली—१
९—मसूरी—१

योग .. १०

गत तीन वर्षों की बिक्री, व्यय तथा शुद्ध लाभ/हानि का ब्योरा निम्नलिखित है :—

| | १९५९–६० (रुपया) | १९६०–६१ (रुपया) | १९६१–६२ (रुपया) |
|---|---|---|---|
| बिक्री | १४,६३,६७७.४३ | १३,३१,६४६.२० | १५,४६,२९८.४० |
| व्यय | ५,१०,५६२ .. | ५,४८,०८७ .. | बैलेंश शीट अभी नहीं |
| शुद्ध लाभहानि | २,८९,६३४ .. (हानि) | २,६२,४५३ .. (हानि) | बनी है । |

## नौगांवा सादात विकास क्षेत्र न स्थापित हो सकना

*५८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में नौगांवा सादात, जिला मुरादाबाद के लिये क्षेत्रीय विकास खंड स्वीकार किया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां । प्रथम पंचवर्षीय योजना में नौगांवा सादात विकास क्षेत्र, तहसील अमरोहा में स्थापित करने का प्रस्ताव था ।

*५९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—यदि हां, तो इस समय तक वहां विकास खंड क्यों स्थापित नहीं किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि शासन ने बाद में यह निर्णय ले लिया था कि प्रत्येक तहसील के हेड क्वार्टर पर एक विकास खंड का हेडक्वार्टर स्थापित कर दिया जाय । अतः नौगांवा सादात में प्रस्तावित विकास क्षेत्र का हेडक्वार्टर बदल कर अमरोहा कर दिया गया ।

*६०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या सरकार ने अपना पूर्व निर्णय बदल दिया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, उपरोक्त निर्णय इस आशय से लिया गया कि जिससे प्रत्येक जिले की विभिन्न तहसीलों में विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यवाहियों का सुचारु-रूप से समन्वय एवं नियंत्रण हो सके ।

## चीनी मिलों पर विभिन्न मदों में बकाया

*६१—श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में १९६०-६१ तथा १९६१-६२ (३१ मार्च, १९६२ तक) गन्ने की कीमत, सूद तथा सरकारी देय कितना-कितना देना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रश्न का उत्तर जहां तक इस प्रदेश की चीनी मिलों पर १९६०-६१ तथा १९६१-६२ (३१ मार्च, १९६२ तक) गन्ने की कीमत तथा केन सेस व पर्चेज टैक्स के रूप में सरकारी देय जितना जितना बकाया था, का संबंध है, श्री राम सुन्दर पांडेय तथा श्री शिवेन्द्र प्रताप द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत सदन में २३ अप्रैल, १९६२ को दिया जा चुका है । निर्दिष्ट तारीख को मिलों पर गत सीजन तथा इस सीजन का गन्ने के मूल्य पर जो सूद बकाया है उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ. ८३१-८३३ पर । )

*६२—श्री केशव गुप्त—क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि मिलों में भुगतान न होने के कारण किसानों को मालगुजारी, सिंचाई-कर तथा तकावी के अदा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

*६३—श्री केशव गुप्त—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रुपये के भुगतान का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है और यह भी प्रबन्ध किया जा रहा है कि मिल क्षेत्र स्थित किसानों की मालगुजारी, सिंचाई-कर तथा तकावी सीधे मिल से उसके गन्ना की कीमत से वसूल कर लिया जावे ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जहां तक इस रुपये अर्थात् निर्दिष्ट वर्षों के गन्ने का मूल्य व सेस तथा पर्चेज टैक्स की वसूली का प्रबंध किये जाने का संबंध है, श्री राम सुन्दर पांडेय तथा श्री शिवेन्द्र प्रताप द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत सदन में २३ अप्रैल को उत्तर दिया जा चुका है । गन्ने के मूल्य पर जो सूद १९६०–६१ का बकाया है, उसकी वसूली के लिये सभी मिलों पर रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर दिये गये हैं । सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है कि जिसके द्वारा मालगुजारी व सिंचाई कर मिल से गन्ने की कीमत में से वसूल कर लिया जाय ।

## अपर दोआब शुगर मिल, शामली के विरुद्ध इफ्लुऐंट बोर्ड द्वारा कार्यवाही करने पर विचार

*६४—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को पता है कि अपर दोआब शुगर मिल, शामली, जिला मुजफ्फरनगर नेअपने मिल में खराब शीरा को रखने के लिये हौज नहीं बनाया है और उस शीरे को कृष्णी नदी में डालता है जिससे नदी की तमाम मछलियां मर जाती हैं और नदी का पानी गन्दा हो जाने से जानवरों के पीने लायक नहीं रह जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने का प्रबन्ध करने पर विचार करेगी ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—जी हां । यह सत्य है कि उपरोक्त मिल का गन्दा पानी (effluents) सिंचाई विभाग के एक ड्रेन द्वारा कृष्णी नदी में जाता है जिससे नदी का पानी खराब हो जाने तथा उस गन्दे पानी के मिले हुये नदी के पानी को पीने वाले जानवरों को भी हानि पहुंचने की संभावना है । इस फैक्ट्री के खिलाफ इफ्लुऐंट बोर्ड द्वारा कानूनी कार्यवाही करने पर सरकार विचार कर रही है ।

*६५—**श्री रामचरण शाह**—[१८ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया । ]

## अदालती पंचायतों के पंचों का चुनाव

*६६—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में अदालती पंचायतों के पंचों का चुनाव कब तक कराने का विचार करती है ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—न्याय पंचायतों के पंचों की नियुक्ति जिलाधीशों द्वारा पंचायतराज अधिनियम की धारा ४३ तथा पंचायत राज नियमावली के नियम ८३ के अनुसार शीघ्र ही की जायगी ।

## महनी ग्राम में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*६७—**श्रीमती गेंदादेवी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के अन्तर्गत तहसील खलीलाबाद के ग्राम महनी की जनता ने सन् १९६० ई० में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने के लिये आवेदन-पत्र दिया है । यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जी नहीं ।

## थानेदारों के विरुद्ध बलात्कार के मामले

*६८—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने थानेदारों अथवा उच्च अधिकारियों (पुलिस) पर बलात्कार के मुकदमे अथवा रिपोर्ट १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक हुई ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—१ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक पांच सब-इंस्पेक्टरों के विरुद्ध बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई गई तथा एक सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध ए० डी० एम० "जे" मथुरा की अदालत में एक इस्तगासा दायर किया गया । पुलिस के किसी भी उच्च अधिकारी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट या इस्तगासा नहीं दायर किया गया ।

## बिसावली निवासी श्री कुंवरपाल के घर डकैती

*६९—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या यह सही है कि ६/७ मार्च, १९६२ की रात को ग्राम बिसावली, थाना राया, जिला मथुरा में श्री कुंवरपाल के यहां डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो उसमें कितने का माल लूटा गया था ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—जी हां । इस डकैती में २७,००० रु० से ऊपर का माल लूटा गया जिसमें जेवर, नकद व कपड़े शामिल हैं ।

*७०—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें कितने व्यक्तियों का अभी तक चालान हो चुका है और उस डकैती के सिलसिले में क्या कार्यवाही हो रही है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—अभी तक केवल ६ व्यक्तियों का चालान किया गया है । इनके अतिरिक्त ३ व्यक्तियों ने अपने आपको अदालत में हाजिर कर दिया है और वे जमानत पर रिहा कर दिये गये हैं । उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

## पिंडरा ब्लाक में अनुदानों का वितरण

*७१—**श्री ऊदल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिंडरा ब्लाक, तहसील व जिला वाराणसी में कितने लोगों को, जब से ब्लाक बना है, पानी पीने के कुयें तथा पम्प के लिये अनुदान दिया गया है ? उनके नाम व गांव क्या हैं ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—इस प्रसंग का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३४–८३५ पर)

*७२—**श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ब्लाक में किन-किन गांव सभाओं को तथा व्यक्तियों को खड़ेजा, पशुओं की चरही तथा कम्पोस्ट को बनाने के लिये रुपया दिया गया ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—इस प्रसंग का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३४–८३५ पर)

## फतेहपुर जिले में कुछ ग्राम प्रधानों को चार्ज न मिलना

*७३—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिला में सन् १९६१ में गांव सभाओं के चुनाव हो जाने के पश्चात् अब तक कितने ग्राम प्रधानों को अपने पद का चार्ज नहीं मिल पाया है और उनको चार्ज न मिलने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—फतेहपुर जिले की कुल १,०१५ गांव पंचायतों में से केवल ४ गांव पंचायतों के प्रधानों को अपने पद का चार्ज अभी तक नहीं मिल पाया है।

उपर्युक्त ४ गांव पंचायतों में से तीन गांव पंचायतों के भूतपूर्व प्रधान चार्ज देने से बराबर भाग रहे हैं और एक गांव पंचायत की जनता ने चुनाव में भाग नहीं लिया। इस गांव में भी जिलाधीश ने १२ अप्रैल, १९६२ को नियमानुसार सदस्यों का नामांकन करके गांव पंचायत का गठन कर दिया है।

## विकास क्षेत्र अधिकारी, दानपुर का तबादला न होना

*७४—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ऐसे कितने बी०डी०ओ० हैं जो तीन साल की अवधि से ज्यादा समय से एक ही विकास खंड में काम कर रहे हैं और उनके तबादला न करने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—केवल विकास क्षेत्र अधिकारी, दानपुर को एक विकास खंड में कार्य करते तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है। तबादला न करने का कारण यह है कि सरकारी आदेशानुसार एक विकास क्षेत्र अधिकारी एक खंड में पांच वर्ष तक कार्य कर सकता है।

## रिटायर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को एण्टीसिपेटरी तथा पूरी पेन्शन

*७५—श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६२ को प्रदेश में कितने गजटड अधिकारी तथा अन्य सरकारी कर्मचारी रिटायर किये गये ह और उनमें से कितनों को एण्टीसिपेटरी पेंशन अथवा पूरी पेंशन दी गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ जनवरी, १९६२ को इस प्रदेश में ४५१ गजटेड अधिकारी तथा २,८०० अन्य सरकारी कर्मचारी रिटायर किये गये हैं। उनमें से ५० गजटेड अधिकारियों और ६८८ अन्य सरकारी कर्मचारियों को एण्टीसिपेटरी पेंशन तथा ६ गजटेड अधिकारियों और २१५ अन्य सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी गई है।

## जिला उद्योग कार्यालय, बलिया के कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें

*७६—श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उद्योग कार्यालय, बलिया के कर्मचारियों के संबंध में १ नवम्बर, १९६१ से २४ मार्च, १९६२ तक अशिष्टता और भ्रष्टाचार के संबंध में कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री फूलसिंह—इस अवधि में १२ शिकायतें आईं। उन पर ज्वाइंट डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज (ईस्टर्न जोन), वाराणसी ने जांच की। कुछ शिकायतें निराधार पाई गईं तथा शेष के फलस्वरूप दो कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया। जिला उद्योग अधिकारी का तबादला भी किया जा रहा है।

*७७—श्री काशीनाथ—क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त जिला उद्योग कार्यालय में उद्योग समिति की बैठक नियमित रूप से न बुलाने की शिकायतें भी सरकार के पास आयी हैं और क्या यह भी सच है कि १४ नवम्बर, १९६१ को हुई जिला उद्योग समिति की बैठक में स्थानीय उद्योग अधिकारियों के विरुद्ध कुछ सदस्यों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया?

श्री फूलसिंह—जी हां। समिति की १३ अक्तूबर, १९६१ की बैठक में जिला उद्योग कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का प्रसंग आया था, उक्त बैठक की कार्यवाही की पुष्टि १४ नवम्बर, १९६१ की बैठक में की गई।

## मुजफ्फरनगर जिले में पुराने गजटेड अधिकारी

*७८—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर में कौन-कौन ऐसे गजटेड अधिकारी हैं जिनको जिले में ३ वर्ष से ऊपर हो गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८३६ पर)

## फैजाबाद जिला अन्तर्गत थानेवार अपराध की घटनायें

*७९—श्री सुखरामदास—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फैजाबाद के प्रत्येक थाने में सन् १९६१-६२ में कितने कत्ल, बलवा और चोरियां हुई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं संकलित की जाती, अतः कलेंडर वर्ष के अनुसार १९६१ तथा ३१-३-६२ तक की सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८३७ पर)

## फतेहपुर जिले से थानेवार मुकदमे

*८०—श्री रघुवीरसहाय (जिला फतेहपुर)—क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में फतेहपुर जिले के प्रत्येक थाने से कितने मुकदमें अदालत भेजे गये और उनमें से कितने छूटे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वित्तीय वर्ष १९६१-६२ तथा १ अप्रैल, १९६२ से २६ अप्रैल, १९६२ तक के मुकदमों की सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८३८ पर)

## कानपुर जिले से थानेदारों के विरुद्ध शिकायतें तथा घाटमपुर थानान्तर्गत कत्ल

*८१—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर थाना घाटमपुर में गत वर्ष में कितने कत्ल हुये और क्या यह सच है कि कत्ल करने वालों में सभी मुल्जिमों की जमानतें जिला अदालतों से ही हो गई। इस कानूनी ढिलाई करने के जिम्मेदार कौन अधिकारी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत एक वर्ष (१९६१) में उक्त थाने के अन्तर्गत ५ कत्ल हुए। इनसे संबंधित सभी मुकदमों में सेशन अदालत से अभियुक्तों की जमानत हो गई थी। इसमें किसी अधिकारी के कानूनी ढिलाई करने के लिये जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता। सेशन अदालतों को कानून के अन्तर्गत जमानत स्वीकार करने के अधिकार प्राप्त हैं। उसी के अनुसार ये जमानतें मंजूर की गई थीं।

*८२—श्री शिवनाथसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत थाना बिल्हौर, थाना सिकन्दरा, थाना भोगनीपुर, घाटमपुर, नर्वल, थाना पूसानगर के किन-किन दरोगाओं के खिलाफ लोगों का झूठा चालान करने, पक्षपात पूर्ण जांच करने व जुर्मों को कम करने व छिपाने के संबंध में गृह मंत्री, जिला तथा सूबा पुलिस अधिकारियों के पास १ जनवरी, १९६२ से २७ मार्च, १९६२ तक कितनी शिकायतें पेश हुई हैं और उनके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—वांछित सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ८३९–८४० पर)

## फतेहगढ़ के निकट गंगा नदी में कथित नौका–दुर्घटना

*८३—**श्री ऊदल तथा श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या सरकार को पता है कि फतेहगढ़ के पास गंगा नदी में इसी माह में यात्रियों से लदी हुई एक नाव डूब गई जिसमें ४० व्यक्ति मर गये ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही अब तक की है और मरे हुये व्यक्ति कहां-कहां के रहने वाले थे उनके नाम क्या हैं ? क्या सरकार ने कुछ सहायता भी उनके परिवार वालों को दी है ?

**श्रीमती सुचेता कृपालानी**—दिनांक १२ मार्च, १९६२ को एक नाव जो हरदोई की ओर से गंगा नदी द्वारा ग्राम गौरी को जा रही थी जिसमें लगभग ६० यात्री ११ टट्टू तथा अन्य सामान लदा था । इस नाव में छेद हो जाने के कारण कुछ पानी आ गया जिसको यात्रियों ने दो-तिहाई फासला तय हो जाने के पश्चात् देखा । पानी देख कर यात्री घबरा गये और नाव पर वजन कम करने के लिये कुछ सामान नाव पर से नदी में उतार दिया । टट्टू पानी में कुदा दिये गये ताकि वे तैर कर निकल जायं । साथ ही जो यात्री तैरना जानते थे वह भी कुछ एक ओर तथा दूसरी ओर तैर कर निकल गये । नाव उथली जगह पर रुक गई ।

जांच के पश्चात् ज्ञात हुआ है कि किसी भी व्यक्ति तथा पशु की मृत्यु इस दुर्घटना के कारण नहीं हुई, अतः किसी प्रकार की सहयता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

## कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष**—मेरे पास कार्य-स्थगन प्रस्ताव की दो सूचनायें आयी हैं और एक नियम ५२ की आई है । माननीय उग्रसेन जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, मगर उसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है, कार्य-स्थगन के रूप में नहीं।

एक नरसिंह नारायण जी का कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है, उसको मैंने अस्वीकृत किया है ।

माननीय उग्रसेन जी का प्रस्ताव इस प्रकार है—

"गन्ना सहकारी समिति, बढ़नी, जिला बस्ती के गन्ना किसानों का १ लाख ९० हजार मन गन्ना बढ़नी, परसा, सोहरतगढ़, चिल्हिया तथा उस्का बाजार केंद्रों पर चीनी मिल, तुलसी पुर, गोंडा, तथा आनन्द नगर, गोरखपुर ने लेना बन्द कर दिया है । इसी प्रकार तुलसीपुर यूनियन के पचपेड़वा और भोलापुर का १,७०,००० मन गन्ना उक्त दोनों मिलें नहीं ले रही हैं। वे सभी उक्त केंद्रों से अपने कांटे हटा रहे हैं । इस प्रकार ७ हजार गन्ना किसानों का ३ लाख ६० हजार मन गन्ना खड़ा खेतों में सूख रहा है और गन्ना किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । अतः उक्त विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है ।"

इसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है । संबंधित मंत्री महोदय के पास इसको भेज दिया गया है, वे क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आज, या कब वक्तव्य देंगे ?

**सूचना राज्यमंत्री (श्री बनारसीदास)**—अध्यक्ष महोदय, संबंधित विभाग से सूचना मांगी गयी है । ७ तारीख को वक्तव्य दे सकूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, टेलीफोन से इतना तो कह दिया जाय कि वे कांटों को न उखाड़ें ?

श्री अध्यक्ष—वह तो आपने बता दिया, बैठिये ।

अब एक प्रस्ताव कार्य-स्थगन का माननीय नरसिंह नारायण जी का है । उसके संबंध में उन्होंने यह शिकायत की है कि रिकवरी बहुत कम मिलों में दिखलाई जा रही है । यह मैं समझता हूं कि कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं हो सकता और अल्पसूचित प्रश्न का विषय हो सकता है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कृपया अल्पसूचित प्रश्न कर दें ताकि इस संबंध में पूरे तौर पर जानकारी हो जाय । फिर इसके ऊपर विचार किया जा सकेगा ।

## श्री अध्यक्ष से भेंट करने के समय के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे इस बात का खेद है कि साढ़े दस बजे के बाद स्वभावतः माननीय सदस्यों की यह इच्छा होती है कि वे अपनी सूचनाओं के संबंध में कुछ मुझ से कह दें । साढ़े १० और ११ के बीच में मैं स्वयं थोड़ा सा ब्यस्त रहता हूं ताकि जो सूचना मेरे पास आती हैं उन पर मैं शांतिपूर्वक विचार करके अपना निर्णय दे सकूं । तो अगर साढ़े दस बजे के बाद माननीय सदस्य मेरे पास आते हैं तो मेरे शांतिपूर्वक विचार करने में थोड़ा सा व्यवधान होता है । मैं स्वयं १० बजे के पहले ही आ जाता हूं और मैं माननीय सदस्यों का आभारी होऊंगा अगर वे कृपा करके १० बजे आकर मुझसे बात कर लिया करें ताकि साढ़े १० बजे और ११ बजे के बीच में मैं निर्णय दे सकूं । आज माननीय नरसिंह नारायण आये थे और मेरे आदेशानुसार उनको मिलने के लिये मेरे पी०ए० ने अनुज्ञा नहीं दी । उनको अगर इसका खेद हुआ है तो मुझे स्वयं खेद है, लेकिन मैंने अपनी जो दिक्कत है वह आदरणीय सदन के समक्ष रख दी और आशा है कि माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा निवेदन यह है कि आप बार-बार कहते हैं कि माननीय सदस्यों को जो तकलीफ है वह मुझ से कमरे में आकर मिल लें और कह दें और पुराने अध्यक्ष यही किया करते थे और बड़े प्रेम से मिलते थे । अगर ऐसा ही था तो आप यह बतला देते कि इतने बजे से इतने तक नहीं मिलेंगे ....

श्री अध्यक्ष—क्या अब भी कुछ कहना बाकी है, जो मैंने बात कही ?

श्री उग्रसेन—मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन आप लिखकर टंगवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, मैंने सदन के समक्ष कह दिया ।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—मैंने दफा ५२ का नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ । बड़ा खतरा है, क्या हम लोग आपस में लड़ें ? इसको महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना ?

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—मैंने पिछली बार कहा था कि दफा ५२ और कामरोको प्रस्ताव दोनों करने का अधिकार है । कामरोको प्रस्ताव को महत्व तो देते हैं, लेकिन ५२ में जब बदल देते हैं तो उसका क्या होगा, इस संबंध में आपने विचार करने को कहा था, अब तक कुछ नहीं हुआ.... ।

श्री अध्यक्ष—मैंने कभी नहीं कहा कि विचार करूंगा । मुझे सुझाव दिया गया था कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव आये तो बजाय इसके कि उसको अस्वीकार किया जाय, यदि वह लोक-महत्व का प्रश्न है तो उसको नियम ५२ में परिवर्तित कर दिया जाय, उसको मैंने स्वयं स्वीकार कर लिया है । आप कैसे प्रश्न करते हैं, जब मैंने स्वयं अनुज्ञा दे दी है ।

श्री दीपनारायण सह—मैं कई बार आप से कह चुका हूं.... ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये ।

## १९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल)

कारागार राज्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४-कारागार (जेल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,१३,१४,९०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है और मुझे सूचना मिली है कि इस पर विवाद नहीं होगा अतः मैं इसे सदन के समक्ष रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४—कारागार (जेल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरित १,१३,१४,९०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## अनुदान संख्या १५—पुलिस

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,७५,५०,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जिस विभाग का अनुदान मैंने अभी पेश किया है उसका एक विशेष स्थान हमारे शासन में है । हमारे जनसाधारण के बुनियादी अधिकार, जान-माल की रक्षा और शान्ति -व्यवस्था का गुरुतर भार इसी विभाग के ऊपर है, और इसी विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है । मान्यवर, पिछले वर्षों में, १९६१ का वर्ष जो बीत गया, वह इस विभाग के लिये एक विशेष वर्ष था, इस मानी में कि १९६१ में इस विभाग ने अपने जीवन के सौ साल पूरे किये और शताब्दी मनाई गई । अक्तूबर के महीने में सारे प्रदेश में इस संबंध में आयोजन किये गये, जनता से सम्पर्क भी स्थापित किया गया, अखबारों में भी लेख तथा टीका-टिप्पणियां हुई जिसमें हमारे देश के जनमान्य नेताओं ने अपने विचार रखे । मान्यवर, जो धनराशि मैंने इस समय सदन के सामने पेश की है उससे स्वयं स्पष्ट है कि जो वोट आन एकाउन्ट हो चुका है उसके द्वारा २,९१,४८,००० रुपये के लगभग की स्वीकृति दी जा चुकी है, उसके अलावा यह धनराशि है । अतएव इस वर्ष का बजट ११,६६,९८,१०० रु० का हो जाता है । पिछले साल का बजट अगर देखा जाय तो उसकी धनराशि १०,५१,७२,२०० रु० की थी । उससे इस वर्ष बजट की धनराशि १,१५,२५,९०० रु० अधिक है । मान्यवर, में थोड़ा समय इसके कारणों पर आपकी आज्ञा से लेना चाहूंगा ।

यह सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश की आबादी और आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे पास जो पुलिस की संख्या है वह बहुत कम है । दूसरी बात यह है कि हम अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण, पुलिस को जो माडर्नाइज करना चाहते थे, उसकी मोबिलिटी

[श्री नवलकिशोर]

को बढ़ाना चाहते थे वह नहीं कर पाये। इस विभाग में बहुत सी कमियां थीं इसलिये इस बीच में सरकार ने १९६० में एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति की और उसको अधिकार दिया गया कि विभिन्न समस्याओं, कमियों और खराबियों पर विचार करके वह अपनी रिपोर्ट दे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट अगस्त, १९६१ में दी। सरकार ने उस पर विचार किया और उसकी बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार भी किया। १,१५,२५ हजार रुपये का जो इस साल एक्सेस है उसका विशेष कारण यह है कि इसमें ९८,५८,५०० रु० का व्यय पुलिस कमीशन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने तथा कुम्भ के कारण बढ़ रहा है। इसके अलावा १,०८,१०० रु० का व्यय न्यू डिमान्ड्स के अन्तर्गत मांगा गया है जिसमें साइकिल, टाइपराइटर वगैरह आते हैं। १५,५९,३०० रुपये एलाउन्सेज, भत्ते, ट्रेवेलिंग एलाउन्सेज वगैरह के लिये बढ़ गये हैं।

अब मैं दो-चार बातें कहूंगा जो इस विभाग के संबंध में सरकार करने जा रही है। सभी को मालूम है कि पिछला सप्लीमेन्ट्री बजट जब आया था उस समय इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कुछ सिफारिशों को माना गया जिसके अन्तर्गत सब-इंस्पेक्टर्स, हेड-कांस्टेबिल और कांस्टेबिल के ग्रेड्स को बढ़ाया गया। उसके डिटेल में मैं इस समय जाना उचित नहीं समझता, क्योंकि वह सभी को मालूम ही है यद्यपि उसी एक आइटम से ८७ लाख का व्यय सरकार पर बढ़ जाता है। इसके अलावा यह भी निर्णय किया गया है कि इस वर्ष में सिविल पुलिस में १२५ सब-इन्सपेक्टर्स और २००० कांस्टेबिल्स नये भरती किये जायेंगे, और ३ सब-इंसपेक्टर, ६४ हेड कांस्टेबिल तथा ३८४ कांस्टेबिल हम आर्म्ड फोर्स में नये भर्ती करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फ्लाइंग स्वेड, जिसका कार्य हमारी स्टेट में बहुत अच्छा रहा है, उसको १५ नये डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ाया जा रहा है। इसमें से आगरा और मेरठ जिले में दो-दो और शेष में एक एक यूनिट स्थापित किया जायेगा। इसके अलावा जो नये सबइंसपेक्टर्स और पब्लिक प्रासीक्यूटर्स ट्रेनिंग में जायेंगे उनको ८० रुपया माहवार हम वजीफा देंगे। इसके साथ ही साथ सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि सर्किल इंसपेक्टर्स और कंपलेन्ट आफीसर की पोस्ट्स को समाप्त कर दिया जाय। अब इन सर्किल इंस्पेक्टरों के स्थान पर बड़े-बड़े थानों के इंचार्ज इंसपेक्टर्स रहेंगे।

जहां तक पुलिस विभाग का ताल्लुक है, उसमें पर्सोनल की तनख्वाह पर तथा उनके ट्रेवलिंग एलाउन्स पर ८० प्रतिशत खर्च किया जाता है। शेष २० प्रतिशत यूनीफार्म्स तथा आर्म्स आदि पर खर्च किया जाता है। सदन में अकसर इस बात की शिकायत की जाती है कि पुलिस विभाग का खर्चा हर साल बढ़ता ही जाता है। यद्यपि में सिद्धान्ततः इस बात को मानता हूं कि हमारे प्रदेश की आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा बजट भी बढ़ रहा है लेकिन यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो इस विभाग में अनुपात वैसा नहीं है। यदि आप दो तीन सालों के आंकड़ों को देखे तो आपको मालूम होगा कि—

| वर्ष | | | पुलिस बजट रुपयों में | रेवेन्यू का प्रतिशत | खर्चे का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| १९३८–३९ | .. | .. | १,६७,६०,००० | १३ | १३.२ |
| १९५९–६० | .. | .. | ९,४१,८९६०० | ७.८७ | ७,७५ |
| १९६२–६३ | .. | .. | ११,६६,९८,१०० | ६.५५ | ६.१० |

इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि जब हमारा बजट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके अनुपात में पुलिस का बजट घट रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, यदि आप दूसरे सूबों को

देखे तो आपको मालूम होगा कि हमारे यहां उनके यहां से प्रतिशत कम है। १९५९ में पंजाब में उसका प्रतिशत ८.७२, वेस्ट बंगाल में ९.६ प्रतिशत, बिहार में ७ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में ७.८७ प्रतिशत।

श्री अध्यक्ष—यह प्रतिशत आप रेवेन्यू पर बता रहे हैं या एक्सपेंडीचर पर ?

श्री नवलकिशोर—रेवेन्यू पर।

इस प्रकार सिवाय बिहार के हमारे यहां प्रतिशत कम है और दूसरे सूबों के मुकाबले में खर्चे के अतिरिक्त संख्या भी हमारे यहां सिर्फ ६७,२६८ है। यदि हम फोर्स को देखें तो मालूम होगा कि हमारे यहां एक लाख के ऊपर ९१ है जब कि मद्रास में ९७, मध्य प्रदेश में १३६, वेस्ट बंगाल में १४५, बाम्बे में १८९, पंजाब में १९८ और बिहार में ७८ है। इस प्रकार से सिर्फ बिहार को छोड़ कर और सूबों से हर फी लाख पर हमारे यहां जो पुलिस फोर्स है वह हिन्दुस्तान की और रियासतों से कम है।

इसके अतिरिक्त पर-कैपिटा ऐक्सपेंडीचर के जो आंकड़े हैं वह भी बिहार को छोड़कर और सब जगहों से कम है। हमारे यहां १.८८ न० पै० है जब कि बिहार में १४६ न० पै० हैं। सबसे अधिक बाम्बे और पंजाब में २.२८ व २.२७ है। बाकी और सूबों में भी बहुत काफी ज्यादा है। इस संबंध में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो हमारा बजट है इस के अन्दर वह भी धनराशि शामिल है जो हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलने वाली है। और वह भी छोटी-मोटी धनराशि नहीं है बल्कि वह ८९,१७,६०० रुपये की रकम है। उसमें तीन आइटम हैं, एक तो मान्यवर, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की तरफ से जो स्पेशल फोर्स हम मेन्टेन करते हैं उसके लिये ४८,६७,६०० रुपये मिलता है। रेलवे फोर्स जो हमने अपने यहां रखा है उसके लिये करीब ३१ लाख रुपये वहां से मिलते हैं और इसी तरीके से जो पी० ए० सी० आन डेपुटेशन है उसकी धनराशि भी करीब ९,५०,००० रुपये हैं और इस तरह से कुल ८९,१७,६०० रुपये हो जाते हैं।

इसके अलावा हमने अपने प्रदेश के दो कवाल टाउन्स लखनऊ और कानपुर में कंट्रोल रूम्स बनाये ह। कानपुर को तीन सेक्टर के अन्दर डिवाइड किया है जहां चौबीस घंटे पैट्रोलिंग होती रहती है। लखनऊ को हमने दो सेक्टर के अन्दर डिवाईड किया है जहां १६ घंटे पैट्रोलिंग होती है। हम चाहते हैं कि यहां भी चौबीसों घंटे पैट्रोलिंग हो लेकिन आर्थिक सीमा की वजह से हमें कठिनाई होती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और जैसा मैंने अर्ज किया—हम इस बात की कोशिश कर रहे है कि १५ जिलों के अन्दर और इसको चालू करें। टियर गैस स्क्वाड आज कल ११ जिलों में है, ६ और जिलों में इसे बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष में इसी तरह से उनकी संख्या १७ तक पहुंचने वाली है। इस वर्ष के अन्दर हमारे सूबे में फ्लाइंग स्क्वायड का काम बहुत सफल रहा है।

एक बात मैं आप की आज्ञा से और कह दूं कि इस बात को आगे कहा जा सकता है कि इधर अपराध बहुत बढ़े, मैं इस बात को स्वयं भी मानता कि यह बात सही है कि पिछले दो-तीन साल में जब से सरकार ने आदेश दिया है कि अपराधों के सही रेकार्ड व रजिस्ट्रेशन किये जायं, तब से अपराध बढ़े है। मैं केवल दो ही साल के फीगर्स देता हूं जो कि मेरे पास ह ताकि समय की बचत हो। सन्१९५२ में डकैती ९५२ पड़ीं जबकि सन् १९६१ में १,७५१ पड़ी, राबरी सन् ६० में ५४२ हुई जब कि सन् ६१ में १,२५५ हुई, मर्डर्स जहां सन् ६० में ६५६ हुए वहां सन् ६१ में २,१०१ हुए। स्पस्ष्ट है कि मर्डर्स की संख्या करीब दुगनी-तिगुनी बढ़ी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—कत्ल की रिपोर्ट भी पहले नहीं लिखी जाती थी।

श्री नवल किशोर—यह प्रश्न है कि जो कत्ल होते थे उसकी रिपोर्ट पहले होती थी या नहीं ? बहरहाल, मैं अर्ज कर रहा था कि एक कारण यह भी है कि अब सही रिपोर्ट दी जाती

[श्री नवल किशोर]

है । दूसरा कारण यह है कि यहां की आबदी बढ़ रही है । किसी भी देश में ज्यों-ज्यों औद्योगीकरण होता है त्यों त्यों वहां क्राइम्स का बढ़ना स्वाभाविक है । हमारे यहा जो चुनाव होते हैं और उसमें जो पार्टीबाजी होती है, उसके कारण भी अपराध बढ़ते हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि आज अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे सरकार सन्तुष्ट है, बल्कि सरकार तो बराबर इस बात की कोशिश कर रही है कि अपराधों के अन्दर कमी होनी चाहिये और उन अपराधों की रोकथाम जहां तक हो अधिक से अधिक करनी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि सही तौरपर अपराधों के लिखने के लिये जो हमने आदेश दिये उसकी सारे देश में प्रशंसा हुई है और दूसरे प्रदेश इसका अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने इस बात को साफ कर दिया है कि अपराधों की संख्या कम दिखाने में एफीशिएंसी का स्टैंडर्ड नहीं माना जायगा, बल्कि सही आंकड़े दिखलाना ही एफिसिएंसी का स्टैंडर्ड होगा और इसी आधार पर आफिसरों की तरक्की व दंड की व्यवस्था होगी। जो अपराधों को छिपायेगा उसे भी दंड दिया जायगा। लिहाजा में समझता हूं कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और लोग ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकेंगे ।

इस संबंध में एक बात खुशी की यह भी है कि इस ड्राइव को सफल करने के लिये कुछ गजेटेड आफिसर्स को यह भी आदेश हैं कि वे छिपकर जांय और थानों के अन्दर फिक्टिशस रिपोर्ट लिखायें जिससे यह अन्दाज हो सके कि रिपोर्ट ठीक लिखी जाती है या नहीं, नक्ल मिलती है या नहीं, पैसा लोग लेते हैं या नहीं और लोगों के साथ उनका विहवियर कैसा है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से वह सारी चीज की जा रही हैं जिससे जनता और पुलिस का संबंध अच्छा हो और रिपोर्ट भी ठीक से लिखी जा सकें ।

मुझे इस बात की खुशी है कि सन् १९६१ में जो ऐंटी-डैकायटी आपरेशंस हुये हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनमें काफी कामयाबी रही है । जो डकैत मारे गये हैं उनकी संख्या ७४ है और जो पकड़े गये हैं उनकी संख्या है ९,९५२ । सन् १९६२ के इन साढ़े तीन महीनों में ५७ या ५८ इनकाउन्टर्स हुये हैं जिनमें से १४ इंटर-डिस्ट्रिक्ट तथा इंटर स्टेट गैंग भी थे उनको खत्म किया गया । एक देवीसिंह नाम का कुख्यात डाकू था वह मारा गया जिसके लिये १७ हजार का इनाम था, २ हजार का हमारे स्टेट का और १५ हजार मध्य प्रदेश सरकार का था। हमारी तथा मध्य प्रदेश की पी० ए० सी० के आफिसर्स और सिपाहियों ने उसे लिक्वीडेट किया। यह तारीफ की बात है और मैं, मान्यवर, आपके द्वारा उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने मेहनत के साथ जान पर खेल कर उनको लिक्वीडेट करने में सहायता पहुंचाई है बधाई देना चाहता हूं । यूं भी हमारी पी० ए० सी० का हर जगह जहां भी वह भेजी गई उसकी बड़ी प्रशंसा हुई है ।

मैं इस समय बहुत से आंकड़ों में तो नहीं जाऊंगा लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े डेवलप्ड, कंट्रीज, जैसे अमेरिका और इंगलैन्ड हैं, वहां भी इंसीडेंस आफ क्राइम उत्तर प्रदेश के मुकाबले में १० से १२ गुना तक ज्यादा हैं ।

मान्यवर, हमारे डाग स्क्वाड्स, यानी जो कुतियां हमारे यहां आयी हुई हैं जिनको हमने पुलिस में इंट्रोड्यूस किया है वह क्राइम्स को पकड़ने में बहुत सफल साबित हुई हैं । उन्होंने ९३ केसेज को पकड़ा । सरकार का इरादा है कि जितने भी हमारे कवाल टाउन्स हैं उनमें इस डाग स्क्वाड को बढ़ावें ताकि उनकी सेवाओं का फल और उपयोग औरों को भी प्राप्त हो सके ।

मान्यवर, मैं विलेज डिफेन्स सोसाइटीज के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । इस बात को देखते हुये कि हमारी आबादी बहुत बढ़ी है और यह भी देखते हुये कि हमारे पास पुलिस फोर्स कम है, जनता में आत्म-निर्भरता लाने के लिये ग्राम रक्षा दल का निर्माण किया गया । मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । उन्होंने डकैतों का मुकाबला

किया है। दूसरा फायदा इससे यह भी हुआ है कि जनता और पुलिस के बीच में एक स्वच्छ वातावरण पैदा हुआ है और संबंध अच्छे हुये हैं। इन पिछले तीन महीनों में १६५ मौके ऐसे आये जिन में इन विलेज डिफेन्स सोसाइटियों को तथा, गांववालों को, डकैतों का मुकाबला करना पड़ा। १९ डाकू इन मुकाबलों में मारे गये और ६५ व्यक्ति इन्होंने पकड़ लिये। यह बात भी सही है कि इसमें ३२ भाई गांवों के मारे गये और ३२४ जख्मी हुये। इस संबंध में बुलन्दशहर की जो विलेज डिफेन्स सोसाइटी है उसने अपने जिले में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने काफी धन चन्दे से इकट्ठा किया और उसको सरकार को दिया है जिनसे करीब सवा तीन सौ बन्दूकें खरीदकर उनको दे दी गई हैं। आगरे में भी ऐसी योजना है तो अगर हमारे लोग ऐसी स्कीम में दिलचस्पी लें तो यह स्कीम बहुत अच्छी तरह से कामयाब हो सकती है।

मान्यवर, सौभाग्य से इसी वर्ष हमारे यहां कुम्भ मेला भी हुआ तथा आम चुनाव हुये। कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट शब्दों में बताया था कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी ह उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ चौबीसों घंटे पानी में खड़े हो कर ड्यूटी को अंजाम दिया है। उन्होंने स्वयं यह कहा था कि पुलिस फोर्स ने भी बड़ी ही मेहनत से काम किया है और यह उनके लिये भी गौरव की बात है और उनकी क्षमता की परिचायक भी है। ऐसी ही क्षमता व परिश्रम के साथ चुनाव में भी काम किया गया।

एक बात अवश्य है कि पुलिस के जो मकानात हैं और बिल्डिग्ज हैं उन की स्थिति बहुत असंतोषजनक है। उसके थानों की बिल्डिंग्ज की हालत अच्छी नहीं है, यहांतक कि जो हमारा मुरादाबाद का पुलिस ट्रेनिंग कालेज है और जो सीतापुर में स्कूल है उनकी बिल्डिंग की हालत बहुत बुरी है। लेकिन अगर हम सबको लें तो हमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। जो अभी मौजूदा आर्थिक ढांचे में संम्भव नहीं है। मुझे खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में एक स्कीम चलाई और इस कार्य के लिये २ करोड़ से कुछ ऊपर रुपया दिया है जिस का प्रयोग किया जा रहा है। और सरकार ने पी० डब्लू० डी० के बजट में भी ३ करोड़ रुपया इसके लिये रखा है जिस से १५० थाने और कुछ आउट पोस्ट बनाये जायेंगे, इतना मैं आप की आज्ञा से माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं।

एक बड़ी शिकायत यह भी रही है और वह सही भी है कि जनता में और पुलिस में जितनी सद्भावना और सुन्दर संबंध होना चाहिये वह किसी कारण से नहीं हो पाया है। इस का क्या कारण है इस में तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन अंग्रेजी जमाने में जिस काम के लिये यह फोर्स बनाया गया था वह यह था कि एक गुलाम देश में डंडे के साथ हुकूमत हो। लेकिन अब स्वतन्त्रता के बाद वह परिस्थिति बदल गई है और देश आजाद हो गया है। अब वह दृष्टिकोण और पुलिस की जिम्मेदारियां सभी बदल गये हैं और सरकार की चेष्टा है कि इस जनतांत्रिक युग में और खास तौर से नियोजन के युग में जो जिम्मेदारियां पुलिस पर आई हैं उनको वह सफलता के साथ पूरा करे। यह सही है कि गलतियां होती हैं, मैं नहीं कहता कि सब अच्छे हैं, सब तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन को हम ब्लैकशीप कह सकते हैं लेकिन सरकार की कोशिश है कि जो गलत आदमी हैं उन को वीड आउट करने की कोशिश की जाय और इस संबंध में सरकार की तरफ से कदम भी उठाये जाते हैं। जनता से अच्छे संबंध बनाने के लिये सरकार ने यह किया है कि कुछ हफ्ते मनाये जांय जैसे कर्टसी वीक मनाया जाता है। उन के द्वारा इस बात की कोशिश की जाती है कि जनता के और पुलिस के संबंध अच्छे बनाये जायं। जो गांव के प्रधान हैं, जो जनता के चुने हुये नुमाइन्दे ह, जो अफसर लोग ह वह दौरे पर जायं तो उन की मीटिंग बुलाकर, बीच में बठाकर संबंध पैदा करें, एक दूसरे की बातों को सुनें और आपस के संबंधों को अच्छा बनान की कोशिश की जाय, इस सब का इन्तजाम किया गया है। पुलिस को यह भी आदेश हैं कि सब के साथ अच्छा और नम्र व्यवहार समान रूप से करना चाहिये और छोटे-बड़े का कोई खयाल न किया जाय।

[श्री नवलकिशोर]

इस के अलावा सूचना केन्द्र, फ्लाइंग स्क्वैड, मिसिंग ब्वाइज स्क्वैड यानी जो बच्चे खो जाते ह उनका पता लगाकर उन के मां-बाप तक पहुंचाने का एक अलग दस्ता है। इसके अलावा एक और 'ऐनी सर्विस स्क्वैड' है जो और पब्लिक की जरूरतें है उन को पूरा करता है। इसक अलावा जो कम वेतन वाला पर्सनल हैं उसकी फेमिली को सहायता पहुंचाने के लिये भी सुविधायें दी गई है। मिसाल के तौर पर उन के लिये वेलफेयर सेन्टर बनाये गये हैं जिनमें उन की स्त्रियों को निटिंग, इम्ब्रायडरी व टेलरिंग का काम सिखाया जाता है और उन की सहायता होती है। मिडवाइव्ज और नर्सेज को भी मेटरनिटी सेन्टर्स में रक्खा गया है।

यह सही है कि पुलिस फोर्स की बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन इस से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन की ड्यूटी भी बहुत सख्त हैं। आग लगती है या बाढ़ आती है तो ऐसे कठिन मौकों पर उन्हें काम करना पड़ता है।

एक बात और अन्त में कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह है, उस संबंध में आज प्रश्न भी किया गया और मैंने उस के उत्तर में सरकार की तरफ से बता दिया कि पुलिस कमीशन जो बैठा था उसकी बहुत सी सिफारिशें हमने मानी हैं और बाकी अभी सरकार के विचाराधीन हैं। हमको कुछ आर्थिक सीमाओं के अन्दर रहकर काम करना पड़ता है और यह सीमायें ज्यों-ज्यों ढीली पड़ेंगी सरकार उस की बाकी सिफारिशों पर भी अमल करने की कोशिश करेंगी।

एक बात मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि यह जो पे स्केल्स हमने बढ़ाये हैं उसके साथ ही कांस्टेबिल की जो भरती होती है उसमें शिक्षा की योग्यता को बढ़ाया है। स्कूल के इंस्ट्रक्टर जाते थे उनकी स्पेशल पे कम होती थी। उसको बढ़ाया गया है। इस मदद से शायद अब ज्यादा अच्छे लोग इंस्ट्रक्टरी में जाना पसन्द करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि स्पेशल पे बढ़ाने तथा एजूकेशनल क्वालिफिकेशंस बढ़ाने के बाद ज्यादा अच्छे लोग हमारी पुलिस फोर्स में आयेंगे।

इन शब्दों के साथ जो यह मोटे मोटे अंग इस अनुदान के हैं मैंने उनको इस माननीय सदन के सामने पेश कर दिया है और मैं इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्य जो इसके ऊपर बोलें वे इन सब बातों को ध्यान म रखें। म यकीन दिलाता हूं कि जो भी सुझाव वह देंगे, उनम से जो अच्छे होंगे सरकार उन पर अवश्य ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ यह जो पुलिस अनुदान है इसको मैं माननीय सदन के सामने स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—कटौती के बहुत से प्रस्ताव हैं। उनम से माननीय यादवेन्द्रदत्त द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव है वह एक व्यापक सा प्रस्ताव है और उसी प्रस्ताव में अन्य प्रस्ताव जो आये हैं, समाविष्ट समझे जायेंगे। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी का जो प्रस्ताव है उसे माननीय बलवानसिंह प्रस्तुत करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय बलवान सिंह का प्रस्ताव भी इसी प्रकार का है तो वह अपने प्रस्ताव पर ही बोलें, माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव पर क्यों ?

श्री अध्यक्ष—वह व्यापक है।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—मैं आपकी आज्ञा से एक रुपये की कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—जरा कायदे से रख दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवान्तसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कभी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मैंने बहुत ही गौर से माननीय मंत्री का भाषण सुना। लेकिन मुझे यह निवेदन करना है कि पुलिस कमीशन पर इतना रुपया खर्च हुआ और तीन साल से ज्यादा का समय उसमें लगा। उस संबंध में जब जब हमने सुझाव देने को कहा तो हमारे माननीय मंत्री जी यह कह कर टाल गये कि अभी कुछ सुझाव अंडर कंसीडरेशन हैं ।

आज पुलिस का ताल्लुक इस जनता से क्या है ? आज पुलिस के प्रति अच्छा भाव इस जनता का नहीं है, जिसे सद्भावना कह सकते हैं, दोस्ती कह सकते हैं, ऐसी कोई भावना यहां की जनता पुलिस के प्रति महसूस नहीं करती । वैसे तो यहां प्रजातांत्रिक प्रणाली के संबंध में कहा जाता है कि हमने इंग्लैंड की कापी की है। लेकिन यदि मैं इंग्लैंड की प्रणाली का सबूत दूं तो वहां पर यह नहीं है कि वहां की पुलिस जरायम को ही रोके बल्कि यह भी है कि वहां का पुलिसमैन अगर जनता के किसी आदमी के पास जाता है तो वह आदमी समझता है कि हमारे ऊपर मुसीबत आयेगी या कोई मुसीबत आज है। लेकिन आज हिन्दुस्तान का हर आदमी यह महसूस करता है कि अगर कोई पुलिसमैन उसके पास पहुंचता है तो वह समझने लगता है कि इस पुलिसमैन की वजह से ही उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। इस देश की जनता की सायकालोजी पुलिस के लिये दूसरी है। क्या माननीय गृह मंत्री इस सायकालोजी को बदलने के लिये तैयार हैं ?

हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने कितना रुपया बढ़ा दिया। अंग्रेजी जमाने में पौने दो करोड़ का बजट होता था और आज आप कहते हैं कि दस करोड़ से ज्यादा का है। आपने यह आंकड़े दिये कि १.४६ रुपया फी आदमी पुलिस पर खर्च होता है। ये आंकड़े ५८-५९ में माननीय कमलापति जी जब गृह मंत्री थे तब दिये थे। आज भी हू बहू उसी का रुटीन है ।

आप कहते हैं कि यू० पी० में सारे हिन्दुस्तान में बिहार को छोड़ कर पुलिस पर सब से कम खर्चा होता है। इससे कोई एफिशियेन्सी ज्यादा नहीं बढ़ती। एफिशियेन्सी तो इससे बढ़ती है कि यहां की जनता की सद्भावना पुलिस के प्रति हो, वह समझे यह कि पुलिस जनता को बचाने के लिये, उसकी सुरक्षा के लिये है, न्याय के लिये है। आज पुलिस का काम यह है कि जो बड़े लोग हैं और केवल मनीड पीपुल ही नहीं बल्कि जो ऐंटी सोशल एलीमेंट्स हैं उनके भी स्वार्थ की सिद्ध के लिये वह काम करती है ।

मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कानपुर में हजारों लोग बलिया और गोरखपुर से आते हैं। वहां जब पुलिस को किसी जुर्म के लिये किसी की तलाश होती है तो इन बेगुनाह आदमियों को पकड़ कर बन्द कर देती है क्योंकि वे लोग लावारिस होते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर ज्यादा जोर दें। मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं है कि आप पुलिस फोर्स को ज्यादा करें। ज्यादा से ज्यादा आप २५ सिपाही हर थाने पर कर देंगे क्योंकि आज १० और ११ के बीच में ऐवरेज है। अगर आप चाहेंगे कि फी घर पीछे एक पुलिस का कांस्टेबिल हो तो उससे भी जनता की भावना पुलिस के प्रति बदलने वाली नहीं है। इसलिये तादाद से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

इंग्लैंड की पुलिस का सम्बन्ध केवल जरायम से ही नहीं होता है, बल्कि अगर कोई नैचुरल कैलामिटीज भी आ जाती हैं तो वह सब से पहले और सबसे ज्यादा तेजी से जनता की सेवा करती है। यहां की पुलिस का क्या हाल है इसको मंत्री जी खूब जानते हैं। पिछली दफा गृह मंत्री ने कहा था कि इंग्लैंड की पुलिस पर ७० करोड़ रुपया खर्च होता है जबकि यहां केवल १० करोड़ रु० खर्च होता है, लेकिन रुपये खर्च करने से कोई चीज नहीं होती है। अगर आप मानव गुण को देखें तो वह बात रूपये से नहीं चलायी जाती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि आपने जो इंग्लैंड के डेमोक्रैटिक सिस्टम की कापी की है या आप इंग्लैंड पैटर्न पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुलिस के मनोविज्ञान को बदलना होगा। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं ।

[श्री बलवानसिंह]

सब से पहला मेरा सुझाव यह है कि पुलिस को दो विभागों में बांट दिया जाय। एक तो जुडीशियल पुलिस हो और दूसरी एक्जीक्यूटिव पुलिस हो या ला ऐन्ड आर्डर मेन्टेन करने वाली हो। जुडीशियल पुलिस की चर्चा है। मेरा खयाल ऐसा है कि अगर थाने में इनवेस्टीगेशन पुलिस अलग से हो तो जितने जरायम आज हो रहेहैं उनमें जरूर कमी आयगी। वैसे मंत्री महोदय ने इस बात की चर्चा की है और इस समय जरायम की तादाद ज्यादा है। १९५९ में ८४९ डकैतियां हुईं और १९६१ में उनकी तादाद १७५१ हो गई, यानी दुगुनी हो गई। इसी प्रकार से राहजनी भी दुगुनी हुई है और हत्यायें ड्योढ़ी बढ़ी हैं। इसके ऊपर मंत्री जी ने एक एक्सक्यूज लिया है कि आंकड़े देखने से ज्ञात होगा कि सभी अपराधों में वृद्धि हुई है, किन्तु वास्तविकता यह है कि यह वृद्धि केवल आंकड़ों में है जिसका मुख्य कारण है अपराधों का अब सही लिखा जाना, अभी तो इन आंकड़ों में और वृद्धि हो सकती है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि अब सही आंकड़े आने लगे? पहले विरोधी पक्ष के लोग कहते थे कि इस सूबे में डकैती, राहजनी कत्ल आदि लिखे नहीं जाते हैं, तो उधर से कहा जाता था कि आप लोग ठीक नहीं कहते हैं। पहले सरकार फिगर्स को छिपाती थी। लेकिन एक साल में इतना ज्ञान आ गया कि आप लिखते हैं कि पहले हमारे आंकड़े सही नहीं थे। आगे भी लिखा हुआ है कि अभी इन आंकड़ों में और वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब यह है कि यह भी आंकड़े सही नहीं बल्कि बहुत से थानेदार सूबे में अब भी बहुत सी फिगर्स छिपाते हैं। यह मंत्री जी मानने के लिये तैयार हैं। यह आपकी पुलिस की एफिशियिन्सी है! दो साल में मर्डर और राहजनी वगैरह दुगुनी हो जायं तो मैं क्या कहूं?

माननीय चौधरी चरण सिंह साहब यहां पर इस समय नहीं हैं, क्योंकि उनको इन आंकड़ों के देने में और सही कराने में शौक होता था। लेकिन मेरा कहना यह है कि अब भी जरायम छिपाये जाते हैं। आज जो जरायम लिखे जाते हैं उनके संबंध में देखने की बात यह कि कितनों का इनवेस्टीगेशन होता है। आज रपटें भरी पड़ी हैं, लेकिन थानेदार को फुर्सत नहीं है। अगर थानदार जाता है तो भी उसका इन्वैस्टीगेशन मेथड बड़ा डिफेक्टिव होता है।

इंगलैंड में अगर कोई मर्डर हो जाता है तो यह एक किताब है इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस अफसर मर्डर बेग लेकर जाता है। उसके अन्दर फिंगर प्रिन्ट वगैरह का सामान होता है। जैसे अगर कोई पेशेंट किसी डाक्टर को बुलाता है तो डाक्टर मकान से निकलने से पहले डाक्टरी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आला, दवाइयों का केस, अपने बेग को ले कर चलता है, ऐसी ही इंग्लैंड में जब कोई मर्डर, चोरी रहजनी होती है तो इनवेस्टीगेशन पुलिस अपना सामान लेकर चलती है जिसकी लिस्ट मैं आपकों पढ़ कर सुना रहा हूं—

"Finger print outfit ; metal footprint forma ; 24" box wood rule ; 66" measuring tape ; two metric rules ; map measure tape ; two metric rules ; map measure ; compass, torch, a pencil torch with reflector ; lenses ; clinical thermometer ; scissors, probes ; lancets ; pliers ; tweezers ; test tubes ; glass boxes ; standard thermometer ; small cardboard boxes ; overalls ; rubber aprons ; rubber gloves ; disinfectants ; soap box ; sponge ; towels ; nappies ; brief case ; statement paper ; adhesive and transparent tape ; envelopes ; pocket books ; labels and handcuffs."

लेकिन आज क्या होता है? आज जब हमारा दरोगा चलता है तो उसके हाथ में एक डंडा होता है और जा कर गालियां देता है। अगर कोई मर्डर की रिपोर्ट आती है तो उसी वक्त नहीं जाता, बल्कि इतनी देर करके जाता है, कि पहुंचने पर इन्वेस्टीगेशन की कोई अहमियत नहीं रहती, क्यों कि जितने फुट प्रिंटस आदि होते हैं वह सब गायब हो जाते हैं। इसलिए उस इन-वेस्टीगेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो आज आप इनवेस्टीगेशन के मेथड को बदलिये। इनवेस्टीगेशन को पुलिस अलग हो। मेरा सुझाव यह है कि इनवेस्टीगेशन की पुलिस जुडीशियरी में आ जाय तो अच्छा होगा। अगर न आये तो यह स्टेट की रहे और बाकी पुलिस ला एंड आर्डर की, जिला परिषद् के अन्तर्गत आ जाय।

एक कांस्टीटुएंसी के लोगों ने चुन कर माननीय चन्द्रभानु गुप्त को यू० पी० का चीफ मिनिस्टर बना दिया, फूलपुर की कांस्टीटुएंसी के लोगों ने पन्डित जवाहरलाल को देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो वहीं के लोग अगर जिला परिषद् बनाते हैं, तो उसके अन्दर ला एन्ड आर्डर को कायम करने वाली पुलिस लाने में क्या हिचक है ? इस वक्त तो डिसेंट्रलाइजेशन का सवाल है । जहां तक पी० एस० पी० का सवाल है वह कई साल से कहती आ रही है, सरकार मानती है, लेकिन तब मानती है जबकि चीज के अन्दर कोई खुशबू नहीं रहती । हमने पहले कहा था कि चकन्बदी में बड़ा भ्रष्टाचार है । माननीय चौधरी चरण सिंह नहीं मानते थे । लेकिन जब चकबन्दी में लाखों गलतियां आयीं तो उसी को माना । हमने कहा कि क्राइम्स को दबाया जाता है । लेकिन तब उसको नहीं माना । आज उनके आंकड़े खुद इसको कहते हैं, और उसको मानते हैं । मेरा कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन करके जिला बोर्ड के अन्दर पुलिस को दीजये । सी० आई० डी०, पी० ए० सी० स्टेट के अन्दर रहे ।

चौकीदार की तनख्वाह पांच रुपये है, लेकिन उसके ऊपर कोई रहम नहीं है । जब से यह राज्य अंग्रेजों के बाद आया है २५ परसेंट गजेटेड पोस्ट्स का रेश्यो बढ़ा है और ११ परसेंट पुलिस कांस्टेबिल और एस० आई० बढ़ाये हैं । अभी आपने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० क्लास की तनख्वाहों में २०० रुपये की वृद्धि की है और पांच रुपये की जनरल वृद्धी मौजूदा जितना स्टाफ है उसकी तनख्वाहों में आपने की है मैं यह जानना चाहता हूं कि चौकीदार आज क्या है ? गांव के अन्दर चौकीदार का कोई फक्शन नहीं । एक ग्रुप के अन्दर होता है वह और वह जितनी भी रपट देता है, अगर वह सही भी होती है, तो पुलिस का एस० आई अगर खिलाफ है तो उस रपट के भी कोई मानी नहीं होते । तो मेरा यह कहना है कि चौकीदार को गांव सभा की ड्यूटीज में आप दे दीजिये ऐजएपियून या और किसी रूप में और चाहे कुछ रेवेन्यू वगैरह का हिस्सा देकर उनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़वा दीजिये । और उसके साथ साथ यह भी कर दीजिए कि गांव का जो क्राइम है वह सबसे पहले गांव सभा के रजिस्टर के अन्दर दर्ज होना चाहिए । उसके बाद वह थाने के अन्दर आये । इस तरह से पुलिस के विभाग को आप बांट दें--चौकीदार को गांव सभा में, ला एन्ड आर्डर पुलिस को जिला परिषद् में और यह जितनी भी आपकी सी० आई० डी० है, इन्वेस्टीगेशन पुलिस है या पी० ए० सी० है इसको स्टेट में और बाकी जो हिन्दुस्तान की रक्षा करने वाली पुलिस है वह फौज है । इस तरह से पुलिस का बटवारा कर दीजिए तब जाकर कुछ एफिशियंसी पुलिस में आयेगी ।

अभी क्या होता है ? हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी उस वक्त जब सी० एम० नहीं थे तो पी० सी० सी० के चुनाव में उन्होंने सारे सूबे का चक्कर काटा, उस वक्त के माननीय मुख्य मंत्री उनके खिलाफ थे, उन्होंने भी अपनी कोशिश की, तो उस वक्त आपके लिए कोई किसी किस्म का जान का खतरा नहीं था जबकि यह खतरे की चीज थी उस वक्त हमारे माननीय कमलापति त्रिपाठी जी शायद पुलिस मिनिस्टर थे और उनकी जैसी ख्याति है बनारस के अन्दर, उनका जैसा रवैया है, शायद चीफ मिनिस्टर की निगाहें उन पर न होतीं तो एक रात के अन्दर वह गायब हो जाते । लेकिन आज जबकि उनकी और मिनिस्टरों की जान व माल के पीछे कोई नहीं है, तो सात सात आदमी थानेदार और कांस्टेबिल मिलाकर उनके पीछे घूमते हैं न जाने कितनी पुलिस की फोर्स इन मिनिस्टरों की हिफाजत के लिए रहती है । अब तो मिनिस्टर्स की तादाद भी बहुत काफी हो गई है । पता नहीं, अगर जैसा कि होने वाला है कि हर दो साल बाद मिनिस्टर्स बदलेंगे तो शायद जितने कांग्रेस वाले हैं २६०, वह सब एक बार.....

श्री अध्यक्ष—आप पुलिस पर बोलिए ।

श्री बलवानसिंह—पुलिस पर ही बोल रहा हूं । अगर इन मिनिस्टर्स की तादाद को आप देखें और यह देखें कि कितनी पुलिस उनके पीछे घूमती है वरदी वाली और सादी पुलिस, दोनों की तादाद देखें, तो पता चलेगा कि कितना खर्चा इन पर होता है और कितना वह ला एंड आर्डर मेन्टेन करते हैं । आज पुलिस का काम मिनिस्टर्स और बड़े-बड़े आदमियों की खुशामद

[श्री बलवानसिंह]

करके अलावा और कुछ नहीं रह गया है। इसलिए मेरा यह कहना है कि खास तौर से मुख्य मंत्री जी यह जो इतना बड़ा फोर्स मंत्रियों के पीछे चलता है उसको भी घटाने की बात करें।

मेरे पास एक शिकायत आयी है, आज किस तरह से पुलिस का हाल है उसके बारे में। आज तीन किस्म के लोग गांव में इकट्ठे हो गये हैं। एक तो गांव के बाअसर लोग हैं, मनीड मैन हैं या जमींदार जो बाद में मनीड हो गये वे लोग हैं। दूसरे वह लोग हैं जो गुंडे हैं, और नम्बर तीन पुलिस है। ये तीनों मिलकर आज गांव को तहसनहस कर रहे हैं। गांव में कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं हो पाता। एक चौथे क्लास को और मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं। मेरा मतलब रूलिंग पार्टी से है।

आज लोकल लीडर, बदमाश, गुंडा और मनीड मैन ये चारों मिलकर इस तरह से ला ऐंड आर्डर को तहस-नहस कर रहेहैं कि जिसकी मिसाल माननीय मुख्य मंत्री जी खुद जानते हैं। अगर उस बदमाश पर, अगर उस लोकल लीडर पर और अगर उस मनीड मैन पर—इन तीनों के इन्टरेस्ट पर या इन तीनों की जात पर किसी किस्म का हमला होता है तो पुलिस थर्ड डिग्री मेथड इस्तेमाल करती है। डंडे का प्रयोग करती है और मारपीट करती है। इलाहाबाद में फार्यारिंग हुई। माननीय मंत्री जी को मालूम है कि किस तरह से वह घटना हुई। मैं जानता हूं कि वह चीज अभी जांच में है। वहां पर एक एस० आइ० की लड़की के साथ एक आदमी का सम्बन्ध था। सरकार यह भी जानती है कि कानपुर में एक कांस्टेबिल ने सन्तिया के साथ क्या किया था जिसके कारण वहां १८ आदमी मौत के घाट उतार दिये गये। वहां पर भी यह सब कुछ एक कांस्टेबिल की कार्यवाही के कारण हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर पुलिस के करप्शन का सवाल आता है जहां पर पुलिस का सवाल आता है, वहां पर अगर उनका अहित होता है तो थर्ड डिग्री मेथड का इस्तेमाल पुलिस करती है।

मेरे पास एक बलिया की शिकायत आई है। वहां पर एक कांस्टेबिल का एक गरीब आदमी की स्त्री से सम्बन्ध था। जब वह उसके मकान पर गया तो उसके आदमी ने कहा कि आप मेरे मकान से चले जाइये। ३, ४ दिन के बाद वह कांस्टेबिल गया और जाकर उसने उस आदमी को डकैती में पकड़ लिया। कांस्टेबिल ने उसको फरसा मारा और वह मर गया। जो लोग उसकी रपट लिखाने के लिये थाने के अन्दर आये उन लोगों की एफ० आई० आर० नहीं लिखी गई और उलटे उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद में एस० पी० और मैजिस्ट्रेट ने वहां जाकर विरोधी पार्टी के लोगों के बयान लेने की कोशिश की और उस केस को दबाने की कोशिश की। आज भी वहां के लोगों की यह मांग है कि उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी हो। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात के लिये तैयार हों कि २ एम० एल० ए० इधर के और २ एम० एल० ए० उधर के साथ चलें तो हम उनके साथ चलने के लिये तैयार हैं। तब मालूम हो सकेगा कि वहां पर पुलिस का किस तरह से नंगा नाच हुआ है। इसलिये आज यह सारे सूबे की पुलिस का सवाल है। केवल इलाहाबाद का ही सवाल नहीं है कि वहां पर फार्यारिंग हो गई और उसके लिये जांच का हुकुम दे दिया। इससे काम नहीं चलेगा। पुलिस की ज्यादतियों पर इस तरह से परदा डालने से काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि आपका जो इन्वेस्टीगेशन है इसको अलग करना होगा।

जहां तक आपके गवाहों का प्रश्न है, उनका दल भी पुलिस के साथ मिला रहता है। वह भी सब एक तरह से वही लोग होते हैं जो लोगों को तंग करने वाले होते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई थानेदार जाता है तो वह नये थानेदार को बता जाता है कि कितने बदमाश कहां-कहां किस किस गांव में हैं और किस इलाके में हैं। वह बदमाशों का चार्ज लेता है। अगर कोई चोरी होती है तो वह थानेदार जानता है कि किसने ऐसा किया, लेकिन कोई किसी किस्म की कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जो ला ऐंड आर्डर को मेन्टेन करने वाला थानेदार है उसके हाथ में आप इन्वेस्टीगेशन का काम क्यों देते हैं। अगर आप वाकई चाहते

हैं कि हमारे प्रदेश में पुलिस का मोरेल ऊंचा हो तो आप मेरे सुझाव को मानें। फिर यह कहने के लिये नहीं रह जायगा कि विरोधी लोग कोई सुझाव पेश नहीं करते हैं।

श्रीमन्, बहुत सी शिकायतें आती हैं और हर थाने पर आती हैं। अगर कोई गरीब आदमी या कोई वहां का आदमी कहता है कि मुझको जान माल का खतरा है तो यह पुलिस उसके लिये किसी किस्म का प्रिवेन्शन करने के लिये तैयार नहीं होती है। उसको रोकती नहीं है। लखनऊ स्टेशन के प्लेट फार्म पर कत्ल हो गया। बहुत सी जगहों पर कह करके कत्ल होता है, पर उसका कोई प्रबन्ध नहीं होता है। लेकिन सरकार के ऊपर जब कोई बात आती है तो वह दफा १४४ का प्रयोग करती है। बड़े-बड़े आदमियों का जब सवाल आता है तो वे फौरन ऐक्शन लेते हैं, लेकिन यूं चाहे कितनी ही दरख्वास्तें आयें व कोई कदम नहीं उठाते। आज इस तरह हर आदमी की जान खतर म ह, सेक्योर नहीं है, इसलिये मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

मेरा आर्म्स ऐक्ट के बार में भी एक सुझाव है। वैसे तो यह विषय सेंटर से ताल्लुक रखता है, लेकिन यह ऐक्ट १८६० तक हिन्दुस्तान में नहीं था। अंग्रेजों ने जब गदर दबाया तो उसके बाद अपने चापलसों को खुश करने के लिये और एक नया क्लास पैदा करने के लिये यह आर्म्स ऐक्ट चलाया और मंत्री जी जानत हैं कि जितनी देशी रियासतें थीं—ग्वालियर, काश्मीर, जयपुर, जोधपुर आदि सब में १९४७ तक कोई आर्म्स ऐक्ट नहीं था। आज भी यूरोप के अन्दर हर कोई आदमी अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराकर चाहे जहां से भी बन्दूक या रिवाल्वर खरीद सकता है। तब फिर यह प्रतिबन्ध क्यों लगा हुआ है? क्यों नहीं हर व्यक्ति को आर्म्स दिये जाते?

श्री अध्यक्ष—यह तो केन्द्र का विषय है।

श्री बलवानसिंह—लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां की सरकार इसके लिये सिफारिश करे। यह एक अहम सवाल है। आज हमारे सिर पर चीन और पाकिस्तान खड़ा है। अगर चार डकैत ही किसी दो हजार की आबादी वाले गांव में आ जायं और उस गांव में बंदूक न हो तो वे सारे गांव को लूट कर चले जायंगे। तो यह एक बड़ी इम्पोटेंसी है, बुजदिली है। जब हिन्दुस्तान को चारों तरफ से डर है, पता नहीं किस वक्त चीन आ जाय। हमें खतरा है खास तौर से पहाड़ की तरफ स और नेपाल से भी, अभी मैं दिल्ली गया था, वहां के नेपालियों का खयाल था कि लखनऊ में आर्म्स इकट्ठा किये जा रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सही है, लेकिन जब हिन्दुस्तान चारों तरफ से एनीमीज से घिरा हुआ है तो क्या यह जरूरी नहीं है कि आर्म्स ऐक्ट को समाप्त कर के सब लोगों को, जो वोटर हों, बंदूक और पिस्तौल दिये जायं? जो लोग बदमाश हैं उनको तो वैसे ही आपके वोटर होने का हक हासिल नहीं है, लेकिन जो आपके सही सिटीजन्स हैं वे भी अपने नाम से बंदूक नहीं रख सकते। अब भी बहुत से लोगों की दरख्वास्तें महीनों पड़ी रहती हैं। आपका एक रूल है कि हैसियत पर बन्दक दी जायगी, हैसियत किस की नहीं होगी? आपने तो जो एम० एल० एज० हैं, एम० पीज० हैं, जो शाही खानदान के हैं, उन लोगों को ही बन्दूक या पिस्तौल रखने का अधिकार दिया है। कलेक्टर साहब किसी किस्म का पिस्तौल का लाइसेंस देने के लिये तैयार नहीं हैं अपोजीशन के लिये, लेकिन मंत्री जी जिसको चाहें, लाइसस दे दिया जाता है। जो बदमाश हैं उनके पास आर्म्स हैं और उन्हें आप रोक नहीं सकते। मेरा ऐसा खयाल है कि फर्रुखाबाद, उन्नाव, कानपुर और एटा में जितने अनलाइसेंस्ड आर्म्स हैं उतने लाइसेंस्ड आर्म्स नहीं हैं।

गांवों के अन्दर आज उनकी फैक्टरीज हैं। आज ऐन्टी सोशल एलीमेन्ट्स के पास तो बन्दूकें हैं मगर जो शरीफ व्यक्ति हैं उनके पास बन्दूकें नहीं है। इसलिये अगर आप क्राइम्स को रोकना चाहते हैं तो आप को आर्म्स ऐक्ट को बदलना होगा, उसके लिये आप को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सिफारिश करनी होगी। आज लोगों में यह विश्वास पैदा करना है कि हम अपने

[श्री बलवानसिंह]

देश के गुड सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, और हमको आर्म्स रखने का हक है। इसके लिये आप को उससे तब्दीली करनी होगी।

आज जब मैंने यह रिपोर्ट देखी तो मैंने देखा कि उसमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं और उसमें कोई फिगर ऐसी नहीं है जिसमें गजेटेड आफिसर्स के खिलाफ कोई सिफारिश की गयी हो। जितने थानेदार हैं उनके खिलाफ तो ऐन्टी करप्शन की कार्यवाही की गई है, उनको मुअत्तल किया गया है, मगर किसी गजटेड आफिसर के खिलाफ नहीं। जो नाम गजटेड कर्मचारियों की इसमें संख्या दी गयी है उसमें दंड जिनको दिया गया है उनकी संख्या १० है, जिनको छोड़ दिया गया, उनकी संख्या १४ है, और जिनके खिलाफ अभी कार्यवाही हो रही है वे १९ हैं। यह लोग कौन हैं? यह कान्स्टेबिल और थानेदार हैं।

पुलिस कमीशन ने एक सुझाव दिया था सी० आई० के पदों को खत्म करने का और मुझे खुशी है कि उसको माननीय मंत्री जी ने मान लिया, लेकिन आज डी० एस० पी० आप ज्यादा बना रहे हैं। वे कौन हैं? यह जो ऐन्टी करप्शन का इंचार्ज होता है वह डी० एस० पी० होता है। पुलिस के खिलाफ रिश्वत को देखने वाला डी० एस० पी० होता है। मेरा ऐसा खयाल है कि कम से कम ८० फीसदी डी० एस० पी० ऐसे हैं जिन पर मुझे डाउट है कि वे रिश्वत लेते हैं। एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर यह लोग रिश्वत न लेते हों। मगर आप की मार किस पर होगी? यह थानेदार पर ही होगी। वह खुद डी० एस० पी० को खुश करने के लिये पैसा देता है। उसका प्रमोशन और अच्छा थाना इसी पर मिलता है कि वह कितना पैसा पुलिस को देता है। मैं तो समझता हूं कि इन डी० एस० पी० की पोस्टों की भी जरूरत नहीं है। थानेदार के ऊपर एक एस० पी० काफी है।

अच्छा होता मन्त्री जी कुछ करप्शन के ऊपर भी बोलते। आज चाहे कचहरियों को लीजिये, थाने को लीजिये, इर्रीगेशन विभाग को लीजिये, पी० डब्लू० डी० को लीजिये, कोई दफ्तर ऐसा नहीं होगा जहां रिश्वत न चलती हो। आज दो किस्म की रिश्वत है। एक तो आकेजनल है और दूसरी रेगुलर है। आप आकेजनल के बारे में तो कह सकते हैं कि हम कैसे रोकें, मगर जो रेगुलर है उसको आप तो रोक सकते हैं। आज हर थाने में, कचहरी में, रुपये सब के लिये बंधे हुये हैं। प्रजातंत्र अगर आप चाहते हैं तो आप को इस को बन्द करना होगा। प्रजातंत्र क अन्दर, भ्रष्टाचार नहीं चल सकता। आज पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप क्यों आई? बरमा में क्यों आयी? सीलोन कसे बच गया? मैं आज आप से कहता हूं, हो सकता है कि आप कहें कि नेहरू जब तक प्राइम मिनिस्टर ह तब तक हम महफूज ह, लेकिन हिन्दुस्तान में अगर जम्हूरियत टूटी तो उसका सब से बड़ा कारण यह होगा कि यहां की सरकार सूबे में और हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ रही। अगर आप करप्शन को रोकने में असमर्थ हैं, तो इस सरकार को चलाने का आप को कोई अधिकार नही है। श्रीमन्, इतने लूपहोल हैं कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों गिरफ्तार होंगे। देने वाला तो पहले हो जायगा, लेने वाले का पता नहीं कि वह कोर्ट से छूटे या नहीं। लेकिन कम्प्लेनेंट से आप किस तरीके से उम्मीद करते हैं? क्या वह रिश्वत देने में खुश होता है? मानव समाज में कोई रिश्वत देने में खुश नहीं होगा। मेरे साथ चलें चीफ मिनिस्टर साहब किसी कचहरी में। अगर दो रुपये दिये बगैर अपनी तारीख बढवा लें तो जानूं। वह बढ़वा नहीं सकते। दो साल पहले यह सुझाव शायद उनकी तरफ से भी माना जाता, लेकिन मुश्किल यह है जिस तरीके से एक आदमी जब तक खाकी वर्दी नहीं पहनता तब तक बड़ी ईमानदारी की बात कहता है, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनते ही उसकी मनोवृत्ति तब्दील होने लगती है। ऐसे ही आज से दो महीने पहले वह मंत्री जब मंत्री नहीं थे तो बड़ी अच्छी बात करते थे लेकिन मिनिस्ट्री का लबादा पहनते ही उनके खयालात और कार्य-क्रम अलहदा-अलहदा होने लगे। मुख्य मंत्री तो शादी शुदा नहीं है, लेकिन वह देखें कि किस तरह से जो मिनिस्टर १५०० और ८०० पाते हैं,

उन पर ६,००० खर्च होता है। फर्नीचर ६-७ हजार का आ जाता है और घर की बीवी और बच्चे कहते हैं कि इस तरह के कालीन होने चाहिए ड्राइंग रूम में और तरह-तरह के एक्सपेंसेज बढ़ जाते हैं ....

श्री अध्यक्ष—यह आप इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं।

श्री बलवानसिंह—रेलेवेंसी है, मैं बता रहा हूं कि करप्शन है। मेरा कहना है कि अगर करप्शन को रोकना चाहते हैं, तो सुझाव मेरा यह है कि आप एक स्टेट ट्रिब्यूनल बनाइये। एक हाई कोर्ट जज को रखिये और उस स्टेट ट्रिब्यूनल की ब्रांचेज हर जिले में हों और वहां एक जज मुकर्रर हो। उसके डिस्पोजल पर आप को पुलिस, सी० आई० डी० रहे और वह जा कर देखे। अगर आप चाहें तो इसके अन्दर नौजवान, एफिशियेंट, ईमानदार लोगों को लायें। मेरा खयाल है १० करोड़ के करीब पुलिस के अन्दर और २०-२५ करोड़ के बीच में इस सूबे में रिश्वतखोरी है। तो इस ट्रिब्यूनल के जो सुझाव आयें उनके अनुसार आप इस करप्शन को रोकने की कोशिश कीजिये। इस समय आप इस बात से इस सूबे की खिदमत कर सकेंगे कि जब आप जवाब दें तो यह कहें कि आप रेगुलर करप्शन को, जोकि रोजाना चलता है उसको रोकने में समर्थ हो सकेंगे।

जहांतक पुलिस फार्यरिंग का सम्बन्ध है, अभी हाल में अपोजिट बेंचेज ने यह मांग रखी थी कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाय, लेकिन आप ने कहा कि कमिश्नर रैंक के आफिसर से ही इन्वेस्टीगेशन करायेंगे। आप को इस तरह से इन्सान की जिन्दगी से नहीं खेलना चाहिये। मेरा सुझाव है कि पुलिस फार्यरिंग के सम्बन्ध में एक कोड होना चाहिये और जिलों में कमेटीज बनाई जायं जिसमें एम० पीज, एम० एल० एज, और ब्लाक्स सदस्यों और सरपंचों वगैरह को रखा जाय। फार्यरिंग के सम्बन्ध में उनकी राय भी ली जाया करे। और फार्यरिंग की जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिये क्योंकि इससे जनता के अन्दर यकीन पैदा होता है। आज आप को पुलिस से सी० आई० डी० पर जनता को ज्यादा यकीन है और सब से ज्यादा यकीन जुडिशियल इंक्वायरी पर होता है। किसी बिल्डिंग में आग लगा दी जाय तो जज के यहां से फांसी का हुकुम नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी इमारत या बेहिकिल को जलते हुये देखते हैं तो इमोशनल होकर फार्यरिंग करने लगें यह आपको और पुलिस को शोभा नहीं देता। आप कहेंगे कि वहां पर मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यहां पर फार्यरिंग ज्यादा होती है, अंग्रेजी जमाने में भी इतनी नहीं होती थी। यहां पर स्टूडेन्ट्स पर फार्यरिंग हुई, स्त्रियों पर फार्यरिंग हुई और जहां पर भीड़ ने एक पत्थर तक नहीं फेंका और आप को पुलिस और मजिस्ट्रेट को एक खराश तक नहीं लगी वहां भी फार्यरिंग हुई। इसलिये आप एक कोड बनायें और आप के यहां से आदेश हों कि फार्यरिंग के लिये पुलिस उत्तरदायी होगी किसी आदमी के मरने की जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। आपने पुलिस और मैजिस्ट्रेट को महफूज कर रखा है। आज एक थानेदार परेशान करने के लिये बेगुनाह लोगों को जेल भेज देता है, उनको हैरास करता है। आपने जो १०९ और ११० सेक्शन बना रखे हैं उसके अन्दर जिसको पुलिस चाहे जेल भेज दे। इन सेक्शन्स को आप तोड़िये। जेल के अन्दर मेहतरों और जंगली लोगों, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की कमी को पूरा करने के लिये, जब थानेदार के पास सूचना जाती है तो वह १०९/११० का इस्तेमाल कर उनको भेज देता है। आज थानेदार बदला लेने की भावना से ही इस सेक्शन को इस्तेमाल करता है जिसके खिलाफ पुलिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। मेरा सुझाव यह है कि पुलिस अपने गठन पर सोचे, एफिशिएंसी पर सोचे, और सब से जरूरी यह है कि आज जो पुलिस बेगुनाहों को पीटती है, आज जो जनता में उसका विश्वास नहीं है, इसके कारणों पर सोचे। यू० पी० के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिये जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर सरकार को कदम उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सामने रखता हूं।

[अनुदान संख्या १५—पुलिस—

| क्र० सं० | प्रस्तावक का नाम | | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|---|
| १ | श्री राम प्रसाद देशमुख | .. | मद-ख-जिला कार्यकारी दल के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—साधारण आलोचना तथा सुझाव देना। |
| २ | श्री राम प्रसाद देशमुख | .. | मद-छ-अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—साधारण विवाद तथा सुझाव देना। |
| ३ | श्री जगदम्बा प्रसाद | .. | मद-ख-जिला कार्यकारी दल के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—विवाद करना तथा सुझाव देना। |
| ४ | श्री राम भजन | .. | मद-पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—पुलिस विभाग को अधिक उपयोगी तथा कर्मठ बनाने के लिये सुझाव देना। |
| ५ | श्री कृष्णचन्द्र .. | .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—पुलिस प्रशासन की नीति पर विवाद करना तथा सुझाव देना। |
| ६ | श्री जगदम्बा प्रसाद | .. | मद (ख) उपमद (क) जिला पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना तथा उचित सुझाव देना। |
| ७ | श्री जे० पी० मिश्र | .. | मद-पुलिस विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। |
| ८ | श्री छेदा लाल चौधरी | .. | मद-पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—ग्रामीण क्षेत्रों में थानों के अन्दर अपराधों के रजिस्ट्रेशन तथा न्यायालयों के अन्दर पुलिस विधियों में सुधार हेतु सुझाव तथा सलाह देना। |

[ ] कटौती के प्रस्ताव श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार प्रस्तुत किये गये माने गये।

| क्र० सं० | प्रस्तावक का नाम | | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|---|
| ९ | श्री जेड० ए० अहमद तथा श्री भीखा लाल | .. | मद-पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य––पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, दमन व हिंसात्मक कार्यवाहियों, जुर्मों को दबाने के प्रवृत्ति सेवा-भाव की कमी तथा जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास के बारे में ध्यान आकृष्ट करना तथा सुधार के सुझाव देना। |
| १० | श्री कृष्णा नन्द राय | .. | मद-घ–ग्राम पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करन का उद्देश्य––पुलिस से सम्बन्धित ग्रामीण रक्षा समितियों को वैधानिक रूप देने पर विचार व्यक्त करना एवं सुझाव देना। |
| ११ | सर्वश्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, काशीनाथ बहादुर, मुन्नूसिंह, विजय सिंह, चैतन्यराज सिंह, राम आधार कन्नौजिया, प्रेम सिंह, तथा नवरंग सिंह। | .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। |
| | | .. | कमी करने का उद्देश्य––सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव दना। |
| १२ | श्री होरी लाल यादव | .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाये।<br>कमी करने का उद्देश्य––जिला फर्रूखाबाद में हुये कत्ल, डकैतियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। |
| १३ | श्री कृष्णानन्द राय | .. | मद-पुलिस की विभिन्न शाखाओं पर व्यय के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य––पुलिस के Prosecution branch में काम करने वालों की उपलब्धियां अन्य शाखाओं में काम करने वालों के समान न रहने से कार्यक्षमता में कमी। |
| १४ | श्री चन्द्रबली | .. | मद-पुलिस के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य––पुलिस रक्षा करने में असमर्थ है। जुर्म बढ़ाओ और जुर्म घटाओ––दो अभियानों द्वारा प्रायः सम्पूर्ण पुलिस ने इस विभाग को समाज सेवा के स्थान पर कमाने का जरिया बना लिया है। पुलिस की इस प्रवृत्ति के सुधार हेतु सुझाव देना। |

| क्र० सं० | प्रस्तावक का नाम | | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|---|
| १५ | श्री राम प्रसाद देशमुख | .. | मद-छ की उपमद (घ)—परिवाद योजना के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—आलोचना करना तथा सुझाव देना। |
| १६ | श्री उग्रसेन | .. | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—पुलिस आयोग की रपट लागू करने की मांग करना। |
| १७ | श्री जगदम्बा प्रसाद | .. | मद-ख जिला कार्यकारी दल के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण अनुदान पर विवाद करना तथा उचित सुझाव देना। |
| १८ | श्री जगदम्बा प्रसाद | .. | मद-क जिला पुलिस के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना तथा उचित सुझाव देना। |
| १९ | श्री चिरंजी लाल | .. | मद-क का उपमद २—कर्मचारियों के वेतन के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना तथा उचित सुझावदेना। |
| २० | श्री चिरंजीलाल | .. | मद-ख की उपमद (ख) चिकित्सालय व्यय का भाग ३—महंगाई और रहन-सहन व्यय के प्रतिकर भत्ते के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—(१) सरकारी व्यावहारिक नीतियां (२) मकानों का किराया—हेड-कांस्टेबिलों को उचित किराया देने का सुझाव देना। |
| २१ | श्री चिरंजी लाल | .. | मद (ख) की उपमद (ख) के भाग ३ भत्ते और भानदेय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कमियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना और उचित सुझाव देना। |
| २२ | श्री महादेव | .. | मद-पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—भ्रष्टाचार की आलोचना करना तथा सुझाव देना। |

| क्र० सं० | प्रस्तावक का नाम | | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|---|
| २३ | श्री रामसुन्दर | .. | मद-ख—जिला कार्यकारी दल के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—पुलिस आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने की मांग करना। |
| २४ | श्री राम सुन्दर | .. | मद-ख—जिला कार्यकारी दल के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी की जाय।<br>कमी करने का उद्देश्य—आजमगढ़ जिला अन्तर्गत गौरा, धर्मपुर, अहलाद आदि गांवों में एक हरिजन युवती को निरपराध थाने की हवालात में कई दिन रखना, गांजा पुलिस द्वारा चोर बाजारी में बेचना, नायब थानेदार को बुरी तरह मारना आदि, जिले की अनेकों घटनाओं को पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा छिपाना, [पूरे जिले की स्थिति को बताना।] |

---

**श्री बृजभूषणशरण** (जिला देहरादून)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक बड़े ही अहम विषय पर विवाद चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से जो बजट अनुदान पेश हुआ है उस पर कटौती का प्रस्ताव माननीय बलवान सिंह ने पेश किया और कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये उन्होंने जो सुझाव दिये उनको सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय बलवान सिंह ने मालूम नहीं इसको सोचा भी या नहीं कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं अगर उनको कार्यान्वित कर दिया जाय तो उसका क्या नतीजा होगा और क्या कानूनी रूप होगा। क्या इसी से पुलिस में जनता का विश्वास हो जायगा? महज इसलिये कि पुलिस का मुहकमा है और पुलिस के मामले में हमेशा धुंआधार स्पीचेज हुआ करती हैं इसलिये कुछ न कुछ पुलिस के बारे में कहना ही चाहिये कि पुलिस बड़ी खराब है, जनता में उसका विश्वास नहीं है, पुलिस जनता से प्रेम प्रीति नहीं करती और जनता में पुलिस की बड़ी बदनामी होती है, आदि आदि? पुलिस कोई स्वयंसेवक समाज तो है नहीं जो जनता से प्रेम व प्रीति करे।

(इस समय १ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए)

पुलिस का काम तो यही है कि अपराध को बढ़ने न दे और जो अपराधी हो उसको सजा दिलावे। अगर आप प्रेम और प्रीति कराना चाहते हैं तो किसी मेले में प्याऊ लगवा दें जहां पुलिस वाले जनता को पानी पिलाते रहें। पुलिस का तो मुहकमा ही ऐसा है जहां प्रेम और प्रीति का कोई सवाल ही नहीं है। अक्सर देखने में आया है कि जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो पहले तो लोग यही कहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिये, लेकिन बाद में जब सेशन जज के सामने मुलजिम आता है तो उसे देख कर लोग यही कहते हैं कि ऐसा नौजवान लड़का है, जिसे फांसी से बचा लेना चाहिये और इस तरह से जनता की सहानुभूति उनके साथ बढ़ती जाती है। पुलिस का फंक्शन तो केवल यह है कि वह अपराध न बढ़ने दे और जो अपराधी हो उसे सजा दिलाने की कोशिश करें। यह कहना कि पुलिस को जनता का विश्वास हासिल करना चाहिये यह बेतुकी सी बात है क्योंकि पुलिस तो अपना काम करेगी ही।

माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया कि पुलिस को दो हिस्से में बांट दिया जाय, जुडिशियल पुलिस और एक्जीक्युटिव पुलिस में। मेरी समझ में नहीं आता कि जुडिशियल पुलिस का

[श्री बृजभूषणशरण]

क्या काम होगा। इंग्लैन्ड की नजीर दी गयी कि वहां इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। उनका कहना है कि वहां की पुलिस अपने साथ कई प्रकार के सामान, जैसे प्रकार, पैमाने, तौलिया, साबुन आदि क्या क्या चीजें लेकर जाती हैं। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य को पुलिस के ऊपर भाषण देना था तो उनको पुलिस संबंधी रोज के वाकयात की जानकारी कर लेनी चाहिये थी। अभी चार पांच रोज पहले आई० जी० पुलिस ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बड़े लम्बे चौड़े सुझाव दिये कि ये ये काम हम करने जा रहे हैं उन्होंने बतलाया कि एक हजार किट हम खरीद रहे हैं जो इनवेस्टीगेशन करने वालों के काम आयेगी। इनवेस्टीगेशन करने के लिये साइंटिफिक किट होनी चाहिये और वह हर थाने में पहुंच जायेगी ये सब बातें हो रही हैं।

माननीय बलवान सिंह जी ने फिगर्स देकर तमाम बातें कहना शुरू कर दीं। भला फिगर्स का और पुलिस का क्या संबंध ? पुलिस के मामले में यह बात कि इतने-पर-कैपिटा पुलिस पर खर्च होता है या नहीं होता, लागू नहीं होती। यहां तो सवाल केवल यह है कि चाहे आप पुलिस पर एक करोड़ रुपया खर्च करें अथवा २० करोड़ करें उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन होना चाहिये, शांति और व्यवस्था होनी चाहिये। फिर चाहे जितना रुपया आप मांगें, हम मंजूर करेंगे।

एक सुझाव और दिया गया कि ला एन्ड आर्डर जिला परिषदों को दे दिया जाय, यानी पुलिस भी उनको दे दी जाय। जब आई० जी० और चीफ मिनिस्टर आदि इतने सारे आदमी उनके ऊपर रहते हैं तब तो वे उसको कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, भला जिला परिषद् के लोग उसको किस कार से कंट्रोल कर लेंगे ? मैं चुने हुए लोगों में अविश्वास नहीं करता हूं, लेकिन यह कहता हूं कि जरा आप सोचिये कि अगर एस० पी० को जिला परिषदों के नीचे कर दिया जायगा तो क्या हालत होगी। म्युनिसिपैलिटी का टैक्स कलेक्टर होता है, वर्षों तक का टैक्स बकाया पड़ा रहता है, लेकिन वह वसूल कर नहीं पाता है। मीटर रीडर को ही ले लीजिये, १०-१० महीने तक मीटर पढ़ने के लिये नहीं आता है। जब अपने घर का ही उनसे प्रबन्ध नहीं हो पाता है तो किस प्रकार से इतने बड़े प्रबन्ध को अभी वे कर सकते हैं ?

एक सुझाव और दिया गया कि एफ० आई० आर० गांव सभाओं में लिखी जाय और चौकीदार को गांव सभाओं के अधीन कर दिया जाय। अगर एफ० आई० आर० गांव सभाओं के अधीन कर दी गयी तो अंटशंट रिपोर्ट लिखी जायंगी और ६-६ दिन तक वह खुली रहेगी और जो मरजी में आयेगा वह लिखी जायगी। अगर ऐसा कर दिया गया तो बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जायगी।

यह भी कहा गया कि लाइफ सीक्योर्ड नहीं है। बदमाशों को आर्म्स न दिये जाकर हर वोटर को दिये जायं। क्या हर बदमाश वोटर नहीं है ? आप बदमाश को किस तरह से वोटर होने से बंचित कर सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। यद्यपि आर्म्स ऐक्ट को हमें रिपील करने का अधिकार नहीं है, परन्तु फिर भी एक्जीक्यूटिव आर्डर के जरिये से हमारी गवर्नमेंट यह कर सकती है कि हरएक व्यक्ति को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाय। लेकिन तब एक सवाल पैदा होगा। जब किसी रेवेन्यू या इर्रीगेशन के बजट पर बहस होती है तो आप कहते हैं कि किसान के पास १ रुपया ३ आना देने को नहीं है। जब ऐसा है तो फिर बन्दूक के लिये एक हजार रुपया उसके पास कहां से आ जायगा ? वह तो बदमाश ही खरीद सकता है। नैपाल को लखनऊ से आर्म्स जा रहे हैं, यह एक बात बड़ी गैरजिम्मेदारी की बात कही गयी और बिना पूरी जानकारी प्राप्त किये। जो बात दूसरे मुल्कों से संबंध रखती हो उसको बड़े सोच समझ कर कहना चाहिये। जब हमारे यहां आर्म्स ऐक्ट बना हुआ है तो इतने आर्म्स बाहर किस प्रकार से जा सकते हैं और अगर कोई कोशिश भी करे तो पुलिस पकड़ने के मामले में पीछे नहीं रह सकती।

करप्शन की बात कही गयी कि एक स्टेट ट्रिब्युनल बना दिया जाय और हर जिले में एक जज रक्खा जाय। जब एक ओर आप खुद कहते हैं कि अच्छा खासा आदमी पुलिस में जाकर खराब हो जाता है, पुलिस की वरदी पहन कर उसको न जाने क्या हो जाता है। वही काम अगर आप एक जज के सुपुर्द कर देंगे तो वह भी वही काम करेगा, करप्ट हो जायगा। दवा प्रेस्क्राइब करने के पहले बीमारी को तो देखिये। बीमारी तो असल में यह है कि पुलिस के पास बेहद पावर्स हैं। एक मामूली कांस्टेबिल जिसके लिये अभी तनख्वाहों और एलाउन्सेज के लिये बहुत कहा गया है, उसको क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के हिसाब से इतनी पावर्स हैं कि वह चाहे तो चीफ मिनिस्टर को पकड़ ले और उनसे कहे कि तुम्हारे पास चोरी का माल है। तो "Power makes everyone, whosoever he may be, corrupt" और जितनी ऐबसाल्यूट पावर होगी उतनी ही ज्यादा वह ज्यादती कर सकेगा।

अब देखना यह है कि क्या किया जाय? तो पहले यह तय कर लिया जाय कि आप अगर उनसे पावर्स छीन लेना चाहते हैं तो यह सुझाव दीजिये कि क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड को अमेंड किया जाय और पुलिस को गिरफ्तारी करने का अख्तियार न हो और दूसरे कोई अख्तियार न हो। अख्तियार ही नहीं होगा तो पुलिस अपने आप ईमानदार हो जावेगी और कम ज्यादतियां होंगी, और अगर आप कहते हैं कि डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, उनको रोकिये तो रोकने के लिये फिर पुलिस को पावर्स देनी पड़ेंगी और यह ह्यूमन फैक्टर है कि पावर का मिसयूज हो। अगर किसी चीज का यूज हो सकता है तो उसका ऐब्यूज भी हो सकता है।

तो पुलिस की पावर्स, जो बहुत ज्यादा हैं उनको वह कभी-कभी स्वार्थवश, या भ्रष्टाचार के कारण या किसी वजह से उनका गलत इस्तेमाल कर डालते हैं। इसे कैसे रोका जा सकता है? रोकने का एक तरीका है और वह यह है कि इस पर कड़ी निगरानी रखी जाय। अभी आप कह रहे थे कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ८० प्रतिशत करप्ट हैं। पता नहीं, कौन-कौन से जिले माननीय बलवानसिंह जी ने देखे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है जब मैं देखता हूं कि कि इस तरह से कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दिये जाते हैं।

एक सदस्य—बहुत से जिले हम लोगों ने देखे हैं।

श्री बृजभूषण शरण—आपने कुछ नहीं देखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दो गांवों को देखकर लोग समझने लगते हैं कि उन्होंने सारी दुनिया देख ली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा भी क्रिमिनल कैसेज और ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस से पिछले २० वर्षों से ताल्लुक है। मैं देख रहा हूं कि रिश्वत पिछले सालों से बहुत कम हो गयी है। आज थानेदार पहले के मुकाबले में बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो रिश्वत लेते हैं। अगर आप एक केस बतायेंगे जहां रिश्वत ली गयी तो मैं १० जिलों में १० थानेदारों के नाम ले लूंगा जो १ रुपये से लेकर १ लाख रुपये तक रिश्वत नहीं लेंगे। यह सही है कि लोग उनमें भी बदमाश हैं, बेईमान भी हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन आज यह सही है कि ९० या ९५ फीसदी उनमें आज ऐसे हैं जो रिश्वत नहीं लेते हैं। ५ प्रतिशत आदमी खराब हर जगह हो सकते हैं, लेकिन यह सच है कि पहले से रिश्वत बहुत कम है। हां, एक चीज ज्यादा है। वह यह है कि पहले से लोग ज्यादा जबान खोलते हैं और जो जी में आता है वह कह डालते हैं। उस वक्त यह बात नहीं थी जब आप कहते हैं कि अंग्रेज की हुकूमत बहुत अच्छी थी। अंग्रेजी हुकूमत में अगर कोई एक थानेदार की शिकायत कर देता था तो तीन वर्ष तो वह हवालात में पड़ा होता। (लालबत्ती जलने पर) लालबत्ती जल गयी है इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं कि २ मिनट के अलावा दो मिनट मुझे और दे दीजिये तो मैं दो, एक सुझाव दे दूं।

[श्री बृजभूषण शरण]

मेरा पहला सुझाव यह है कि चीफ मिनिस्टर और इंस्पेक्टर जेनरल को एक कमरे में बन्द कर दिया जाय और उनसे कहा जाय कि जब तक आप इन मसलों का, जो पुलिस में खराबियां इनको दूर करने का, हल नहीं निकालेंगे तब तक आप दोनों को बाहर नहीं निकालेंगे मैं अर्ज करता हूं कि इसका हल निकल जायगा। इंस्पेक्टर जेनरल को अपने मातहतों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये। मैं इस बात में अपने दोस्त बलवानसिंह जी से सहमत हूं कि लीपापोती करने की आदत पुलिस के अफसरों में पड़ गयी है। वह जानते हैं कि रिश्वत लेता है, उसका अफसर गलत काम कर रहा है, लेकिन वह उसको दबाने की कोशिश करता है। अगर थानेदार कोई गलती करेगा तो डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस उसको बचायेगा, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस अगर गलती करेगा तो सुपरिंटेंडेंट पुलिस उसपर कोई कार्यवाही नहीं करेगा और सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस गलती करता है तो डी०आई० जी० उसको कहेगा कि ठीक है। तो यह तो फैमिली अफेयर बना रखा गया है इसको रोकने की जरूरत है और इसको आई० जी० पुलिस तोड़ सकते हैं अगर वे डी० आई० जी० को यह हुक्म दें कि यह बड़ा अहम काम है और यह खत्म होना चाहिये। न दस करोड़ का न १.४६ प्रतिशत का सवाल है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, खर्चा कुछ भी हो वह होना चाहिये। चाहे यह विकास का जो कार्य हो रहा है वह भी बन्द करना पड़े क्योंकि देश में कोई विकास नहीं हो सकता अगर देश का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। होना चाहिये यह कि अगर सुपरिंटेंडेंट पुलिस को कोई अधिकारियों की शिकायत मिलती है तो वह उसकी फौरन इंक्वायरी करें और जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है वह दें।

आज वहां यह प्रिजज्यूम कर लिया जाता है कि शिकायत गलत होगी। हो सकता है कि ५० प्रतिशत ठीक हों और ५० प्रतिशत गलत हों लेकिन जो भी शिकायत आये उसकी जांच होनी चाहिये। अगर ठीक से जांच की जाय तो मालूम होगा कि बहुत से मामलों में पुलिस ने अन्धेरगर्दी की है। हमारे यहां का एक केस है जिसमें डबल मर्डर हुआ और बहुत अच्छी तरह से हर की पौड़ी, हरिद्वार से मुजरिमों को पकड़ा गया। लेकिन इस तरह से साजिश की गई कि मामला साफ छूट गया। बाद में कह दिया गया कि उनको वहां से नहीं पकड़ा गया है। लेकिन बाद में सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने कहा कि ऐसी बात नहीं थी। हुआ यह था कि गोली मेंटन ऐन्ड कम्पनी की थी, वह डिब्बा में रह गई थी और उस में एलिकना की टोपी लगी हुई थी जिस का पुलिस को पता नहीं था। उन्होंने झूठी शहादत देकर सब कुछ साबित कर दिया और बाद में मुकदमा छूट गया। बाद में जब वह टिकली देखी गई तो मामला खुला और साबित हुआ कि असलियत दूसरी ही थी और मामला पुलिस ने फरजी बना दिया है। तो इस तरह की जो पुलिस की आये दिन कारगुजारी होती है वह बिलकुल गलत है। जब भी किसी इंसपेक्टर या थानेदार की शिकायत आये तो फौरन उस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। वेतन चाहे आप उन का ड्योढ़ा कर दें या दुगुना कर दें, पुलिस का बजट चाहे दुगुना हो जाय, लेकिन बहुत सख्ती की जरूरत है, यही मेरा निवेदन है।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं। शांति और व्यवस्था के लिये यह सर्वमान्य है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति अवश्य होनी चाहिये जो जनता के शांतमय जीवन कह प्रबन्ध कर सके। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से यह कहा गया कि यह पुलिस फोर्स का गठन अंग्रेजी राज्य और ब्यूरोक्रैसी के समय से चला आ रहा है और उन का यह ध्येय था कि वह डंडे के बल पर देश में अपना शासन कायम रख सकें। इतना मानते हुये भी मंत्री महोदय, जो गठन पहले से चला आ रहा है ब्यूरोक्रेसी के जमाने का, उसमें परिवर्तन लाने में असमर्थ हैं। मेरा सुझाव यह है कि वह इस पर विचार करें कि अब बदली हुई परिस्थिति में क्या कोई दूसरे प्रकार का गठन हो सकता है। जो पुराने लोग हैं और परम्परागत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुरानी चीजें ही सीखे हुये हैं वह अपने उसी तरीके से चलते हैं और जो नये लोग आते हैं उनको भी वही सिखा देते हैं।

हमें यह मानकर चलना पड़ता है और हम यह प्रिज्यूम करते हैं कि यह पुलिस फोर्स भ्रष्टाचारी है। एक नहीं बहुत सी मिसालें हैं और इसलिये इसके रीआर्गनाइजेशन की अत्यन्त आवश्यकता है।

कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये माननीय बलवान सिंह ने बताया कि इसका सेपरेशन होना चाहिये। यह मानना पड़ेगा जो थाने बने हुए हैं इनसे कोई उपकार जनता का नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा मुकदमा या डकैती नहीं है जिसका पहले से जा कर पुलिस पता लगावे कि फलां जगह डकैती होने वाली है। थाने में २०,२० सिपाही आराम करते रहते हैं। यदि हम यह समझें कि पुलिस फोर्स पहले पहुंच जाय तब तो कोई उपयोगिता हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो कत्ल होते हैं वहां पहले से पहुंच सके तब तो उपयोगिता है। यह चौकियां और थाने केवल पोस्ट आफिस मात्र हैं। जिस आदमी के यहां चोरी, डकैती या कत्ल होता है वह थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा आता है, उन्होंने उस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया। अब अगर इन थानों का यही काम है तो प्रभावित व्यक्ति शहर में कोतवाली में ही आकर रिपोर्ट लिखा सकता है। गांवों में पुलिस थानों की उपयोगिता क्या रही? उपयोगिता तो तब है जब क्राइम कमिट होने से पहले उसका प्रबन्ध हो जाय। वरना जितना रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च किया जाता है उसके खर्च करने का आपको अधिकार नहीं है।

सरकार को इस पर विचार करना चाहिये जो भ्रष्टाचार, व्यभिचार पुलिस वाले करते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति होती है, शहरों की तो मैं नहीं जानता, गांवों में कोई भी सिपाही ऐसा नहीं है जिसका चरित्र अच्छा हो, कहीं न कहीं से उसका संबंध रहता ही है जिससे इंट्रीकेसीज पैदा हो जाती हैं। इलाहाबाद में हाल में हुये झगड़े के बारे में बताया गया कि उसका संबंध भी किसी व्यभिचार से था, किसी लड़की से ताल्लुक था। इसी प्रकार देहातों में जो थाने बने हुए हैं, जो सिपाही रहते हैं उनका किसी न किसी प्रकार कोई संबंध किसी दूसरे घराने से होता है।

माननीय सदस्य ने बताया कि जुडिशियल पुलिस अलग हो। कारण कि जब थाने पर कोई रिपोर्ट लिखायी जाती है तो दरोगा जो लिख लेते हैं, उसके बाद वह छानबीन में लगते हैं, इसके लिये नहीं कि कैसे, कहां और क्यों डकैती पड़ी या चोरी हुई, तथा क्या-क्या पौसिबिल वेज उसके डिटेक्ट करने के हो सकते हैं, बल्कि वह यह छानबीन करता है कि आसपास ऐसे कितने लोग पैसे वाले हैं जिनको फंसा कर रुपया वसूल कर सके। ऐसे ही लोगों को फंसाया जाता है ताकि रुपया वसूल हो सके। बहाना तो इनक्वायरी का है, लेकिन पैदा किया जाता है पैसा। अगर वही जांच किसी अफसर को सुपुर्द की जाय जो ऊंचे दरजे का हो तो शायद यह भ्रष्टाचार न हो सके।

अभी तो यही होता है कि लोगों से रुपया वसूल करने की तरकीबें सोची जाती हैं, किसी से कह दिया कि तुम दफा ४५ में दरख्वास्त दे दो, हम कुर्की करा देंगे। इसी तरह से नक्सेअमन के जो मामले होते हैं उसमें एक पार्टी को ही बन्द किया जाता है जब कि दोनों पार्टियों को बन्द किया जाना चाहिये। इसी प्रकार से एक सदस्य ने बताया कि पकड़ा कहीं और बताया कहीं। आज ही सुबह एक प्रश्न था कि सीतापुर में ६ रोज के अन्दर १९ आदमी पकड़े गये ११० दफा में, कहीं से रिपोर्ट आ गई और उन लोगों से कुछ पैसे मिले नहीं, इसलिये उनको बन्द कर दिया। सिवाय रुपया पैदा करने के और कोई काम नहीं रह गया है। मैं चाहूंगा कि जो दरोगा रिटायर हों उनके बारे में सरकार पहले से पता लगाये कि कितना

[श्री हरिनाथ तिवारी]

रुपया उसने इकट्ठा कर लिया है। इतनी छोटी सी तनख्वाह में कितना रुपया उसने इकट्ठा कर लिया है और कैसे इकट्ठा हो गया, इसका पता सरकार जरूर लगाये।

अभी बताया गया कि इनके पास पावर्स बहुत होती हैं जिसका वे दुरुपयोग करते हैं। उन पावर्स को कम करने के लिये जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था इनक्वायरी दूसरे के द्वारा करायी जाय, किसी बड़े अफसर द्वारा करायी जाय तो पावर्स में भी कमी हो जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**—आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री भगवानदास** (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मुझे शिकायत के रूप में कहना पड़ रहा है कि कल से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया। क्यों मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं?

**श्री उपाध्यक्ष**—सब एकदम नहीं बोल सकते हैं। जो मेरे पास लिस्ट है आपके लीडर्स की दी हुई उसीके मुताबिक मैं चलूंगा।

**श्री जगदम्बाप्रसाद** (जिला फैजाबाद)—जिन आदमियों ने कटौती का प्रस्ताव दिया है उनको समय मिलना चाहिये। कल भी मैंने निवेदन किया था, लेकिन कल भी आपने समय नहीं दिया और आज भी आप समय देने के पक्ष में नहीं मालूम पड़ते।

**श्री उपाध्यक्ष**—आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य खुद खड़े हो कर अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा हो अगर वह चेयर से आज्ञा पाने के बाद ही बोला करें। इससे सदन की मर्यादा कायम होगी। ऐसा न करने से अच्छी तरह से बहस न हो सकेगी। अब मैंने श्रीमती बेनीबाई को बुला लिया है, उसके बाद औरों को चांस मिलेगा।

**श्रीमती बेनीबाई** (जिला झांसी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का समय दिया। श्रीमन्, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं।

अंग्रेजों की २०० साल की गुलामी के बाद जैसे ही देश आजाद हुआ हमारे यहां कांग्रेस सरकार बनी, जिसने पुलिस विभाग में कई सुधार किये। सर्वप्रथम पुलिस स्टाफ बढ़ाने के लिये यंग मैन को भरती की और उनके प्रशिक्षण के लिये कई ट्रेनिंग कालेज तथा आर्म्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की, जहां से ट्रेनिंग पाने के बाद लोग पुलिस विभाग में योग्यता नुसार रखे जाते हैं, उनकी पदोन्नति होती है। हमारी सरकार ने अपराधों को रोकने की दिशा में सराहनीय कार्य किये हैं और उसमें सफलता प्राप्त की। कई कुख्यात डाकुओं के गिरोहों का विनाश किया और जनता से सम्पर्क स्थापित करने में विशेष प्रयत्न किये।

प्रदेशीय सरकार जो वेतन इस समय कांस्टेबिलों को दे रही है वह उनके परिवार के पालन पोषण की दृष्टि से न के बराबर है। अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उनको इस समय जो वेतन दिया जा रहा है उससे कम से कम डेढ गुना वेतन दिया जाना चाहिये। जहां तक दुर्घटनाओं अथवा पुलिस दुर्घटनाओं में पुलिसमैन की मृत्यु हो जाती है उसके लिये भी हमारी सरकार को उनके बच्चों के पालन पोषण के लिये जब तक कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर तैयार न हो जायं उनका पूरा वेतन खर्च करना चाहिये। ऐसा करने से वे अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करने में पूर्ण समर्थ हो सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से अपने बुन्देलखंड के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहती हूं। बुन्देलखंड में झांसी जिले में हमेशा डकैतियां पड़ा करती हैं। झांसी जिले में ललितपुर और महरौनी स्थान डकैतों के नाम से मशहूर हो गये हैं। देवीसिंह नाम का एक कुख्यात डाकू

हमारी पुलिस द्वारा मारा गया है। प्रदेशीय सरकार तथा मध्य प्रदेश की सरकार इनाम भी नहीं बांट पाई कि ४४ आदमियों का एक गिरोह बन कर तैयार हो गया है और जिसका सरदार पूर्ण सिंह नाम का डकैत है। यह गिरोह दिन दहाड़े डाके डालता है और कत्ल किया करता है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह इन एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरिया करार दे कर यहां पर पुलिस का विशेष प्रबन्ध करें और यहां पर ज्यादा संख्या में थानों की व्यवस्था की जानी चाहिये। इन जगहों पर थानेदार को जो घोड़ा एलाउन्स दिया जाता है वह न देकर जीप की अथवा पिकअप की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे वह जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकें और घटनास्थल पर शीघ्र पहुंच कर जनता को इन दुर्घटनाओं से शीघ्र राहत पहुंचा सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हुयी माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत पुलिस अनुदान का पुनः समर्थन करती हूं।

**श्री गिरजाप्रसाद** (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, आजादी मिलने के बाद सर्वसाधारण को यह आशा थी कि पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। सरकार पुलिस के आदमियों को जनसाधारण की सेवा भावना की ओर लगा सकेगी। किन्तु अभी तक जो पुलिस का तौर तरीका रहा है वह पहले जैसा ही है। गांव में जो थोड़े से सम्पन्न हैं उनका पुलिस से पूरा गठबंधन है और इस गठबंधन में कुछ बदमाश तत्व भी सम्मिलित रहते हैं और यह दोनों श्रेणी के गठबंधन बराबर जनसाधारण को दबाया करते हैं, परेशान करते रहते हैं। जनसाधारण की जान व माल की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। चाहे बड़े लोग गरीबों के खेत पर कब्जा कर लें, चाहे उनको बेइज्जत करें, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब कभी ज्यादती के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जनता थाने पर सहायता के लिये जाती है, तो वहां से उसे निराश होकर लौटना पड़ता है। हमारा आपके द्वारा यह सुझाव है कि सबसे पहले अगर पुलिस संगठन में सुधार करना है तो इस गठबन्धन को तोड़ना चाहिये वरना जनसाधारण को पुलिस के द्वारा कोई राहत नहीं मिल सकती है।

श्रीमन्, पुलिस का प्रमुख कर्तव्य जनसाधारण की रक्षा और उसकी मदद करने का है। जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है, चोरी बढ़ती जा रही है, कत्ल बढ़ते जा रहे हैं, डाके बढ़ते जा रहे हैं और राहजनी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम उस ओर ध्यान नहीं देते। आज गांवों में यह हालत है कि डाका पड़ता है, पुलिस में रपट लिखाने जब हम पहुंचते हैं तो डाके की जगह ४५२, ३२४, १४७, १४८ आदि आदि धाराओं में रपट लिखी जाती है और डाके की बात खत्म कर दी जाती है। कभी कभी डाके की जगह चोरी की रपट दर्ज की जाती है। अभी हमारे मंत्रीजी ने बताया कि आदेश भेजे गये हैं कि रपट सही दर्ज की जाय, लेकिन गांवों में आज भी वही हालत है। कभी कभी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर हम पूरी रपट लिख दें तो हमारी नौकरी चली जायगी। श्रीमन्, एक तरफ तो माननीय सदन में यह कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है कि वे सही रपट लिखें, लेकिन दूसरी तरफ जिला अधिकारीगण जवाब तलब करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं इसलिये वे मजबूर होते हैं, गलत रपट लिखने के लिये।

साथ ही साथ पुलिस का जो भ्रष्टाचार का तरीका है उसमें नयी-नयी खोजें चल रही हैं। कभी कभी रपट में नफर लिख लिया करते हैं और उस नफर के द्वारा ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है जिनसे पैसा मिले। यही नहीं, मेले आदि आयोजनों पर पुलिस मनोरंजन के नाम पर जुआ खिलवाती है और जनसाधारण को ठगती रहती है। माननीय सदन में दफा १०९ और ११० की बात कही जाती है, लेकिन पुलिस को शान्ति भंग होने के अंदेशे में जो १०७ और ११० को हर समय इस्तेमाल करने की छूट दी गयी है उससे जनसाधारण की परेशानी और बढ़ती जा रही है; इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

श्रीमन्, एक बात और कही जा रही है वह यह कि ग्राम रक्षा दल कायम किया जा रहा है जो गांव की रक्षा करेगा। श्रीमन्, जिनके हाथ में ताकत होती है वे विरोधी दल के लोगों

[श्री गिरजाप्रसाद]

को पुलिस से मिलकर परेशान करते रहते हैं और सताये जाते हैं। इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। ऐसी हालत में अगर ग्राम रक्षा दल का संगठन करना है तो कोई ऐसा उपाय सोचा जाय जिससे विरोधी दल के लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो। श्रीमन्, इसके साथ ही साथ....

**श्री उपाध्यक्ष**—आपका समय समाप्त।

***श्री बैजनाथसिंह वैद्य** (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो पुलिस का अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आपके समक्ष जो बातें इस समय रखी जा रही हैं पुलिस के सम्बन्ध में, मैं उन साथियों को जो इसके विरोध में हैं, आपके द्वारा याद दिलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश हूकूमत के जमाने में पुलिस की स्थापना हुई थी जिसको लगभग १०० वर्ष से अधिक हो गये। उस समय की पुलिस सरकार का मुख्य अंग बन गई थी और उसका दरअसल में अंग्रेजी सरकार की हिफाजत करना और सरकार के खिलाफ कोई बात करने वाला हो या सोचने वाला हो, उसके बारे में प्रबंध करना था देश की भलाई उस समय पुलिस के सामने नहीं थी। उस समय से ही पुलिस का महकमा जनता में और किसानों में बुरी तरह से बदनाम हो गया है। लोग समझते थे कि पुलिस जनता का शोषण करने के लिये और परेशान करने के लिये ही है और अंग्रेजों की मदद करने के लिये और लोगों को दबाने के लिये ही कायम की गई है।

श्रीमन्, उस जमाने में और आज के जमाने में महान अन्तर हो गया है। यह जनप्रिय कांग्रेस सरकार जो १५ साल से कायम है, इसे सुधारवादी तरीके से, जैसा कि कांग्रेस का सिद्धान्त है, पुलिस के अन्दर परिवर्तन लाने की लगातार चेष्टा करती चली आ रही है। आप लोग इससे इंकार नहीं कर सकते हैं कि हम लोग सुधार की तरफ नहीं जा रहे हैं। वह पुलिस जो अंग्रेजी जमाने में कायम हुई थी और जिसका मकसद जनता का शोषण करना था, उसको सरकार ने अपने तौर तरीके से अपने सांचे में ढालने की कोशिश की और इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं। जो लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह में ही काम चलाते हैं, तो क्या बात है कि उनका नाम नहीं लिया जाता और एक तरफ से सबको कंडम किया जाता है? यह सुझाव नहीं आता है कि पुलिस विभाग अभी खत्म कर दिया जाय। अगर आपको पुलिस विभाग रखना है, वगैर उसके हमारे प्रदेश और समाज की सुरक्षा नहीं हो सकती है, तो फिर उसको बार बार बदनाम करना, गाली देना, उस पर हमला करना, उचित नहीं। एक तरफ आप उनसे काम भी लेना चाहते हैं, उसे अपनी हिफाजत के लिये रखना भी चाहते हैं, और दूसरी तरफ गालियां भी देना चाहते हैं। यह दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधी हैं।

यह परिवर्तनशील जमाना है। हम बड़ी तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस विभाग भी तेजी के साथ परिवर्तित होता जा रहा है। पुलिस के जमाने में वह करप्शन जो अंग्रेजों के जमाने में था, वह नहीं है, वह अत्याचार और वह जुल्म नहीं है। पुलिस अंग्रेजों के जमाने में नक्शा बना कर रिश्वत वसूल किया करती थी। आज यह बिलकुल समाप्त हो गया है। आज पुलिस वाले भी उत्सुक हैं कि लोग उन्हें अच्छा कहें, जन सम्पर्क भी स्थापित करना चाहते हैं, जनता के बीच में घुस कर काम भी करना चाहते हैं। यह मनुष्य मात्र का स्वभाव होता है कि कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहता कि लोग उसे बुरा कहें। इसलिये हमारी पुलिस के अन्दर बड़ी तेजी से साथ सुधार होता चला जा रहा है।

बहुत सी बातें सदन के सामने ऐसी कही गई हैं जो बिलकुल व्यावहारिक नहीं हैं। हमारे एक भाई ने यह कहा कि इंगलैण्ड की पुलिस एफीशेंट पुलिस है। जब तहकीकात में जाते हैं तो एक खासा पूरा खच्चर का सामान लाद कर जाते हैं। उन्होंने बहुत से इंस्ट्रमेन्ट्स के नाम गिनाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको याद रखना चाहिये कि वहां की पुलिस को कितनी तनख्वाहें मिलती हैं, वहां की पुलिस पर सरकार बहुत रुपया खर्च करती है । उनको जीपें भी मिली हुई हैं । जिन इंस्ट्रूमेन्ट्स के नाम उन्होंने गिनाये दरअसल उनको एक नुमाइश-सी मालूम होती है ।

यह कहना कि जरायम तेजी से बढ़ रहे हैं यह बिलकुल गलत है । पहले यह टेंडेंसी थी कि जरायम कम लिखे जाते थे, रिपोर्टें छिपा ली जाती थी । लेकिन चौधरी चरणसिंह जी के जमाने में चारों तरफ एक हुकुमनामा निकाला गया कि जितनी रिपोर्टें हों सारी की सारी लिखी जायं । इसमें पुलिस अफसरों को तरक्की मिलेगी । उस वक्त से यह चीज बदली और सारी रिपोर्टें लिखी जा रही हैं ।

मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने जो अनुदान पेश किया है वह दरअसल सराहनीय है । यह बात सही है कि थाने में दस, ग्यारह कांस्टेबिल्स, एक हेड कांस्टेबिल, और दो सब-इंस्पेक्टर्स १४-१५ मील के एरिया के लिये काफी नहीं होते हैं और वह मौके पर प्रबन्ध के लिये नहीं पहुंच सकते । चाहिये तो यह था, दरअसल में कि थानेदार और तादाद में बढाये जाते और कांस्टेबिलों की तादाद और बढ़ायी जाती । १२५ और २,००० जो बढ़ाये गये हैं वह नाकाफी हैं । मेरा तो सुझाव यह है, हालांकि लोग जरूर उस पर हंसते हैं, लेकिन सरकार इस वक्त जो उनकी तनख्वाहें बढ़ा रही है, वह तनख्वाह बहुत कम है । दरअसल जितनी मेहनत थानेदार करता है, जितनी मेहनत से वह काम करता है उसके लिये उसे जो तनख्वाह दी जाती है वह बहुत कम है । श्रीमन्, महीने में २५ दिन उसे अदालतों में जाना पड़ता है और ऐसे ढंग से गवाहों को उसे ले जाना पड़ता है जिसका कि खर्चा सरकार की तरफ से उसे नहीं मिलता । उसके एलाउंसेज भी बहुत लिमिटेड हैं । तो नतीजा यह होता है कि उसको कुछ गलत तरीके भी अख्तियार करने पड़ते हैं । इसलिये मैं तो अपनी सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि थोड़ा-सा पैसा, थोड़ा-सा एलाउंस उनका और बढ़ा दिया जाय इस काम के लिये जिससे कि वह अपने केसेज की पैरवी ठीक तरहसे कर सके ।

दूसरी चीज यह है कि अगर उसकी तनख्वाह ३०० और ४०० के बीच में हो जाती है तो वह अपने को और बहुत बड़ा जिम्मेदार महसूस करेगा और इस बात को भी कोशिश करेगा कि जो इस तरह की शिकायतें उसके खिलाफ हो जाती हैं और जो मजबूरन उसे कभी-कभी गलत काम करने पड़ते हैं, जिन्दगी की जरूरियात उसको मजबूर करती है थोड़ा इधर उधर करने के लिये वह सब बन्द हो जाय । आज जो तनख्वाह सरकार देती है कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल और सब-इंस्पेक्टर्स को वह बिल्कुल नाकाफी है उनकी जिन्दगी की जरूरियात के लिए । क्योंकि उनकी जिन्दगी हर समय खतरे में रहती है । कहीं डकैती की इत्तला मिले तो फौरन उनको जाना पड़ता है, डकैतों से मुकाबला करना पड़ता है, कभी कभी हमारे पुलिस वालों की जानें भी उसमें जाती हैं । इसलिये जिनकी जानें जाती हैं उनका एक आटोमेटिक इन्श्योरेन्स भी होना चाहिये जिसमें कि कुछ रुपया उनकी फैमिली वालों को खास तौर से मिल सके । कभी-कभी ऐसा होता है कि बड़े-बड़े मुकाबले करने के बाद भी और बड़े-बड़े केसेज को पकड़ने के बाद भी उनको जितनी इज्जत मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिलती । इसलिये उनकी हिम्मत नहीं बढ़ पाती है । अभी यहां एक जिक्र आया इलाहाबाद का और दूसरी जगहों का कि वहां गोलियां चलीं । लेकिन वहां की परिस्थिति ऐसी थी, श्रीमन्, कि अगर गोली नहीं चलती तो थाना और कोतवाली लूट ली जाती ।

**श्री भगवानदास**—उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने सरकार की ओर से पुलिस का बजट जो पेश हुआ है उसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों के लोगों ने अपने अपने विचार प्रगट किये । सदन को वर्तमान हालत में देखते हुये मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन बेंचों के लोग भी और इन बेंचों के लोग भी दोनों के दोनों यह मानते हैं कि पुलिस में भ्रष्टाचार है और करप्शन है । कुछ मानते हैं थोड़े अंशों में है और कुछ मानते हैं ज्यादा अंशों में है । इतना ही दोनों पक्षों में

[श्री भगवानदास]

मतभेद दीखता है। मैं इस सम्बन्ध में अपना एक दृष्टिकोण रखना चाहता हूं और वह यह है कि पुलिस में यदि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करना है तो आपको जूडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग करना होगा। जब तक दोनों अलग नहीं होते तब तक न्याय कभी नहीं मिल सकता क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत जूडीशियरी होने के कारण जन-साधरण को न्याय नहीं मिलता। जितने भी केसेज होते हैं, जितनी भी चोरी डकैतियां पड़ती हैं, और जितने भी पुलिस के गलत-सलत काम होते हैं उनमें जूडिशियल आफिसर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इशारे पर गलत लोगों को सजायें दे देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पिल्स हैं कि सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से ऐसे बहुत से केसेज छूट जाते हैं। साथ ही आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने भी पिछले बीस वर्षों से इस बात के लिये आवाज उठायी है, प्रस्तावों में भी बार-बार कहा गया था कि जूडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग कर दिया जाय। कुछ जिलों में जूडीशियरी और एक्जीक्यूटिव अलग भी की गयी लेकिन आप के अधिकारियों ने उसको चलने नहीं दिया। उन सम्बन्धित अधिकारियों का कैरेक्टर रोल कलेक्टर साहब के हाथ में हैं जिसकी वजह से क्लेक्टर साहब के दबाव में आकर सही न्याय नहीं हो सकता।

पुलिस की बढ़ती हुई रिश्वतखोरी को रोकने के लिये यदि आप बिना किसी भेदभाव के, बिना इस भेद भाव के कि यह विरोधी दल की तरफ से सुझाव आया है, विचार करेंगे तभी कोई उसके लिये ठोस कदम उठाया जा सकता है। ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस को इसलिये बनाया गया था कि वह अपना शासन हिन्दुस्तान में कायम रखना चाहते थे। एक चौकीदार होता था। उसके बाद एक सिपाही होता था। उसके बाद दीवान जी होते थे, फिर थानेदार फिर इन्सपेक्टर। इस तरह से उनकी एक शृंखला सी बंधी होती थी। इन सब में थानदार और सिपाही ही ऐसे होते हैं कि जो गोली के सामने आते ह और पुरस्कार लेने क लिये आई० जी० और एस० एस० पी० महोदय होते हैं। कई घटनायें इस प्रान्त में इस तरह की हुई हैं कि जिनमें बहुत से थानेदार और कई सिपाही बड़े-बड़े डाकुओं के गग की गोली के शिकार हुये और डाकुओं को गिरफ्तार व सफाया भी किया गया, लेकिन जब पुरस्कार मिलने का समय आया तो उच्च कोटि के अफसरों को, जो आई० पी० या यू० पी० पी० के होत हैं, उनको मिला। कुछ डी० वाई० एस० पी० और एस० पी० को मिला।

सरकार ने पुलिस प्रशासन में बहुत अन्तर कर रखा है। उसका यही कारण है कि भ्रष्टाचार के लिये बहुत से लोगों को कुछ अंश में मजबूर होना पड़ता है। यह बार-बार कहा गया था कि पुलिस अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और वही पूरी की पूरी हमको मिली, इसलिये बुराई आ गयी है, किन्तु ऐसी बातें कहने से सचाई को छिपाया नहीं जा सकता। शुरू-शुरू में जब आपका शासन प्रान्त में आया था तो भारतवर्ष में बहुत आदर नई सरकार के प्रति बढ़ा था। इन पुलिस वालों में, उस समय चाहे वे लोग अंग्रेजो के जमाने के ही रहें हों, उनमें बहुत भय पैदा हो गया था। मैंने उन दिनों देखा था। यहां पर उन दिनों एक पालियामेंटरी सेक्रेटरी थे, मैं उनके साथ कुछ स्थानों में गया था और देखा था कि बहुत से थानों में उन्होंन खुद जाकर कई थानेदारों को ससपैण्ड करने का प्रयास किया था। रफी अहमद साहब को आप लोग जानते होंगे। उन्होंने खुद ही एक देहाती का वेष बनाकर एक थाने में जाकर एक केस को पकड़ा था। आगे हमारे पुलिस प्रशासन के, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, वह इस कदर मुलायम हैं कि अगर गर्मी की दोपहरी में संतरे के छिलके पर पैर पड़ जाय तो उनको जुकाम हो सकता है। इस तरह के प्रशासन के अन्दर आमूल परिवर्तन कर देने की योजना बनाई जाय तभी प्रशासन अच्छा हो सकता है।

परिवर्तन लाने के लिये आपको इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ेगी कि जो बहुत ही सख्त रूप की हो। आपको अपने लिये ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा तभी आपके अधिकारी आपसे दब सकते हैं। पहले समय में जब कांग्रेस शासन आया था तो उस समय सुना था और देखा

था कि पुलिस वाले बहुत घबराये हुये थे और कहते थे कि भाई यह कांग्रेस वाले बहुत सच्चे हैं, दो कुर्त्ते, दो पायजामें, दो टोपी रखते हैं। इनका खर्चा बहुत नहीं है और ये बहुत ईमानदार आदमी हैं। इस तरह की उनकी भावना हो गयी थी। लेकिन धीरे-धीरे आपका प्रसाशन बढ़ता गया तो आपके अन्दर सत्ता का मद आया और सत्ता के नशे में चूर होकर आप लोग भी उन अंग्रेजों की तरह जनता के सामने आपको पेश करने के लिये लालायित हुये। अपने स्वार्थ के लिये नीचे के अधिकरियों से सिफारिशें करने लगे। आपने गलत रूप में लोगों को प्रोमोशन दिये। जिसका हक था उनको न देकर उनका हक छोड़कर गलत आदमियों को दिया। इस वजह से जो सही काम करने वाले थे और जिनके दिल में जोश था उन्होंने काम करने में ज्यादा दिलचस्पी लेना कम कर दिया। यही आपके पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण है।

दूसरी बात हम पुलिस प्रशासन में आज यह देखते हैं कि जातिवाद का बोलबाला है। उसमें जातियों के आधार पर ट्रान्सफर होते हैं। यदि कोई एस० पी० अमुक जाति का है तो जो बड़े-बड़े थाने हैं, या आमदनी के थाने हैं या इंडस्ट्रियल टाउन हैं उन थानों में उस बिरादरी के ही थानेदार को भेजा जाता है और वहां पर एस० ओ० बनाया जाता है और उनके द्वारा जनता के अधिकारों का शोषण होता है। अगर कोई आदमी उसके खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत करता है तो उसको ताजीरात हिन्द की दफाओं के अन्दर फंसाया जाता है। कुछ दफायें तो ऐसी हैं कि उनकी बेल होना भी मुश्किल हो जाता है। मैं खुद भी उसका शिकार हो चुका हूं। मैं बता रहा था कि यह अंग्रेजों का हमारे प्रदेश में शासन करने का तरीका था। वे हम हिन्दुस्तानियों को गुलाम समझते थे और साथ में यह भी समझते थे कि अगर इनमें कोई चेतना आ गयी तो इस मुल्क में कभी भी क्रान्ति हो सकती है और उसे रोकने के लिये उन्होंने हमारे बीच में क्लास बनाये और एक क्लास को दूसरे क्लास पर हुकूमत करने का मौका दिया। आज वही तरीका हम अपनाये बैठे हैं। आज अपने भी वैसे ही निकले जैसे बिराने थे। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इस प्रशासन में कुछ उन्नति करेंगे। जब तक लोग स्वयं ईमानदार नहीं है, स्वयं ठीक काम नहीं करते तब तक हम अपने कर्मचारियों को और प्रशासन को ठीक करने में समर्थ नहीं हो सकते।

इसके साथ ही पुलिस विभाग में एक बड़ी भारी असमानता है। एक घोड़े का भत्ता एक थानेदार को ४५ रु० दिया जाता है और उतने ही बड़े घोड़े का भत्ता, जो एक एस० पी० के पास होता है उसे इस्तेमाल नहीं करता वरन् जीपों में घूमता है, उसे १०० रुपया दिया जाता है। दोनों में बड़ा अन्तर है। कंप्लेन्ट अफसर केवल पुलिस विभाग के कम्पलेन्ट्स देखते हैं, उनको चाहिये कि जहां जहां भ्रष्टाचार की शिकायत हो वहां वहां समय दें और देखें कि कहां क्या खराबी है। इसके अलावा यदि उसके पास किसी पुलिस के छोटे अधिकारी की शिकायत आ जाती है तो उससे पूछा जाता है कि कितने कनस्तर घी भेज सकते हो, यदि वह उनकी इच्छा पूरी कर सकता है तो उसके हक में फैसला हो जाता है। इसके अलावा दफा ७ में जो बड़े पुलिस अधिकारियों को आपने खुदा बना रखा है, उस प्रथा को समाप्त करने के साथ साथ उनके मामलों को न्याय विभाग को भिजवाना चाहिये और उनमें मैजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्यवाही करने का अवसर मिलना चाहिये। जो पुलिस के ईमानदार कर्मचारी हैं उनको सर्विस से इसलिये अलग कर दिया जाता है कि वह उनके षडयंत्र में, जिसमें लोगों का शोषण किया जाता है, शरीक नहीं होते। लिहाजा मेरा यह कहना है कि पुलिस प्रशासन में स्वच्छता लाने के लिये उसमें कुछ भारी परिवर्तन करने पड़ेंगे और जब तक हम यह बुनियादी परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता।

श्री यादवेन्द्रसिंह (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में बिलकुल नया आया हूं और आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं। मेरा खयाल है कि मेरे अन्य साथी जो नवागन्तुक हैं उनको मुझ से इंस्पीरेशन मिलेगा। जो सरकार की तरफ से मांग रखी गयी हैं मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस सिलसिले में जो दो, तीन मूलभूत बातें हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना मुनासिब समझता हूं।

[श्री यादवेन्द्रसिंह]

आपके द्वारा श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सदन में सवेरे से इस विषय पर बराबर बहस मुबाहिसा चल रहा है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और दोनों एक दूसरे की सही बात को भी काटने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है और होना यह चाहिये कि जो बात सत्य हो, उसे हमें माननी चाहिये भले ही वह किसी पक्ष से भी कही गयी हो। अभी बहस के दौरान में पुलिस के सिलसिले में जो मांगें रखी गयीं उनके बारे में हमारे सामने बैठे हुये माननीय सदस्य बराबर यह कहते रहे कि पुलिस के ऊपर इतना खर्च करना आवश्यक है। अब सवाल आता है कि पुलिस के लिए यह खर्च आवश्यक है या नहीं? आप देखें कि जब ब्रिटिश रिजीम थी तो पुलिस का काम टेरोरिज्म पर बेस्ड था। वह आतंक पैदा करके जनता को दबाने की बात सोचते थे, लेकिन आज जबकि हमारी सरकार है, उसके लिए आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था हो कि हमारे पुलिस अधिकारी जनता में सद्भावना पैदा करके सहयोग की मांग करें और जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन कम आदमी बहुत ज्यादा क्षेत्र में जन-सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते। पुलिस और जनता के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस की तादाद बढ़ायी जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकें।

दूसरी बात यह है कि हमारी जन संख्या डेढ़गुनी और दुगुनी बढ़ चुकी है, लेकिन थाने और चौकियां उतने ही हैं। जब जनसंख्या के अनुसार थाने और चौकियों बढ़ेंगी तो सिपाहियों की तादाद भी बढ़ेगी और फिर उनकी तनख्वाह की बात भी सोचनी पड़ेगी और पैसा भी लगाना होगा। यह सत्य है कि जितना भी पैसा सरकार और चीजों पर खर्च करे उनसे ज्यादा पुलिस के ऊपर खर्च होने वाली रकम का होना अत्यावश्यक है, इसलिए कि जब हम में अपने जन-जीवन और धन की सुरक्षा की भावना न हो, हम सुरक्षित न हों और हमारी पुलिस अच्छी तरह से हमारी हिफाजत करने के लिए तत्पर न बना दी जाय तब तक आप हमारे लिए सितारा भी तोड़ कर जमीन पर ला दें तो हमें संतोष नहीं हो सकता।

देखने की बात यह भी है कि उनको अच्छी से अच्छी तनख्वाह देते हुए कहां तक उनके अन्दर एफिशियेंसी ला सकते हैं और कहां तक वह एफिशियेंसी में पीछे जा रहे हैं। यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश काल में लखनऊ में बैठा हुआ एक अधिकारी बहुत दूर होने वाले किसी भी षड़यंत्र के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी कर लेता था। आज हम पुलिस बढ़ाते जायं और उनके अन्दर एफिशियेंसी न आवे तो सोचना होगा कि वह कैसे बढ़े।

हम जब कहते हैं कि पुलिस के लोग बहुत गैर-जिम्मेदाराना काम करते हैं तो हमें सोचना होगा कि आखिर वह भी तो हमारे ही भाई, बेटे और इसी तरह के लोग हैं, और अगर वह गैर-जिम्मेदाराना काम करते हैं तो उस जिम्मेदारी से हम बरी नहीं हो सकते। केवल ईमानदार आई० जी०, डी० आई० जी० और पुलिस अधिकारी उनको दुरुस्त कर सकें, ऐसा मैं नहीं सोचता। हम जो जन-प्रतिनिधि के रूप में यहां आते हैं तो हमारा कर्त्तव्य है कि उस दिशा में कदम बढ़ावें। यह हो सकता है कि किन्हीं जगहों पर हमारी बात पर कार्य न हो, लेकिन साथ ही हमें अपने आप को एसर्ट करना चाहिये और यह विश्वास होना चाहिए कि अगर अकेले चल कर भी हम अपनी बात को रख सकें और सरकार के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कर सकें तो जरूर सुधार होगा और सुधार होगा तो एफिशियेंसी जरूर बढ़ेगी। फिर आज जो शिकायतों की बात आती है वह हमारे सामने नहीं आ सकेगी।

एक बात सोचने की यह है कि पुलिस में और क्या-क्या बातें खास तौर से देखने की हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का सैपेरेशन होना चाहिए। मांटेस्क्यू का भी यही कहना था

"There should be a lear separation of power in the Government."

यह जरूर माना जायगा कि सैपेरेशन होना चाहिए, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि कोआर्डिनेशन न हो। अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन से मैजिस्ट्रेसी को अलग कर दें तो यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि जल्दी इंसाफ मिल सके। यह जरूर है कि जहां पर हमारी फौजदारी की धाराएं कहती

हैं कि ४५ रोज के अन्दर फौजदारी के मुकदमों का इंसाफ होना चाहिए तो उसमें डिले होती है। जब डिले होती है तो मुद्दई और गवाह के सामने परेशानी होती है। गवाह परेशान होकर होस्टाइल हो जाते हैं और मुकदमे छूट जाते हैं, जिससे मुद्दई और पुलिस को परेशानी होती है। अगर हम पुलिस पर खर्चा बढ़ाने के साथ साथ मैजिस्ट्रेसी को टाइट कर सकें और जनता को सस्ता और सुलभ न्याय ४५ दिन के अन्दर मिल सके तो इससे पुलिस की एफीशियेंसी बढ़ जायगी। आज पुलिस बदमाश लोगों का चालान करती है लेकिन या तो उसको गवाह नहीं मिल पाते या फिर गवाह होस्टाइल हो जाते हैं। इसलिये उनके लिये जरूरी हो जाता है कि वह खराब आदमियों का साथ पकड़ें। अगर हम जल्दी और सस्ता न्याय जनता को दिला सकें जैसा कि जाब्ते के अन्दर लिखा हुआ है तो पुलिस के करप्शन में आप से आप कमी आ जायगी और आज जो पुलिस पैसा कमाने की बात सोचती है उसमें कमी हो जायगी। पुलिस के सामने यह मजबूरी आती है कि वह किसका दामन पकड़े कि गवाह होस्टाइल न होने पाये और बदमाश को सजा हो जाय। अगर मुकदमा चलता है और सजा नहीं होती है तो यह और भी बुरी चीज होती है, क्योंकि बुरे लोगों को प्रश्रय मिलता है और वह समझने लगते हैं कि कत्ल करके और डकैती डालने के बाद भी बच सकते हैं। अगर बदमाश को सजा मिलने लगे तो उससे पुलिस को मदद मिलेगी और उसकी एफिशियेन्सी बढ़ जायगी।

पिछले आंकड़ों की बिना पर बहुत से लोग कहते हैं कि क्राइम्स बढ़े हैं। मैं कहता हूं कि इस बात से चौकन्ना होने की जरूरत नहीं है। कागजों पर अपराधों को बढ़ने दीजिये, उसको कागज पर रोकने से कोई लाभ नहीं है। हमको अपनी नैतिकता ऊंची करनी चाहिये। एक थानेदार जो कागज पर अपराधों को दर्ज करता है और जनता के सामने लाता है तो वह ईमानदार आदमी है, लेकिन अफसरों को खुश करने के लिये जो गलत आंकड़े पेश करता है, मैं समझता हूं कि वह आपका हितचिन्तक नहीं है। इसलिये आज अपराधों के बढ़ने के कारण चौकन्ना होने की जरूरत नहीं है। इससे यह साबित होता है कि पुलिस में सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाने की क्षमता आ रही है। हो सकता है कि यह बदनाम मुहकमा आगे चलकर ईमानदार हो जाय, आप मौका दीजिये और देखिये कि कितनी तरक्की करता है। हौसला बढ़ाने और मौका देने से, आपके ही जो भाई बन्द पुलिस में काम करते हैं, वह सुधरेंगे। अगर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाय और उनकी गल्तियों पर उनको समझाया जाय और रास्ते पर लाया जाय तो वह तरक्की कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि डिपार्टमेन्टल ऐक्शन्स, दफा ७ की कार्यवाही को न्याय में शामिल कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिपार्टमेन्टल ऐक्शन्स को कभी भी न्याय या जुडीशियरी में शामिल करेंगे तो अक्लमन्दी की बात नहीं होगी क्योंकि डिपार्टमेन्टल ऐक्शन में कोई बहुत ज्यादा लम्बी कार्यवाही नहीं होती, केवल मौके की जांच होती है और उसके तहत में जो आदमी जिम्मेदार पाया जाता है उसको सजा दे दी जाती है या ऐक्वीटल हो सकता है। लेकिन न्याय विभाग में जाने पर उसको मौका दीजिये, बातें सुनिये और तमाम जो प्रोसीडिंग्ज होती हैं उनमें जाना पड़ेगा। तो यह एक नामुनासिब बात होगी।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दफा ११७, १०७, १५१, १४५, १०९, ११० यह जो सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० की दफायें हैं इनके अन्दर पुलिस के हाथ में बहुत लांगरेंज की रायफलें दे दी गई हैं। इनके रेन्ज में किसी समय कोई आदमी आ सकता है सरकार को इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिये। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इस दिशा में वह विचार करें। इससे जनता के अन्दर कल्याण की भावना पैदा होगी। इन शब्दों के साथ, पुलिस पर जो ज्यादा खर्चा करने के लिये और सद्भावना पैदा करने के लिये सरकार ने मांग रखी है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन उसका समर्थन करेगा।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन का ध्यान पुलिस प्रशासन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दोनों पक्षों से अनुदान के आधार पर बहस हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को विरोधीपक्ष के लोग खराब बताते हैं, गालियां देते हैं, अपमान करते हैं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जबसे देश आजाद हुआ, प्रशासन ने तरक्की की है, तब से बहुत से ट्रेनिंग कालेज खोले गये हैं, उनका प्रशिक्षण हो रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं, पता नहीं उस जिले में आफिसर भी प्रशिक्षित हुए हैं अथवा नहीं, उनको किसी कालेज में अथवा किसी ट्रेनिंग कैंप में रखा गया है या नहीं।

माननीय चरण सिंह जी यहां नहीं हैं। कुछ दिन पहले उनसे निवेदन करने का मौका मिला था। आजमगढ़ की समस्याओं और खास तौर से वहां के एस० पी० साहब के बारे में उनसे कुछ कहा गया था। मुझे और हमारे साथियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जब एक मिनट सुनने के बाद वे ऊंघने लगे और उन्होंने कहा कि कोई दूसरी बात कहो, आजमगढ़ में तो हमने सबसे अच्छा एस० पी० भेजा है। सबसे अच्छे एस० पी० का काम कैसा है? जिस थानेदार के खिलाफ शिकायत होती है उसकी जांच कराने के लिये वह उसी को दे देता है। यह काम सबसे अच्छे एस० पी० का है तो खराब एस० पी० की क्या हालत होगी? कागजात से इसको सिद्ध किया जा सकता है कि जिसके खिलाफ शिकायत की गयी उसकी जांच करने के लिये उसी को दे दी गयी।

उतरौलिया थाने के थानेदार ने ३-४ जवान हरिजन लड़कियों को कई दिन तक थाने में बंद कर रखा और जब एस० पी० साहब से पूछा गया तो वे झूठ बोले कि ऐसा नहीं हुआ है। एक खराब आदमी का कत्ल हुआ और सारे देहात में से किसी आदमी ने भी रपट नहीं की कि उसका कत्ल हुआ है। पता नहीं किसी देहात के कुएं में उसकी लाश मिली, चौकीदार को पता लगा और ३-४ जवान लड़कियों को पकड़ कर थाने में बंद कर दिया गया।

मऊ थाने के नायब थानेदार को पंचायत इलेक्शन के सिलसिले में वहां पकड़ कर एक आदमी ने उसका रिवाल्वर छीन लिया। बड़े थानेदार ने उस आदमी को पीटा और जमीन में से रिवाल्वर खुदवा कर निकलवा लिया। बाद में थाने से उसको छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि अगर पुलिस की गलतियों पर इस तरह से पर्दा डाला जाता रहा तो जनता में अमन चैन रहने वाला नहीं है, खास कर गरीब आदमियों को बड़ी परेशानी होने वाली है। आज थानेदार और एस० पी० का राज्य हो गया है। मधुबन थाने में ६४ बोरे गांजा पकड़ा गया लेकिन सी० आई० डी० की रिपोर्ट के अनुसार २८ सेर ही गांजा मिला। ऐसी बातें जब होती हैं तो बड़ी परेशानी होती है। डकैती लिखायी गयी लेकिन उसकी जांच नहीं हुई, नामजद रिपोर्ट लिखायी जाती है, उसकी जांच नहीं होती है। मधुबन थाने के नियामतपुर गांव के कृष्णधारी लाल के यहां डकैती पड़ी, उनके बहुत अच्छे किवाड़ को टंगेरी से चीरा गया, लोगों ने डाकुओं का मुकाबला किया जिससे डाकू भागे, उसकी नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी,। लेकिन उसे दाखिल दफ्तर कर दिया गया। मुझे आश्चर्य तो यह है कि उस समय के पुलिस मंत्री से शिकायत करने पर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह की बातों से जनता हतोत्साह हो जाती है। अगर इस तरह से जनता उदासीन हो जायगी, प्रशासन और मंत्रियों की तरफ से उपेक्षा की जायगी तो बड़ी परेशानी हो जायगी। आज गरीब आदमी पुलिस से तबाह हो रहा है।

श्रीमन्, आज से एक साल पहले की एटा की बात मुझे याद आती है। गरीब जनता पुलिस से इस बात की उम्मीद करती है कि अन्याय परेशानी से पुलिस उसकी रक्षा करेगी। लेकिन एटा के माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि वहां एक हरिजन के यहां अलीगढ़ से बारात आयी थी जिसे गांव के बाहर ही रखा गया और तीन दिन तक उसे गांव में नहीं घुसने दिया गया। गांव वालों का कहना था कि एक हरिजन की बारात इस गांव से होकर नहीं जा सकती। एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० ने भी कहा कि कानूनी तौर से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इससे हरिजन जनता परेशान होती है। आप पुलिस वालों की कितना ही तनख्वाह बढ़ावें,

उससे कुछ होने वाला नहीं है। स्वराज्य होने के बाद चाहिये तो यह था कि जनता का विश्वास किया जाता और लोग निर्भय होकर थाने में जाते, और बिना घूस दिये हुए अपनी रिपोर्ट लिखवाते। लेकिन आज कोई थाना ऐसा नहीं है जहां घूस के लिये जनता को परेशान न किया जाता हो। ऐसे तो हर सरकारी मुकहमें में घूस चलता है लेकिन पुलिस में तो इतना घूस चलता है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। अभी उधर के एक भाई ने, पता नहीं कैसे, कहा कि ५ प्रतिशत पुलिस घूसखोर है। यह गलत है, मैं जिस जिले से आता हूं वहां की हालत देख कर कह सकता हूं कि हो सकता है कि ५ प्रतिशत पुलिस ईमानदार हो चुकी हो। यहां तो आवां का आवां ही कच्चा है, हम किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें। थानेदार की बात एस० पी० मानता है, एस० पी० की बात मंत्री मानता है, इससे बड़ी परेशानी होती है और मजबूरन कहना पड़ता है कि उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिये। अगर इस तरह से जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार रहता है, तो हो सकता है कि सरकार के प्रति जनता ऐसा कदम उठावे जो परेशानी में डालने वाला हो। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिये कार्यवाही की जायगी और ऐसे आफिसरों को जब तक दंड नहीं दिया जायगा तब तक जनता को सरकार में विश्वास नहीं पैदा होगा।

**श्री किशोरीलाल अग्रवाल** (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं पुलिस बजट पर बोलूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री ने पुलिस के बजट की जो मांग की है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज से १०१ साल पहल पुलिस का इंस्टिट्यूशन कायम हुआ। आजादी के पहले पुलिस का काम सिर्फ अंग्रेजी राज्य को चलाना था। परन्तु आजादी मिलने के बाद अब पुलिस का काम वेलफेयर स्टेट के ला ऐंड आर्डर को कायम करने का है। उसके लिये आप सब का यह फर्ज है कि पुलिस को जो शासन चलाने के लिये है उसको सहयोग दें ताकि हमारे प्रदेश में शान्ति रहे। जब शान्ति रहेगी तभी हमारा प्रदेश और जो हमारे नियोजन के कार्यक्रम है वह ठीक से चल सकेंगे।

आज विरोधी दल के लोगों ने जो पुलिस के ऊपर चार्ज लगाया है कि करप्ट है, करप्ट है, वह उनकी नीति बिलकुल गलत है, क्योंकि जो अंग हमसे अलग हो नहीं सकता है उसको करप्ट कहना बिलकुल बेबुनियाद है। हमें उसका इलाज करना चाहिये। हमारी सरकार ने, जब से आजादी आयी है तब से बराबर पुलिस आर्गनाइजेशन में सुधार के कदम उठाये हैं और उसका प्रमाण यह है कि उसने पुलिस कमीशन नियुक्त किया और उसकी रिकमेंडेशन पर विचार हो रहा है और उसको धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि जो हमारी पुलिस फोर्स कम थी उसको बढ़ाने के लिये रुपये की मांग की जा रही है। पुलिस कांस्टेबिल के पास फेमिली क्वार्टर्स नहीं हैं, उनकी कमी थी उसी के लिये रुपये की मांग की गयी है। पुलिस के ओहदेदारों की तनख्वाह के लिये ही तो धन बढ़ाने की मांग की गयी है। जिन कर्मचारियों से हम काम लेना चाहते हैं, अगर वह संतुष्ट होंगे तो अच्छे तरीके से और ईमानदारी से काम करेंगे और हम अगर सिर्फ यही कहते रहें कि वह बेईमान है, बेईमान है, तो फिर उससे काम नहीं चलने का। मैं विरोधी दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई केस आज तक पकड़ कर दिखाया?

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि डी० एस० पी० को पकड़ कर दिखाया गया।

**श्री उपाध्यक्ष**—बीच में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। माननीय सदस्य नये आये हैं, उन्हें बोलने दें।

**श्री किशोरीलाल अग्रवाल**—उनका यह कौन सा तरीका है? कोई सुझाव उन्होंने दिया नहीं। यह विरोधी दल की जिम्मेदारी है कि वह सु ाव दें ताकि हमारे पुलिस मंत्री उस पर अमल करें, लेकिन उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिय है।

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

आज लखनऊ में बुरका स्क्वाड कायम किया गया है। उसके कारण बहुत सुधार हुआ है और लखनऊ शहर में जो खराब आदमी थे वह पकड़े जा रहे हैं और अगर हम आप सब उसकी मदद करें तो कम से कम लखनऊ में जितने भी जरायम पेशा लोग हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं वह गिरफ्तार हो सकते हैं और लखनऊ शहर से गंदगी दूर हो सकती है।

पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ी है। उसका प्रमाण हरिद्वार का कुम्भ मेला है। इसके अलावा, पुलिस लाइन लखनऊ के अन्दर अभी हाल में ही चोरी हुई थी, आपने देखा कि जो कल-प्रिट्स थे कितनी जल्दी पकड़े गये। तो जब आप पुलिस को मौका देंगे, उन पर विश्वास करेंगे तभी वह दिल लगाकर काम करेंगे। अगर हम उनको सुविधायें देंगे, अगर हम जो मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है उस मांग को मंजूर करेंगे तो पुलिस के लोग समझेंगे कि हमारे विधायकगण हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम दयानतदारी के साथ काम करें।

पुलिस में काफी सुधार हुआ है। आज साइन्टिफिक सेक्शन के द्वारा जो वैज्ञानिक तरीके इन्वेस्टीगेशन के इस्तेमाल हो रहे हैं उससे बहुत कुछ जरायम जो पहले होते थे उन में कमी आई है। हम यह जरूर देखते हैं कि लखनऊ के पुलिस थानों में जो रिपोर्ट लिखाई जाती हैं उन से यह मालूम होता है कि लखनऊ में ज्यादातर जो जरायम के कार्य होते हैं वे शराब और ताड़ीखानों की वजह से होते हैं। अगर उन पर कंट्रोल कर दिया जाय तो अवश्य ही यह जो जरायम होते हैं उनमें बहुत कुछ कमी आ जायगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एक्साइज विभाग भी पुलिस के अन्डर में कर दिया जाय तो सुधार जरूर होगा क्योंकि आप चाहे जहां देखें, जितने दंगे फिसाद होते हैं वह ताड़ी शराब पीकर ही लोग करते हैं या यह दंगे विरोधी दल के लोग कराते हैं, जैसे इलाहाबाद में कराया। क्योंकि विरोधी पार्टी तो बगैर दंगे फिसाद के जिन्दा ही नहीं रह सकती। उसका तो काम ही है कि शासन में जो पार्टी है उसको बदनाम करने के लिये दंगे फिसाद कराये। मैं विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि उन में अब जिम्मेदारी पैदा होनी चाहिये और वह सरकार को मदद दें और बतायें कि एक वेलफेयर स्टेट में किस तरह से और सुधार हो सकते हैं। यह जरूरी है कि जो आज हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं वह शांति के साथ तेजी से पूरे हों और उनके द्वारा इस देश में सुख शान्ति फैले।

**श्री रामकिशोर** (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष जी, जो अनुदान माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्तुत हुआ है उसके विरोध में, और विरोधी पक्ष की ओर से जो उसमें कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज विरोधी दल के भाइयों ने जब पुलिस पर कुछ आक्षेप लगाये तो सभी कांग्रेस पक्ष के भाइयों ने जिस तरह से सफाई देने की कोशिश की उसको सुनकर तो मैं अवाक रह गया। लेकिन जब यही भाई सदन के बाहर होते हैं तो वे कानून का और सरकार का विरोध करते हैं। न मालूम उन बेंचों में क्या करामात है कि जब वह यहां आकर अपनी भावनाओं को दबाकर, सरकार के पक्ष का ही सही, गलत समर्थन करते हैं। वह जानते हैं कि माननीय मंत्रिगण की खुशामद से वह अपनी शिकायतों को रफा कर लेते हैं और कर लेंगे, इसी वास्ते वह पुलिस के खिलाफ भी सही बात कहने में आज गुरेज करते हैं।

आज पुलिस का जो रवैया है वह सेवा का नहीं है, भ्रष्टाचार का है। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश जमाने में पुलिस का ध्येय सेवा का नहीं और डंडे की हुकुमत का था, लेकिन मैं देखता हूं कि आज तो पुलिस उस जमाने से भी अधिक भ्रष्टाचारी हो गई है। आज किसी थाने में भी कोई जब रिपोर्ट लिखाने जाता है तो बगैर कुछ लिये हुये उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, चाहे अपराध पुलिस के हस्तक्षेप का ही क्यों न हो, लेकिन बगैर रिश्वत लिये रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। सरकार की तरफ के लोग ठंडे दिल से अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दें कि यह कहां तक ठीक है और कहां तक ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि आज एक भी रिपोर्ट बगैर रिश्वत के दर्ज नहीं होती।

उस तरफ के कांग्रेसी भाइयों ने दफा १०९, ११० और १०७/११७ का जिक्र किया था। मैं आप के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कहां दफा १०९ का प्रयोग आज होता है ? वह आज समाजवाद का नारा देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी नहीं, छोटी कौम के लोग जैसे लोधी, बजंर, हरिजन और कुर्मी होते हैं जिनके खिलाफ १०९ का प्रयोग होता है, झूठ-मूठ उनको थाने में बुला लिया जाता है और १०९ के मातहत उनका चालान कर दिया जाता है। उनका कहना है कि आदेश ऐसे हैं कि १०९ में हमें इतने मुलजिम दिखाने हैं ताकि उनका कोटा पूरा हो जाय। इसी तरह से आप देखें कि ११० में किस प्रकार झूठे मुकदमें खड़े किये जाते हैं। ११० का मुकदमा करने के लिये पहले एक पक्ष से रिश्वत ली जाती है। फिर अपने मन चाहे और पिट्ठू लोगों को थाने में बुला कर रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई जाती है और जिनके नाम से दर्ज होती है उन्हें पता नहीं होता कि हमारे नाम से रिपोर्ट भी दर्ज हुई है।

तीसरे में १०७/११७ की और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। अगर किसी गरीब को उस क्षेत्र के रईस से कोई शिकायत होती है तो वह सुपरिटेंडेंट पुलिस या सरकार के पास दरख्वास्त देता है। होता यह है कि पुलिस वाले जांच के समय उस रईस को थाने पर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी शिकायत आई है और उसी समय उसकी ओर से भी एक शिकायत उस गरीब के खिलाफ लिख ली जाती है और उस गरीब के खिलाफ उल्टे १०७/११७ की कार्यवाही हो जाती है। इस तरह से आपकी कांग्रेसी हुकुमत में कोई फरियाद भी नहीं कर सकता।

मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं वहां जनवरी मास में एक डकैती पड़ी। पहले पुलिस ने कुछ बदमाशों को बुलाया और उनसे रुपये ऐंठ लिये। कार्यवाही उस पर ठप्प हो गयी। लेकिन फिर जब कांग्रेसी उम्मीदवार मेरे मुकाबले में हार गया तो प्रतिस्पर्द्धा पैदा हुई और मेरे समर्थकों को फंसाने की कोशिश की गयी। अप्रैल के महीने में १५ तारीख को मेरे समर्थकों को पकड़ा गया। मुझे जब सूचना मिली तो मैं थानेदार के पास गया। मैंने कहा कि जिस आदमी को पकड़ा गया है उसे कृपया हिरासत में रखा जाय। और उसके व्यक्तित्व की जांच कर लें, फिर यदि दोषी पायें तो चालान कर दें। थानेदार ने जवाब दिया कि साहब यह एस०एस०पी० साहब का आदेश है, हम उसे जेल भेज देंगे और भेज दिया। १६ तारीख को उपगृह मंत्री से मिल कर मैंने कहा कि अगर आपकी समझ में यह आ जाय कि वह आदमी निरपराध फंसाया गया है तो आप उसे छुटाने के लिये कार्यवाही कर लें, लेकिन आजतक वह रिपोर्ट उपगृह मंत्री द्वारा नहीं मंगायी गयी है। विरोधी पक्ष की बात को हमेशा झूठी और फरेब भरी कह कर टाल दिया जाता है। जब हम कोई शिकायत करते हैं तो एक पुलिस कांस्टेबिल की बात को सच मान कर माननीय मंत्री उसे ही यहां दोहरा देते हैं तो क्या यही प्रजातंत्र है ? मैं समझता हूं कि हमारे मंत्रिगण इस पर विचार करेंगे।

पुलिस का जो अनुदान आज पेश हुआ है, आदमियों की संख्या बढ़ाई जाय, उनका वेतन बढ़ाया जाय, उनके कार्य में कार्यकुशलता आये, इस पर दो राय नहीं हैं, लेकिन सरकारी पक्ष को यह सोचना होगा कि कार्यकुशलता बढ़ाई कैसे जाय ? जो लोग आज इतनी बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी बात झूठ, लेकिन जो हमारा सिपाही रिपोर्ट दे दे, लेखपाल रिपोर्ट दे दे या दूसरे विभाग का कर्मचारी रिपोर्ट दे दे तो उसे गृह मंत्री और मुख्य मंत्री दोहरा देते हैं। मेरी समझ में यह सही प्रजातंत्र समाजवाद नहीं है।

आर्म्स लाइसेन्स देने की बात भी इस संबंध में आती है। आर्म्स लाइसेन्स बड़े आदमियों को दिये जाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जिसका जीवन खतरे में है अगर वह लाइसेन्स के लिये मांग करता है तो कहा जाता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारा चाल-चलन दुरुस्त नहीं है, तुम्हारे यहां रखने की जगह नहीं है। इस पर भी विचार किया जाय। जब समाजवाद की दुहाई दी जाती है तो देखना चाहिये कि वास्तव में जरूरत किसे है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह सारी कोरी कल्पना है और इससे हमारे देश का भला नहीं हो सकता।

[श्री रामकिशोर]

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे यहां जरायम घटे हैं । ६,६५२ डकैत पकड़े गये । लेकिन गृह मंत्री जी ने इसमें यह नहीं बतलाया कि उनके खिलाफ जो मुकदमें चलाये गये उनमें छूटे कितने और छूटे भी तो क्यों, और जिन अधिकारियों के मामले ज्यादा छूटे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी । अगर इन दोनों बातों पर प्रकाश डाला जाता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।

एक कम्प्लेन्ट विभाग खोल दिया गया और उसके लिये एक एस० एस० पी० की पोस्ट बना दी गयी । अगर कोई शिकायत की जाती है तो उसकी वे जांच करते हैं, लेकिन क्या वे एस० एस०पी० महोदय स्वयं थानों में, कचेहरियों में और दूसरे जगहों पर जा कर यह देखते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ? श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि जब कोई मुकदमा पेश होता है तो बगैर एक, दो रुपये की पूजा किये इस राज्य में तारीख भी नहीं मिलती । इसके पहले ऐसा नहीं था । मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है । उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं । यह तो अच्छा है । टैक्स बढ़ायें जा रहें हैं। हम जो कहें वह माना नहीं जाता । लेकिन उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये मैंने जिन घटनाओं का जिक्र किया सरकार को उनकी ओर ध्यान देना चाहिये और उन कमियों को दूर करने के लिये सरकार जो कदम उठायेगी विरोधी पक्ष उसमें जरूर साथ देगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री उग्रसेन—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । अनुदान मंत्रीगण पेश करते चले जा रहे हैं पर विभागीय रपट जो बंटती थी वह नहीं बंट रही है । सामान्य प्रशासन की नहीं बंटी, जेल अनुदान पास हो गया उसकी नहीं बंटी । तो इस बात का आप आदेश दें कि ये रपटें पहले बांटी जायं, ऐसी परम्परा सदन की रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—गवर्नमेंट जहां तक हो सकेगा जल्दी करेगी । प्रयत्न करना चाहिये और रिपोर्ट जरूर आ जानी चाहिये ताकि माननीय सदस्य पढ़ कर तैयारी कर सकें ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में प्रस्तुत पुलिस अनुदान के समर्थन के लिये और उसके विरुद्ध कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, मैंने वादविवाद को बड़े गौर से सुना। विरोधी पक्ष के द्वारा दिये गये तर्क का जब मैंने विश्लेषण किया तो मैंने देखा कि वह दो भागों में बंटा हुआ है । कुछ माननीय सदस्यों की राय तो ऐसी जान पड़ी कि पुलिस विभाग ही बिलकुल बेकार है और उसे रखना ही नहीं चाहिये । कुछ दूसरे माननीय सदस्यों की राय यह थी कि उसमें भ्रष्टाचार है और उसमें सुधार होना चाहिये। जहां तक पहली राय का सवाल है कि पुलिस विभाग होना ही नहीं चाहिये, यह एक बड़ा मौलिक प्रश्न है और इस संबंध में मेरा उनसे मतभेद है । मैं समझता हूं कि जबतक इन्सान इन्सान है, तब तक उसकी मानवीय कमजोरियां हैं, और तब तक उसको सीमित रखने के लिये, उसको मर्यादित रखने के लिये किसी ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता निर्विवाद है, ऐसा समझ कर मैं ऐसा मानता हूं कि पुलिस विभाग की आज आवश्यकता है ।

रही बात उसमें सुधार की । एक बात मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि जिस विषय के संबंध में बात करनी हो थोड़ा उसकी पृष्ठ भूमि की ओर भी जाना आवश्यक होगा । यदि हम उसकी पृष्ठभूमि को समझ कर बात कहा करें तो हम सही नतीजे पर पहुंच सकेंगे । यह निर्विवाद है कि वर्तमान पुलिस ब्रिटिश जमाने की बैंड लिगेसी है, इसमें कोई संदेह नहीं है । चाहे कोई कांग्रेस पक्ष के हों, चाहे विरोधी दल के हों लेकिन यह निर्विवाद सत्य मानते हैं कि जिस पुलिस के द्वारा हम सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो इतिहास है, जो बैकग्राउन्ड है वह साम्राज्यवादी शासन की है और आज भी उसके अन्दर काम करने वाले बहुत से पुलिस के उच्च कर्मचारी हैं, जिनके साथ-साथ ब्रिटिश जमाने का अनुभव लगा हुआ है

रही बात उसमें सुधार की । एक बात मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से निवेदन करता हूं कि जिस विषय के संबंध में बात करनी हो थोड़ा उसकी पृष्ठ भूमि की ओर भी जाना आवश्यक होगा । यदि हम उसकी पृष्ठभूमि को समझ कर बात कहा करें तो हम सही नतीजे पर पहुंच सकेंगे । यह निर्विवाद है कि वर्तमान पुलिस ब्रिटिश जमाने की बैंड लिगेसी है, इसमें कोई संदेह नहीं है । चाहे कोई कांग्रेस पक्ष के हों, चाहे विरोधी दल के हों लेकिन यह निर्विवाद सत्य मानते हैं कि जिस पुलिस के द्वारा हम सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो इतिहास है, जो बैकग्राउन्ड है वह साम्राज्यवादी शासन की है और आज भी उसके अन्दर काम करने वाले बहुत से पुलिस के उच्च कर्मचारी हैं, जिनके साथ-साथ ब्रिटिश जमाने का अनुभव लगा हुआ है

और यह नामुमकिन है कि वे अपने इस कुसंस्कार से एकदम मुक्त होकर हमारी और आपकी सेवा वे उस रूप में करने लग जांय जिस रूप में कि हम और आप उनसे आशा करते हैं ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के संबंध में सुधार की बात यहां पर की जाती है । लेकिन हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिये । मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा और विरोधी दल के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एकांगी आलोचना का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा हम लोगों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये । यदि हम किसी व्यक्ति के लिये या किसी अधिकारी के लिये एकांगी, आलोचना का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि उसमें उदासीनता की भावना आयेगी, वह अपने कार्य को ओर से उदासीन होगा, उसमें प्रतिशोध की भावना आ सकती है, उसमें केवल काम चलाने की भावना आ सकती है और वह यह सोच सकता है कि हमें इस तरह से काम करना चाहिये जिससे हमारी नौकरी बची रहे । एक तरफ जहां पुलिस के आदमी की शिकायत होती है तो वह अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करता है और अपने को सेवा कार्य में संलग्न नहीं करता है, दूसरी ओर यदि हम एकांगी आलोचना प्रस्तुत करेंगे तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होगी कि उसमें उदासीनता की भावना आयगी, प्रतिशोध की भावना आयगी और कर्त्तव्य-निष्ठा से निरस्त होने की भावना उसमें निश्चित रूप से आयेगी ।

श्रीमन्, इस संबंध में सुझाव की बात आती है और जब सुझाव की बात आती है तो यह निर्विवाद सत्य है कि हमारी पुलिस में कुछ बुराइयां अवश्य हैं । कौन कहता है कि पुलिस दूध की धोई हो गई है और उसमें कोई बुराई नहीं है । उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन सवाल यह है कि उसका सुधार कैसे होना चाहिये ? मेरा पहला सुझाव यह कि पुलिस में सुधार करने की पहली शर्त यह होनी चाहिये कि जो जनप्रतिनिधि हैं वे लोग सभी लोकप्रियता के लोग को संवरण करें, क्योंकि पुलिस ऐसा विभाग है कि उसकी जब चाहे शिकायत कर दी जाय और शिकायत करने वाला बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाता है और लोग समझने लगते हैं कि यह अच्छा बोलने वाला है, अच्छी भावना वाला है और जनता के साथ सहानुभूति रखता है।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कोई बोल रहा हो तो किसी को बीच में कमेंट नहीं करने चाहिये क्योंकि जो काम उधर से किया जाता है वह इधर से भी किया जा सकता है । सलिये बीच में बोलने से अयोग्यता का ही परिचय मिलता है और कोई बात नहीं है ।

इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग दूसरे के सुधार की बात करते हैं पहले उनको अपना सुधार करना चाहिये । बड़े-बड़े नेता लोग भी केवल इसलिये कि पुलिस की शिकायत कर देते हैं जिससे वे लोकप्रिय हो जांय । इलेक्शन के जमाने में, चुनाव के समय पर समाज विरोधी तत्वों से लाभ उठाने का यत्न किया जाता है । अगर कहीं समाज विरोधी तत्वों के प्रति भी कुछ ज्यादती हो गई तो प्रदर्शनात्मक कार्यवाही करते हैं और वह चाहते हैं कि तत्काल कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिये । इस तरह से सुधार नहीं हो सकता है । मेरा केवल इतना ही कहना है ।

श्रीमन्, तीसरा सुझाव में यह देना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाकर जन संगठन को दृढ़ करना चाहिये । गांवों में जाकर लोगों से यह कहा जाय कि अगर पुलिस झूठी गवाही चाहती है तो कभी मत दो, लेकिन सही गवाही चाहती है तो हिम्मत के साथ गांव के लोग आगे आयें ताकि पुलिस को उसके काम में सहायता मिल सके और अपराधी को सजा मिल जाये । इस तरह से जन संगठन करने से.....

**श्री नवरंगसिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे साथी विधायकों से कह दें कि वह सोने के लिये अगर चाबी में चले जांय तो ज्यादा अच्छा है ।

**श्री उपाध्यक्ष**---व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। हां अच्छा हो, जो सोना चाहें, वह लाबी में जा कर सोयें।

**श्री रामलखन शुक्ल**---मैं यह निवेदन कर रहा था कि जन प्रतिनिधि जनता के बीच में जांय। उनके अन्दर नैतिक साहस बढ़ाने की कोशिश करें और गांवों में सुरक्षा समितियां संगठित कराने की कोशिश करें। एक तरफ जब हम चाहते हैं कि पुलिस से कम से कम मदद लें तो उसके लिये कोई आल्टरनेटिव आर्गेनाइजेशन कायम करना आवश्यक होता है। इसलिये गांवों में जा कर सुरक्षा समितियों का संगठन करना चाहिये।

चौथी बात इस संबंध में यह निवेदन करनी है कि ब्रिटिशकाल में सी० आई० डी० का विभाग था जो बड़े-बड़े षड़यन्त्रों और साजिशों का पता लगाने में सफल हो जाया करता था, उस विभाग को जरा और तेज किया जाय। वह विभाग बहुत अंश में बेकार सा पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से यह विभाग अंग्रेजों के जमाने में राजनीतिक षड़यन्त्रों का पता लगाया करता था, आज वह काम उसके पास नहीं है। अगर उसकी शक्ति का उपयोग किया जाय तो आज बड़े-बड़े क्रिमिनल्स का पता लगाने में बहुत हद तक सफलता हो सकती है। इसलिये सी०आई०डी० को और तीव्र किया जाय, उसे और गतिवान बनाया जाय।

कुछ उधर से यह कहा गया जिसके हम कायल हैं कि जांच का जो तरीका है वह नितान्त गलत है। उसमें कोई सन्देह नहीं कि जब थानेदार के खिलाफ शिकायत होती है, तो उसके ऊपर का अफसर उसकी जांच करता है। ऐसी हालत में वह जांच बिलकुल आर्टिफीशियल हुआ करती है। जांच में तथ्यों का पता नहीं लगता। आप यह कहेंगे कि कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके द्वारा जांच करायी जाय। अगर जनप्रतिनिधियों की समिति बना कर जांच करें दो दलगत बातों का समावेश होगा। मैं चाहता हूं कि जांच के लिये एक अलग विभाग बनाया जाय जिसका संबंध प्रदेशीय स्तर के अधिकारियों से हो। उनको अपनी सर्विस की सुरक्षा के संबंध में, अपनी तरक्की के संबंध में जिला अधिकारियों पर आश्रित न रहना पड़े। उनके कैरेक्टर रोल जिला अधिकारी लिखने की मुस्तहक न हों। इस प्रकार का जांच विभाग बनाया जाय। इससे जरायम के पता लगाने में अधिक सफलता मिलेंगी और पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त होगा। एक शिकायत यह भी की गयी कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि थानों में रिपोर्ट लिखाने के लिये छद्म वेश में बड़े बड़े अधिकारी जांय और रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करें। उस वक्त खुद पता चल जायगा कि वहां रिपोर्टें लिखी जाती हैं या नहीं।

इन दोनों सुझावों को माननीय मंत्री जी स्वीकार करें तो मैं समझता हूं कि जो दो महत्वपूर्ण शिकायतें हैं कि गलत जांच होती है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, यह दोनों शिकायतें समाप्त हो जायंगी।

**श्री नवरंगसिंह**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने अवसर दिया। आज पुलिस के मुताल्लिक जो हमारे विरोधी दल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ है। हमारे साथी ने जिक्र किया था रेगुलर और आकेजनल के बारें में कि यह दो किस्म के काम चलते हैं। तो मैं पहले रेगुलर की बात करूंगा, इसके बाद जो आकेजनल होता है वह तो हमारा खयाल है आप भी जानते हैं कि किस आकेजन पर क्या होता है ?

हमने देखा है कि जितने लोग हैं वह इसके शिकार हैं और वह खुद उनसे कोई पूछे तो वह तसलीम करते हैं। कहते हैं कि हमारे ऊपर के आई० जी०, डी० आई० जी० महोदय जब गोंडे में या किसी जिले में पहुंचते हैं तो वहां उनके रहन सहन का इन्तजाम कौन करता है ? यह खुली बात है, उन्हीं की जबानी है कि वहां के कोतवाल को आज्ञा दी जाती है कि तुम इसका इन्तजाम करो। यही नहीं, मिसाल के लिये मैं बताऊं, ऊपर से अब तो काफी हो गये हैं मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, यह अगर जाते हैं तो तहसीलदार सदर को

हुक्म होता है कि तुम इनका इन्तजाम करो और इतना ही नहीं जिस वक्त दरोगा जी या कोतवाल साहब कहीं बाहर पधारते हैं तो हेड कांस्टेबिल से, मुंशी कहते हैं कि जरा घर में जान लेना कि क्या क्या जरूरत है। यह रोजाना की बात है। कोई एक दिन की बात नहीं है। यही नहीं, जब शाम के वक्त हुजूर कचेहरी से उठते हैं तो पेशकार से कहते हैं कि देखना हमारे घर में क्या क्या जरूरत है? नीचे से ऊपर तक यह रेगुलर चलता है। सी० आई० डी० की बात अभी एक साथी ने कही। किसी जमाने में हम लोगों को कहीं अगर खांसी आ जाती थी तो सरकार तक रिपोर्ट पहुंच जाती थीं, लेकिन आज अगर उबकाई आ जाय और उछाल कर दें तो उसका भी पता सरकार को नहीं चलता। तो क्या बात है? और फिर भी कहा जाय कि स्क्रू ढीला नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? और यही नहीं कोई भी कैसा भी वाकया क्यों न हो जाय अगर दरोगा जी कहीं बाहर हैं तो उनके आने तक मुंशी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। यह आम बात है रेगुलर बात है। अगर सही बात आयी है तो रिपोर्ट लिखने में क्या दिक्कत है और डकैती हो जाय, चोरी हो जाय, आग लग जाय तब भी, जैसी कि हमारे यहां देहात में कहावत है कि कुछ 'खेम कुशल कुछ अगियाही', यानी किसी भाई के घर आग लगी थी, जो कुछ था जल गया था, उसके बाद खैरियत पूछने वालों की भरमार हो गई, नातेदार रिश्तेदार सब आने लगे, लोगों ने पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने कहा कि जो कुछ जलने से बचा था वह खेम कुशल पूछने में जा रहा है। तो जो कुछ बच भी गया है उसको तो पहले दे दो तब रिपोर्ट लिखी जायगी। यह खेम कुशल अगियाही की बात है।

मैं बताऊं रोजनामचा खाली रखा जाता है, कोई केस हो जाय तो सात सात दिन तक रोजनामचा खाली रखा जाता है। और फिर डाक्टर की रिपोर्ट और इधर उधर के आने जाने वाले दलालों की रिपोर्ट लेकर वह रोजनामचा भरा जाता है। यह क्या कोई नहीं जानता कि जैसा हमारे एक साथी ने कहा कि किस डिपार्टमेंट की बात कही जाय सब जगह की यही हालत है। आमतौर से हमारे देहातों में यह मसल है कि "ऊंचे चढकर देखा घर घर एक ही लेखा, कौन कौन का लेबे नाव कथरी ओढ़े सगरा गांव" आज यह सब किस वजह से हो रहा है। बेचारे वे मजबूर हो जाते हैं ऊपर से। मैं तो कहता हूं कि ऊपर से उनको बख्श दिया जाय कि हम आपसे फायदा उठाना नहीं चाहते। वह फ्री हो जायेंगे और यह भ्रष्टाचार अपने आप दूर हो जायगा। आप उन बेचारों से कुछ तो कहें? यदि उनसे आप स्वयं ही कुछ नहीं लेना चाहते तो वह इतनी बेईमानी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसा हमारे साथियों ने कहा कि जब माहवारी बंधा है तो कहीं से वे लाकर देंगे। मैं तो कहता हूं कि हमारे जिलाधीश महोदय का जब दौरा होता है तो फिर वह लेखपाल महोदय चन्दा करता है। कानूनगो चन्दा करता है। इसी तरीके से अगर हमारे ऊंचे पुलिस के अफसर पहुंच गये तो बेचारे कांस्टेबिल को भुगतना पड़ता है। यह सारी बातें वह करने के लिये मजबूर होते हैं। उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि उसमें यह सब मुर्गी और अंडे का इन्तजाम हो जाय। इसलिये हम तो यह कहते हैं कि अगर ऊपर से बख्श दिया जाय और इस अपने ऐशो आराम से उनको बरी कर दिया जाय तो हमारा खयाल है कि यों ही उनकी वह चीज कम हो जायगी।

एक एस० पी० हमारे यहां थे। उनका नाम तो मैं इस समय लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन उनका कथन है कि अगर पूरी-पूरी रिपोर्ट किसी थानेदार ने जितने वाकयात हुये हैं उनकी लिख ली तो वह नहीं रह सकता है। अगर जिले में ज्यादा हो गई तो हम नहीं रह सकते। आप ऊपर की सरकार से बात कीजिये। हमसे मत कहिये। यह एस० पी० का कहना था कि हम मजबूर हैं छोड़ने के लिये और हम मजबूर हैं उनकी रिपोर्ट को न लिखने के लिये क्यों कि इसमें हमारी तरक्की और तनज्जुली का प्रश्न है। यह सारी बातें ऊपर से हैं। नीचे से नहीं हैं। वह परिस्थिति के वश मजदूर हैं और असमर्थ हैं। उनके सामने कोई चारा नहीं है कि ऐसी ऐसी बातें वह न करें।

मेरा सुझाव यह है कि अगर वहां जाने पर हमारे ऊपर के अफसरान अपना खर्चा स्वयं बरदाश्त कर लें, हमारे एस० पी० महोदय अपना खर्चा स्वयं बरदाश्त कर लें, हमारे कोतवाल

[श्री नवरंगसिंह]

या दारोगा अपना खर्चा स्वयं बरदाश्त कर लें तो हमारा खयाल है कि यह सारी बातों की जो शिकायत है उनके भ्रष्टाचार की वह अपने आप दूर हो जांय ।

एक बात और कहना चाहता हूं : कोई भी आदमी जो शरीफ है वह रिश्वत तब देता है जब वह मजबूर हो जाता है या मजबूर कर दिया जाता है कि हम तुमको फंसायेंगे । देगा वही जिसके पास है और जिसके पास होगा वह डकैत नहीं होगा । डकैत से कुछ मिलना नहीं है । एक वाकया हो गया तो ४ शरीफ आदमियों को पकड़ लिया जाता है । फिर सारा महीने का खर्चा जो होता है उसको देना पड़ता है । वह खर्चा उसी से पूरा किया जाता है । यह शिकंजा, जो ऊपर से चलाया जाता है यदि उसकी ढीला कर दिया जाय और उसको छोड़ दिया जाय, उसकी ईमानदारी पर तो हमारा खयाल है कि आज जो वह परिस्थिति से मजबूर हो कर बेइमानी करते हैं वह दूर हो जायगी । अगर हमारी सरकार चाहती है तो वह बेईमानी एक दिन में दूर हो सकती है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—श्रीमन्, मैं कई बार उठ बैठ चुका हूं किन्तु समय नहीं पा सका ।

श्री उपाध्यक्ष—इनडिपेंडेंट्स में से तीन साहब बोल चुके हैं और उनके अलावा अन्य पार्टियां भी हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन्, मेरे पास एक टेलीग्राम आया है उसे मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण है और वहां लोगों की जान का खतरा है ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा, आप तशरीफ रखें ।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जो मांगें पेश हुई हैं उनमें पुलिस कमीशन की सिफारिश के अनुसार जो सुधार किये गये हैं उनके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । इस सिलसिले में उल्लेख किया गया कि पहले प्रदेश में जरायम को कम करके लिखने या छिपाने की नीति थी । अब सरकार की नीति ऐसी है कि जरायम छिपाये न जांय । मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि देहात में आफेन्सेज या क्राइम्स को छिपाने या कम करने की बात ज्यों की त्यों है और बावजूद हमारी सरकार की नीति या उच्च अधिकारियों की इच्छा के ऐसा होने की एक वजह है । ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपराध होते हैं उनकी रिपोर्ट वहां के असरदार व्यक्तियों, जिनको टाउट कहते हैं, द्वारा लिखायी जाती हैं और उनमें अपराध कम कर के लिखाये जाते हैं । मेरा सुझाव है कि थानों में जिस प्रकार रजिस्टर नं० ५ होता है और उसमें बैड केरेक्टर्स का जिक्र रहता है उसी प्रकार इन टाउट्स का नाम भी उन हिस्ट्रीशीटर्स के साथ उस रजिस्टर में होना चाहिये ताकि उनकी शोहरत कम हो और वे लज्जित हों और उनकी दलाली कम हो । ऐसा होने पर कंसीलमेंट आफ आफेंसेस और मिनिमाइजेशन आफ क्राइम्स बिलकुल न होगा ।

दूसरे कोर्टस् में जो केसेज जाते हैं दफा १४७ और ३९४ या ३९५ के, उनमें पुलिस जानबूझ कर चार से अधिक व्यक्तियों का नाम नहीं लिखती है ताकि तफतीश आदि में दिक्कत न पड़े । यह नहीं होना चाहिये । दूसरे पुलिस का जो काम कचेहरियों में होता है वहां ए० पी० पीज० जमानत आदि लेने में ठीक से काम नहीं करते हैं ।

आफेंसेज दो प्रकार के होते हैं । एक बेलेबिल और एक नान-बेलेबिल आफेंस । नान-बेलेबिल आफेंसेज का जहांतक ताल्लुक है उसमें पुलिस चाहे तो रिपोर्ट दे या न दे । लेकिन अक्सर जानबूझ कर दरख्वास्तों पर रिपोर्ट देने में देर की जाती है और जब आदमी परेशान होता

है तो करप्शन की बात आती है, तब पुलिस लिखती है कि बेल स्ट्रांगली रिजेक्टेड। जब रिजेक्ट ही करना है तो जितनी जल्दी रिपोर्ट लिख दी जाय तो अच्छा है। अगर लोअर कोर्ट में खारिज हो जाय तो सेशंस में जाकर वह अप्लाई कर सकता है। जहां तक बेलेबिल आफेंस हैं, छोटे छोटे १०७ और ११७ के केस जिन पर फौरन बेल हो जानी चाहिये उन पर रिपोर्ट के नाम पर टाल-मटोल होती है। यह नहीं होना चाहिये।

देहातों में डिफेंस कमेटीज के पहरा सिस्टम की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो मजदूर दिन भर मेहनत करते ह उनको मजबूर किया जाता है कि वह पहरा दें। वह रात में नहीं जग सकते हैं। मेरा सुझाव है कि वी० डी० सी० के जो लाइसेंसीज हैं उनकी तरफ से कुछ आदमी तय कर दिये जाय जो दिन में काम न करें और रात को पहरा दिया करें। क्योंकि जाड़े और बरसात में जो आदमी बड़े आदमियों के असर में नहीं होते हैं उन्हीं का पहरा लगाया जाता है, वह नहीं होना चाहिये। इस तरह से सही मानों में डिफेंस कमेटियां काम नहीं कर सकतीं। तो इन सब दिक्कतों की तरफ हमारी सरकार ध्यान दे तो पुलिस विभाग में सुधार होगा और जरूर होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जो मंत्री जी की तरफ से पेश है, स्वागत करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह!

**श्री लखपतराम शर्मा**—श्रीमन् का आदेश था कि मुझे बोलने का मौका दिया जायगा, अगर नहीं देना था तो मैं न बोलता, बहुत महत्व का प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष**—आप संतोष कीजिये, कल भी चलेगी यह ग्रांट। स्वतंत्र सदस्यों में से ३ सदस्यों को मौका मिल चुका है। इसी हिसाब से सब को दिया जायगा।

**एक सदस्य**—मुझे कल मौका देने को कहा था, २४ घंटे हो गये..

**श्री उपाध्यक्ष**—इस तरह से ठीक नहीं होगा, आप बैठिये।

**श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह** (जिला रायबरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन् का आभार प्रकट करता हूं कि श्रीमन् ने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज सुबह से इस अनुदान की बाबत विवाद चल रहा है, जिसके बारे में मुझे यह कहना है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि पुलिस की आवश्यकता है। अगर पुलिस डिपार्टमेंन्ट की आवश्यकता समाज के लिये है, देश के लिये है तो उसे रखा जाय अन्यथा वह बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय। इस तरह से उसको क्रिटिसाइज करके यह उसको अपवाद स्वरूप नहीं रखा जा सकता है। परन्तु इसमें दो रायें नहीं हैं कि सभी लोग कहते हैं कि पुलिस की आवश्यकता समाज के कल्याण के लिये है। पुलिस रखी जाय, इससे सभी सहमत हैं। उसके साथ जो कुछ लोगों का कहना है, विपक्षीय लोगों का या बहुत से उस पक्ष के लोगों का, कि उसको कन्ट्रोल में करके और अच्छी तरह से सुचारु रूप से मानवता की रक्षा के लिये, समाज के कल्याण और भलाई के लिये उसको चलाने की कोशिश की जाय।

**श्री दीपनारायणसिंह** (जिला फतेहपुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय उस सयम एक अन्य व्यक्ति से बात कर रहे थे जबकि माननीय सदस्य बोल रहे थे...

**श्री उपाध्यक्ष**—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री दीपनारायणसिंह**—आप इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें कि क्या यह सदन की मर्यादा के अनुकूल है?

**श्री उपाध्यक्ष**—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सभी लोग बात करते हैं।

**श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह**—श्रीमन्, कहा यह गया कि १८६० में, अंग्रेजों के शासन काल में यह मुकद्दमा बनाया गया था और उस समय इसका उद्देश्य यह था कि विदेशी शासन किसी तरह से देश और प्रदेश में अपनी हुकूमत को बनाये रखे, यह सही है। परन्तु साथ ही विदेशी शासन ने जहां अपनी हुकूमत बनाये रखने की कोशिश की वहां समाज के अन्दर उसने व्यवस्था भी कायम रखी। अब अपनी हुकूमत है। इस हुकूमत को यह आवयकता नहीं है कि पुलिस के द्वारा इस हुकूमत को कायम रखे। आज स्वयं पुलिस और अपनी सरकार, दोनों का यह उद्देश्य होना चाहिये कि किस तरह से समाज का कल्याण हो। दोनों ही इस कार्य के लिये रत हों। जब दोनों एक ही कार्य के लिये रत हैं तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यदि हमारी पुलिस मानवताविहीन होकर समाज का कल्याण नहीं कर सकती है, तो इसका उत्तरदायित्व सरकार पर है और वह इसके लिये दोषी है। उसके लिये कहीं न कहीं पर मानना पड़ेगा कि स्क्रू लूज है। जब स्क्रू ढ़ीला है तो फिर पुलिस अपने कार्य में दत्तचित होकर भलाई की तरफ न जा करके केवल समाज के कल्याण के विरोध में ही कार्य करती रहे इसके लिये स्वयं सरकार को उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा।

सरकार ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उससे मालूम पड़ता है कि जरायम साल व साल बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके पक्ष में सरकार ने यह भी कहा कि जरायम अभी और बढ़ेगें क्योंकि वह सही-सही लिखे जाते हैं। जब जरायम सही-सही लिखे जायेंगे, छिपाये नहीं जायेंगे तो दिनो-दिन बढ़ौत्तरी होगी। इसका मतलब है कि इस समय भी जरायम छिपाये जाते हैं। सरकार स्वयं इस बात की उम्मीद करती है कि जरायम अभी छिपाये जाते हैं, ज्यों-ज्यों वह स्पष्ट होते जायेंगे रिपोर्टें लिखी जायंगी त्यों-त्यों अधिक आंकड़े सामने आयेंगे। तो यह बात है कि अभी जरायम छिपाये जाते हैं और सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं या फिर सही आंकड़ों की आड़ में सरकार यह स्वयं महसूस करती है कि जरायम बढ़ने की आगे और आशा है।

इसके अलावा पुलिस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसको भी सरकार ने पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया है। जहां तक तनख्वाहों का सवाल है तनख्वाह उन्हीं लोगों की बढ़ाई गयी है जो लोग एक्जीक्यूटिव लाइन में हैं और जिनकी मदद सरकार को मिलती रहती है।

पुलिस में दो प्रकार के लोग हैं, एक तो डायरेक्ट एक्जीक्यूटिव लाइन में हैं, जिनका कर्त्तव्य अमनोअमान कायम करना होता है, जरायम की जांच पड़ताल करना होता है। और दूसरी लाइन होती है ए० पी० पी० और पब्लिक प्रासीक्यूटरों की। इस दूसरी लाइन वालों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गयी है। यद्यपि पब्लिक प्रासीक्यूटर बी० ए० एल० एल० बी० होता है जब कि सब-इंसपेक्टर केवल इन्टरमिडिएट ही होता है, लेकिन फिर भी सब-इंसपेक्टर का वेतन कहीं ज्यादा रख दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि पब्लिक प्रासीक्यूटर किसी प्रकार से भी सरकार को राज्य चलाने में सीधा-सीधा अनड्यु एडवान्टेज नहीं पहुंचा सकता है जब कि सब-इंसपेक्टर उसका सहयोगी हो सकता है। कबाल टाउन्स में पब्लिक प्रासीक्यूटर को जब कि पहले २८ रुपये के करीब अलाउन्स दिया जाता था अब केवल १८ रुपया १२ आना मिलता है। ऐसी हालत में सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात का खयाल रखे कि जरायम बढ़ भी रहे हैं सही तौर पर, यह बात नहीं है जैसा कि सरकार सोचती है कि सही तरीके से लिखे जाने की वजह से बढ़ रहे हैं।

**श्री गंगाप्रसाद** (गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुलिस के अनुदान पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

जब से देश आजाद हुआ है तब से जो बड़े-बड़े गिरोह आगरा, एटा वगैरह में थे उनको धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। यह ठीक है कि पुलिस की कुछ तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन उनकी कुछ दिक्कतें भी हैं। पुलिस कमीशन की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का कर्त्तव्य है, लेकिन अभी तक सरकार ने उन पर कोई अमल नहीं किया है और न उनको लागू करने का सरकार का विचार ही है। अगर सरकार उन सिफारिशों पर ध्यान देती तो आज जो जरायम बढ़ रहे हैं वे रुक जाते। मैं फिर कहता हूं कि जब यह विभाग माननीय चौधरी चरणसिंह के पास था तो पुलिस विभाग में एक आतंक छा गया था। वे सोचते थे कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमारी रोजी चली जायगी और उसी का नतीजा यह रहा कि जो इंसपेक्टर रिश्वतें लेते थे या काम नहीं करते थे, उनकी हालत यह हो गयी थी कि वे थर-थर कांपने लगे और पुलिस विभाग में जो काम नहीं होता था वह भी होने लगा और सही-सही रिपोर्ट भी लिखी जाने लगी। तो माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप पुलिस विभाग के प्रमुख हैं, इसलिये उस तरफ ध्यान दें और देखें कि क्या कारण है कि जो हमारी शिकायतें होती हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आई० जी० और डी० आई० जी० भी रिश्वत में हिस्सा लेते हैं। मेरे जिले में कुछ दिन पहले डी० आई० जी० गये थे, उनसे मैं तथा तमाम एम० एल० एज० भी वहां के मिलने गये थे। मैंने देखा कि डी० आई० जी० वहां कई रोज रहे और जब जाने लगे तो वहां के कर्मचारियों ने जितना दूध खर्च हुआ था उसका वाउचर दिया, बनिये के यहां से जितना गल्ला लिया गया था उसका वाउचर दिया, यहां तक कि लकड़ी तक का भी वाउचर उन लोगों ने दिया। उन सब वाउचरों का भुगतान किया। फिर यह कैसे मालूम होता है कि वे रिश्वत लेते हैं। अगर ऊपर के अधिकारी रिश्वत लेने लगे तो सारा समाज भ्रष्टाचार की ओर चला जायगा। सरकार के ऊपर लांछन लगाना या उसे बदनाम करना तो अच्छा हो सकता है लेकिन इस तरह से बड़े आफिसरों पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी खुल्लमखुल्ला जांच होनी चाहिये और ऐसे आफिसरों को निकाल देना चाहिये।

माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जब पुलिस बढ़ रही है तो आप पिछड़े जिलों की तरफ ज्यादा ध्यान दें जहां सामन्तशाही का जोर है और जहां लाठी और डंडे की बदौलत सैकड़ों गरीब किसानों की जमीन छीनी जा रही है। आज वहां तिजोरी के बल पर काम करने की कोशिश की जाती है और थानेदार के पास महीने में एक हजार से ऊपर दरख्वास्तें जाती हैं तो वह उस की जांच कैसे कर सकता है?

कुछ सदस्य—कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री गंगाप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, माइक खराब हो गया है, इसलिये मेरे बोलने का समय बढ़ा दिया जाय।

(कुछ देर पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—माइक ठीक हो गया है, अब आप बोलें।

श्री गंगाप्रसाद—मैं कह रहा था कि गोंडा जिले में जनता पर बड़ा अत्याचार और जुर्म हो रहा है और वहां पुलिस की संख्या कम है, इसलिये आप वहां अधिक पुलिस भेजें। मैं आप से कहना चाहता हूं कि परसों ही मैं एक हरिजन लड़की के साथ माननीय उपमन्त्री से मिला कि एक पुलिस वाले ने जबरदस्ती उस लड़की के साथ जिना करने की कोशिश की। (शेम शेम) उस की रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी के पास आयी, लेकिन वह सिपाही अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ है, वह अभी भी वहीं बैठा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने माननीय मंत्री जी के सामने उस लड़की को पेश किया है। मेरा ऐसा विचार है कि उस सिपाही को तुरन्त वहां से हटा देना चाहिये और उसके बाद वहां जांच होनी चाहिये। लेकिन आज यह चीज नहीं हो रही है इसका मुझे दुख है।

[श्री गंगाप्रसाद]

इसके साथ-साथ में यह कहना चाहता हूं कि ग्राम गडरहना में ३९५ और ४३६ के अन्तर्गत नामजद रिपोर्ट थाना इंटियाथोक में लिखाई गयी लेकिन पुलिस न उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जब कि बार-बार एस० पी० साहब से और डी० एस० पी० साहब से कहा लकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और ऐसी शिकायत को दूर करने की कोशिश करेंगे ।

एक चीज में और कहना चाहता हूं कि या तो चौकीदार की जगह उसका पद खत्म कर दीजिये या उसकी तनख्वाह बढ़ाइये । कोई भी आदमी ७ रुपये में चौबीस घंटे काम नहीं कर सकता । जब देखिये तो चौकीदार को हलके का सिपाही, थानेदार, गांव का प्रधान जिसको देखिये हर आदमी उसको बुलाता है । उससे सभी काम लेते हैं, लेकिन उस की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है । गांव में मजदूरी करके वह २ घंटे और ४ घंटे में ७ रुपये महीना पैदा करता है । यह उचित नहीं है । या तो आप उस की पोस्ट बिलकुल खत्म कर दीजिये या फिर उसकी तनख्वाह को बढ़ाइये और उस को इतना पैसा दीजिये जिससे वह अपनी जिन्दगी बसर कर सके ।

अभी मेरे सामने एक बात और आयी है । वह यह है कि आज देहातों में खेत बहुत काटे जा रहे हैं और बहुत-सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे गांव का किसान आज परेशान है । शिकायत लिखाने वह जाता है, थानेदार साहब लिख तो लेते हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती । मुझे आशा है कि सरकार जहां पर ऐसे वाकयात होत ह वहां पुलिस को बढ़ा कर काम करे । अगर यह उचित ह तो उस पर अवश्य कार्यवाही कीजिये और अगर यह नहीं है, तो ठीक है, फिर किसानों में ऐसी बात खुद आ जायगी, लेकिन अगर ठीक है तो उस पर कार्यवाही कीजिये जिससे किसानों को तबाह होने से बचाया जाय ।

एक बात यह है कि जो थानेदार किसानों का साथ देते हैं वहां के अधिकारियों द्वारा उस को फौरन् वहां से बदल दिया जाता है । तरबगंज थाने के थानेदार को इसलिये वहां से बदल दिया गया है क्योंकि उसने वहां के एक बड़े आदमी के खिलाफ कुछ कार्यवाही की थी । आज ऐसे योग्य थानेदारों को बदल दिया जाता है जो सही बात करते हैं और करना चाहते हैं । यह बात नहीं होना चाहिये । यह उचित नहीं है कि उसको वहां से हटा दिया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष**---आप का समय समाप्त ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री चन्द्रजीत का नाम पुकारने पर )

**श्री लखपतराम शर्मा**---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आप से पहले भी प्रार्थना की थी और मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं, लेकिन आप मुझे समय नहीं देते । या तो मुझ मौका दीजिये और अगर आप मुझे मौका नहीं देना चाहत तो मुझ बता दीजिये ।

**श्री उपाध्यक्ष**---अभी तक कम्यूनिस्ट पार्टी के एक भी सदस्य को समय नहीं दिया गया है । वे पहले सदस्य उस पार्टी के हैं जिन को मौका दिया गया है । उनको मौका न देना उचित नहीं होता ।

**श्री लखपतराम शर्मा**---श्रीमन्, इसमें तो मेरा कोई अपराध नहीं है । मैं तो बार-बार खड़ा होता हूं, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया ।

**श्री उपाध्यक्ष**---एक बात यह है कि यहां पर कई दल हैं उसके हिसाब से जितना मौका होगा मिल सकेगा ।

**श्री लखपतराम शर्मा**---तो क्या मैं आशा रखूं कि इसके बाद मुझे मौका दिया जायगा ?

**श्री उपाध्यक्ष**---अभी नहीं कहा जा सकता ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। कल से बराबर खड़ा होता हूं, लेकिन विरोधी पक्ष के आदमियों को तो आप मौका देते हैं मुझे भी मौका देना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आप को मौका देना चाहता था, लेकिन आप खड़े नहीं हुये।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन्, यह तो बड़े दुख की बात है कि एक तरफ आप एक माननीय सदस्य से तो यह कह रहे हैं कि आप उनको मौका देना चाहते थे, वे खड़े नहीं हुये और जो सदस्य कई बार खड़े होते हैं उनको आप मौका नहीं देते। मैं बीसियों बार खड़ा हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—इसको रेगुलेट करने का तो काम मेरा है। मैं पार्टियों के हिसाब से ही समय देता हूं। अब आप विराजिये।

श्री उग्रसेन—माननीय चन्द्रजीत जी के बाद शर्मा जी को मौका दे दीजिये।

*श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बलवान सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, आज पुलिस विभाग पर वादविवाद से यह बात स्पष्ट है कि हमारे राज्य में पुलिस की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। आज राज्य में पुलिस के अन्दर जिस प्रकार से अनुशासनहीनता है, जिस प्रकार उसकी कार्यदक्षता में कमी है और जिस प्रकार से अपराधों में वृद्धि हो रही है वह हमारे राज्य के हर एक नागरिक के लिये चिन्ता का विषय है। मैं शुरू में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हमारी पुलिस गरीब जनता के लिये किसानों और मजदूरों के लिये भय और आतंक का प्रतीक है (It is a symbol of terror and fear) मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में या और किसी भी जगह पुलिस के मुख्य कार्य क्या हैं और उनके कर्त्तव्य क्या हैं। उस का कर्त्तव्य है अपराधों की वृद्धि में कमी करना, उसका दूसरा कर्त्तव्य है कि अपराधियों को सही सजा दिलाना, समाज में शान्ति व्यवस्था कायम रखना, और आज इस नियोजन के युग में जो पुलिस का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है वह यह है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करना। अगर आज वह इन कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर सकती है तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होती है और आज मैं इसी कटौती पर आज की पुलिस को आंकना चाहता हूं।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जहां तक अपराधों की बात है सरकार ने स्वयं यह माना है कि अपराधों में वृद्धि हुई है। आप देखें यह ६०–६१ के आंकड़े हैं इनके अनुसार डकैती में १०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है, राहजनी में २५० प्रतिशत वृद्धि हुई है, हत्याओं में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तरह से गम्भीर अपराधों में इस वृद्धि का होना स्वयं ही इस बात का द्योतक है कि पुलिस में काफी कमजोरियां हैं। मुझे अफसोस है कि पिछले दस सालों में जब कभी भी सदन में इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई और कहा गया कि पुलिस अपराधों को छिपाती है तो सरकार ने बराबर इससे इन्कार किया है, लेकिन आज सरकार स्वयं इसको मानती है, और सरकार द्वारा स्थापित पुलिस कमीशन स्वयं मानता है, उसने कहा है कि जब हमने प्रदेश की जनता से इस विषय में प्रश्न किया तो तीन चौथाई जनता ने यहां की यही कहा कि सूबे में अपराधों में वृद्धि हुई है और पुलिस कमीशन ने स्वयं लिखा है कि हमारे मन में तनिक भी सन्देह नहीं है कि व्यक्तिगत और विशेषकर सम्पत्तिगत अपराध इस प्रदेश में बढ़े हैं। जब इस तरह से प्रदेश में व्यक्तिगत अपराध और सम्पत्तिगत अपराध बढ़े हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति सूबे में लाने के लिये सरकार ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है? क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत]

सरकार इसकी जांच करायेगी कि जिन्होंने दस साल तक जनमत की अवहेलना की है और शासन को अंधेरे में रखा है और पुलिस की कार्य क्षमता को घटाया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

सही अपराधियों को सजा मिल सके इस मामले में तो इस प्रदेश की बड़ी ही दयनीय स्थिति है। जो सजायें अपराधियों को दिलायी जा सकी हैं उसमें आन्ध्र सब से आगे है वहां ४८.९ प्रतिशत मामले कामयाब हुये, मदरास में ४८ प्रतिशत, मैसूर में ३८ प्रतिशत, पंजाब में ३४ प्रतिशत और यू० पी० में २८ प्रतिशत केसेज ही सफल हुये हैं। इससे जाहिर है कि दूसरे सूबों की अपेक्षा इस विषय में भी हमारी पुलिस की स्थिति दयनीय और चिन्ताजनक है।

जहां तक नागरिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में तो मैं साफ कहूंगा कि हमारे सूबे की पुलिस का मुख्य कार्य केवल वेस्टेज इन्टेरेस्ट्स के इन्टरेस्ट्स को ही सेफगार्ड करना है। अगर कहीं मजदूरों और मिल मालिकों का झगड़ा चल जाय और मजदूर मिल मालिकों के खिलाफ हड़ताल करें, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, तो उनको पकड़ना और हड़ताल न चलने देना और आखिर में उनको सजा दिलाना ही उसका मुख्य काम रहता है, न कि यह कि वह उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यह मेरा उस पर खुला चार्ज है कि यू० पी० की पुलिस वेस्टेड इन्टरेस्ट्स की रक्षा करती है।

इसके अलवा हमारे कायदे कानून आज ऐसे बने हुये हैं कि पुलिस उन पर चलती है, वह क्या करे। मैनुअल में बड़े लोगों के लिये कुछ स्पेशल प्राविजन है, उसमें है कि अगर ४–५ हजार की मालियत का कोई अपराध है तो उसको जरा आवश्यक ढंग से टेक-अप किया जाय। लेकिन अगर किसी गरीब आदमी के यहां जिसकी हैसियत ५०० रुपये की ही है और उसका सब कुछ चला जाता है तो कानून में उसकी कोई महत्ता नहीं है और वही तरीका इम्पार्टेंट केसेज के बारे में आज भी लागू है। इस प्रदेश की एक भूतपूर्व महारानी का हार खो जाय तो प्रदेश के सारे पुलिस विभाग को उस की तलाश के लिये चिन्ता हो जाती है और अगर एक गरीब उजड़ जाय, सारी सम्पत्ति उसकी लुट जाय तो थाने का सिपाही, हेड कांस्टेबिल यह भी तकलीफ गवारा नहीं करता कि उस की रिपोर्ट को दर्ज करले। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण करे कि आज हमारे प्रदेश में स्थिति इस प्रकार की क्यों है ?

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो तरीका है वह पुराने कोलोनियल सेट-अप का तरीका था वही चला आ रहा है। आज जांच पड़ताल के तरीके पुराने हैं। आज अपराधियों की संख्या बढ़ रही है और उनके द्वारा वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किये जा रहे हैं, उनके इंटर स्टेट गैंग बन रहे हैं और हमारी पुलिस के इंवेस्टिगेशन का वही पुराना तरीका हो और कोई वैज्ञानिक ढंग न अपनाया जाय, यह सब से चिन्ताजनक बात है। रिपोर्ट लिखने वाले को मजबूर करके, एफ० आई० आर० के अन्दर अपराधियों के नाम दर्ज करना, उनकी जांच करना और कुछ गवाहियों को एकत्र करना ही काफी नहीं है। समय का तकाजा है कि मनोवैज्ञानिक तरीका भी अपनाया जाना चाहिये। आज होता क्या है ? दरोगा आज भी टार्चर मेथड्स को इस्तेमाल करता है। पुलिस विभाग के उपमंत्री से मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि मैंने एक हफ्ते पहले एक प्रार्थना-पत्र उनकी सेवा में समर्पित किया था। पुलिस स्टेशन, मलिहाबाद में एक घटना हुई। पहले माल विभाग गरीब मजदूरों को मुर्गा बनाया करता था जब कि पुलिस विभाग हवाई जहाज बनाया करता है। एक गरीब निरपराध किसान को थाने में बुलाया गया। दीवार से उसे बांध दिया गया और दोनों टांगों पर दो आदमियों को बैठा कर उनको खींच कर दीवार से मिलाया जाता है। उसे हवाई जहाज कहते हैं। इस प्रकार की घटना होना बहुत बड़ा कलंक है इस विभाग पर। इस की कोई रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं की गयी। संयोगवश यहां के अधीक्षक पुलिस मौके पर पहुंच गये। उन्होंने अपने हाथ से रिपोर्ट की। उस दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जिसने उस गरीब किसान पर इस प्रकार का टार्चर किया ?

कहा जाता है कि पुलिस विभाग की आलोचना आप करेंगे तो उसका मनोबल टूट जायगा। पुलिस विभाग का मनोबल कोई नहीं तोड़ना चाहता। हम चाहते हैं कि उसका मनोबल बढ़े। लेकिन इसके लिये आगाह करना चाहता हूं कि जनता का मनोबल तोड़ कर अगर आप पुलिस विभाग के मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं तो न जनता की रक्षा हो सकती है और न देश की रक्षा हो सकती है। जनता के मनोबल की रक्षा करना पहला कर्तव्य है। इसके बगैर पुलिस हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती। गरीब जनता अगर सोचने लगेगी कि पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर सकती तो यह स्थिति खेदजनक है, चिन्ताजनक है। इससे जनता का मनोबल टूटता है। मैं समझता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये।

मैं नम्रतापूर्वक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जिस पुस्तिका का वितरण किया है पिछले ४, ५ दिन से उसको देखने का मुझे अवसर मिला है। हर पुस्तिका में सरकार इस विभाग की प्रशंसा करती है और सरकारी पक्ष से यह तर्क दिया जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग प्रिजूडिस हो कर शिकायतें किया करते हैं। लेकिन आप देखें कि ३, ४ सालों के अन्दर हमारे यहां कुछ कम्युनल रायट्स हुए और आजादी के बाद उनका होना सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पुलिस अधिकारियों में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मनोवृत्ति कम्युनल थी और जिन्होंने इन कम्युनल रायट्स को प्रोत्साहित किया, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की। क्या यह सबसे बड़ा अपराध नहीं है कि प्रशासन के एक जिम्मेदार व्यक्ति की मनोवृत्ति साम्प्रदायिक हो? क्या यह साधारण अपराध है कि साम्प्रदायिक तत्वों को वह प्रोत्साहित करता है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कितने कदम उठाये?

आज जिलों की पुलिस की बड़ी प्रशंसा की जाती है कि जिलों की पुलिस की दक्षता, उसकी कार्य क्षमता पिछले दिनों काफी बढ़ी है लेकिन पिछले चुनाव के बाद हम लोगों ने जो गांवों की स्थिति देखी है मैं उस को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आज जिले के अन्दर पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में एक तानाशाह की हैसियत रखते हैं। जिसका चाहें चालान कर दें, जिस को चाहें थाने के अन्दर २४ घंटे के बजाय तीन दिन तक रखें और माननीय मुख्य मंत्री तक को तार दिये जायं फिर भी कुछ न हो। आजमगढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य को जान से मारने की कोशिश की गयी। वहां के पार्लियामेंट के सदस्य श्री जयबहादुर सिंह और मैंने संयुक्त रूप से गृह मंत्री को तार दिया जिसमें यह आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी उसकी जान मार की साजिश कर रहे हैं। इसी तरह बनारस में कम्युनिस्ट पार्टी के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर प्रहार किया गया। वहीं के एक राजनीतिक आन्दोलन के एक परिवार को पुलिस ने निरपराध हवालात में बन्द किया। मैं जानना चाहता हूं कि इन मामलों में क्या कार्यवाही की गयी? अभी उन्नाव के अन्दर एक दिन में ५ हत्यायें हो गयीं। एक-एक थाने के अन्तर्गत ५०-५०, ६०-६० हत्यायें हुईं। क्या ये सब गम्भीर बातें नहीं हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इन सब बातों के ऊपर हमारी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पुलिस आयोग ने भी बड़ी स्पष्टता के साथ पुलिस की कमजोरियों को पकड़ा है और उसे सरकार के सामने पेश किया है। छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये निश्चित रूप से। जितना मुश्किल काम उनके जिम्मे है उसको देखते हुये उनकी तनख्वाहें और सुविधायें बढ़नी चाहिये। लेकिन केवल संख्या और तनख्वाहें बढ़ा कर हम उस स्थिति पर काबू नहीं पा सकते जो आज शान्ति और व्यवस्था की स्थिति हमारे प्रदेश के अन्दर है। उसके लिये आज मौलिक रूप से पुलिस संगठन के पूरे ढांचे को बदलने की जरूरत है। आज पुलिस अधिकारी, उनके थाने और चौकियां नये अस्त्रों से सुसज्जित होनी चाहिये। आज टेलीफोन, वायरलेस, फ्लाइंग स्क्वायड, इन सारी चीजों से उनको सुसज्जित करने की नितान्त आवश्यकता है।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब बातें विरोधी दल की तरफ से केवल विरोध के लिये कही जाती हैं ऐसी बात नहीं है। हमने दस वर्षों में जिन बातों को कहा है उन्हीं बातों को आप के द्वारा स्थापित पुलिस आयोग ने भी

[श्री चन्द्रजीत]

माना है और उसने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थिति पूरे हिन्दुस्तान में अत्यन्त दयनीय है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक व्यक्ति मजबूत आ जाय, उसके समय में पुलिस अधिकारियों के मन में यह भय हो जाय कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, तो केवल व्यक्तियों के साथ चीजें नहीं बदला करती हैं? ये बदलती हैं संगठन और विचारधारा के साथ। इसलिये आखिर में, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज पुलिस के प्रशासन में इस बदलते हुये समय के अनुसार नये ढंग की ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि सही माने में जनता के साथ उसका सहयोग हो सके, जनता के लिये वह भय और आतंक का प्रतीक न हो कर जनता की रक्षक के रूप में वह हो सके।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

मेरा निवेदन यह था कि यह विषय ऐसा है जिस पर सभी कुछ न कुछ बोल सकते हैं। जो माननीय सदस्य आज तक बिलकुल न बोले हों केवल वही खड़े हों।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से जो अनुदान मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सदन में पुलिस के लिये पेश किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करता हूं।

मैंने कई रोज से सुना और सदन में हमेशा जब बजट पेश होता है तो जो उसका नियम है उस पर बहस हो। यही इसकी मर्यादा है और उस मर्यादा को कायम रखने के लिये सदन में हमेशा कटौती के प्रस्ताव आते हैं। लेकिन कई दिनों से मैं देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं और बजट में भी यह बात है और किसी माननीय सदस्य ने यह सुझाव नहीं दिया कि बजट में गलती है, इसको ठीक कर लिया जाय। ऐसी चीज नहीं हो रही है, बल्कि यह हो रहा है जैसा कि आज ही कहा जा रहा है कि पुलिस ठीक नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, किसी ढंग का राज्य हो, चाहे चीन का हो चाहे रूस का हो, अलग-अलग तरीके हैं। जहां जनतंत्र नहीं है, जहां दूसरे तरीके हैं, जहां नाजीवाद, है जहां फासिस्टवाद है, उनके तरीके अलग हैं, वहां कोई विचारधारा नहीं है। वहां इस तरह से लोग खड़े होकर विरोध नहीं कर सकते हैं कि हमारे अधिकारी ऐसे गलत हैं या फलां विभाग ऐसा गलत है, बल्कि अपने विचारों को दूसरे ढंग से भले ही रख सकते हों। बजट में खर्च करने के लिये पैसा मांगा जाता है।

श्रीमन्, मैं दस साल से देख रहा हूं और मुझे आशा थी कि पुलिस के ऊपर ऐसे सुझाव दिये जायेंगे जो पुलिस को बल देंगे और गांव के किसानों से और गांव के मजदूरों से पुलिस का सम्पर्क कायम हो। लेकिन कोई सुझाव नहीं आया। केवल यह कहा गया कि अपराध बढ़े हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और पुलिस के लोग भी जानते हैं कि जरायम इसलिये बढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जरायम पेशा जाति बनी हुई थी। एक अपराध हो तो वह सारी जाति पर लगता था। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने जरायम पेशा जाति को खत्म किया और ऐसा प्रयत्न किया जिससे जरायम पेशा लोगों को अच्छी नौकरी मिले, अच्छा काम मिले। जेलखानों में भी वह चीज पैदा की जा रही है। लेकिन हम कह दें या कोई कह दे कि अंग्रेजों के जमाने में जो चीज थी उसको एक साल में या दस साल में खत्म कर देंगे तो यह नामुमकिन चीज है। मैं यह कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों में यह चीज है, हम में है, सोशलिस्ट पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है, जनसंघ पार्टी में है और स्वतंत्र पार्टी में है कि कोई भी अपराध करता है तो पुलिस के थाने में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यह अपराधी नहीं है, बल्कि अपराधी दूसरा है। पुलिस जहां ढीली होती जा रही है तो वह हमारी कमजोरियों के कारण ढीली होती जा रही है, न कि पुलिस अपनी विचाराधारा के कारण ढीली होती जा रही है। अंग्रेजी जमाने में जो तरीका यह अपनाये थी उसी को अब भी अपनाये हुये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सुझाव मेरा मुख्य मंत्री जी से है कि जहां हमारे यहां आबादी बढ़ रही है वहां पुलिस को भी बढ़ाने की जरूरत ह। जहां एक थाना है वहां एक थाना और बढ़ाने की जरूरत है, जहां थान पर एक सब-इंसपेक्टर है वहां पर दो करने हैं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे लड़कों को सब इंसपेक्टर न बनाया जाय। केवल हाई स्कूल या इंटर वालों को लें ताकि उनके दिमाग में यह न हो कि हम पोजीशन बनाकर अगर बंदूक उठायेंगे तो कपड़ों में गन्दगी आ जायगी। ऐसे आदमियों को नहीं बल्कि जो हाई स्कूल तक पढ़े हों उनको सब-इंस्पेक्टर बनायें। तब उनके दिमाग में यह भावना होगी कि हम सेवा करें। यह मेरा आपसे सुझाव है। और मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय बाबूलाल! आप नहीं बोले हैं?

*श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तविक रूप से आपका बहुत आभारी हूं और आपने ठीक ही कहा कि जो न बोला हो उसको मौका दिया जाय। मैं भी जहां तक होगा, अपनी बातें बहुत संक्षेप में रखूंगा।

इसके बारे में दो रायें नहीं हैं कि पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार है, पुलिस ईमानदारी और सेवा में उस हद तक नहीं पहुंच पायी है, जिस हद तक उससे अपेक्षा की जाती थी। दोनों पक्षों की यही राय है। विरोधी पक्ष कुछ ज्यादा समझता है और सरकार की ओर से कुछ लीपापोती की जाती है। परन्तु उनको भी इस बात का आभास है कि पुलिस जरूर कुछ गड़बड़ है।

मैं एक छोटे जिले प्रतापगढ़ से आता हूं। वहां प्रर पुलिस कितनी भी ज्यादती करे, लेकिन जनता की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती। उसका एक विशेष कारण यह है कि बड़े बड़े जिलों में कुछ विरोधी लोग भी हैं जो अपनी आवाज जल्दी उठा देते हैं और कोई न कोई आन्दोलन खड़ा होने से पुलिस की ज्यादतियां सामने आ जाती हैं। परन्तु प्रतापगढ़ छोटा जिला होने के कारण पुलिस की गम्भीर से गम्भीर बातें हो जाने पर भी पता नहीं लग पाता। प्रयाग में एक घटना घटी जिसमें पुलिस ने एक आदमी को मारते-मारते जान ले ली। उसके बाद प्रदर्शन हुये। उसके बाद दो-तीन व्यक्ति मर गये। प्रतापगढ़ जिले में चाहे वह घटना ताजी हो या एक वर्ष पहले की, कई इस प्रकार की घटनायें हुईं, जैसा कि अभी बताया गया कि पुलिस की अगर तरक्की हुई तो मारपीट के मेथड में हुई है। मैं दो-तीन थानों के बारे में जानता हूं।

कितने ही जुर्म छिपा लिये जाते हैं। जेठवारा में होरीलाल सेठ के यहां डाका पड़ा। डाका रात में पड़ता है। नीचे और ऊपर के दरवाजे चीरे जाते हैं। कई घंटे रह कर भली-भांति सामान उठा कर ले जाते हैं। नामजद रिपोर्ट की जाती है, परन्तु चूंकि वह रिपोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ जाती है जो पुलिस के दलाल समझ लीजिये, चहीते समझ लीजिये, या कृपापात्र रहे हों, इसलिये उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जिसके यहां डाका पड़ता है उसको ले जाकर अन्य व्यक्तियों को पहचनवाया जाता है। कहते हैं कि इनको पहचानो। मैं भी जाता हूं, अन्य लोग भी जाते हैं और कहते हैं कि क्या अत्याचार हो रहा है, परन्तु कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस विभाग के आदमी कहते हैं कि हम ठीक से जांच कर रहे हैं। ऐसी घटनायें होते हुये मैंने कई अन्य स्थानों पर प्रतापगढ़ जिले में देखा।

मांग की जाती है कि पुलिस की तनख्वाह और अमेनिटीज बढ़ायी जायं, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। तो मैं कहूंगा कि यदि आनरेरी पुलिस भी भरती करें तो भी आपको बहुत मिल जायेंगे। वह आपकी इस मामूली तनख्वाह के भरोसे पर ही नहीं रहेंगे। उनका तो भरोसा कुछ और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूलाल]

ही रहता है। इसलिये जब तक उसको आप चेक नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता है । अभी एक सज्जन ने सुझाव देते हुये कहा—उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं थे—उन्होंने कहा कि आठ घंटे के लिये आई०जी० और मुख्य मंत्री को एक कमरे में बन्द कर दिया जाय, दोनों ही वहां बैठकर तय करेंगे कि किस तरह से सारा भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है । आई०जी० प्रण करेंगे कि अपने लोगों पर कड़ी निगाह रखें और माननीय मुख्य मंत्री जी भी कोई उपाय सोच लेंगे । मुझे याद पड़ता है, अभी दो ही तीन दिन पहले आई०जी० ने प्रेस को वक्तव्य देते हुये कहा था कि क्या करूं, जो जुर्म बढ़ रहे हैं उसका कारण यह है कि नेता लोग क्रिमिनल्स को हार्बर करते हैं, उनको छिपाया करते हैं । तो क्या नयी स्थिति हो जायगी अगर वह दोनों आठ घंटे बन्द रहेंगे ? अच्छा हो, तीसरा कोई वहां उपस्थित न रहे वरना इसी वाद-विवाद में मुमकिन है कि कोई अच्छी बात न तय हो पाये ।

मैं यह कहूंगा कि एक कोई अफसर ऐसा जरूर होना चाहिये जो किसी रूप में निष्पक्ष हो जो कि गांव की जनता और पुलिस के बीच होने वाली गड़बड़ियों को निष्पक्ष ढंग से जांच कर सके । आज जो कम्प्लेंट आफिसर रखा जाता है वह पुलिस का ही होता है, वह उसको बचाने की कोशिश करता है । आइडिया तो बड़ा सुन्दर है कि एक कम्प्लेंट आफिसर रहे, लेकिन देखने में आता है कि उससे कोई लाभ नहीं होता है । इतना ही नहीं [×××] । इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं एक सुझाव यह दूंगा कि कोई लोकल कमेटी गांव वालों की बना दी जाय जिसमें गांव के कुछ अच्छे-अच्छे लोग रहें, यह मैं नहीं चाहता कि सारी तहकीकात उनके जिम्मे कर दी जाय, लेकिन जो इने-गिने, पुलिस के गवाह होते हैं जिनको लेकर पुलिस सारी गड़बड़ किया करती है, गलत आदमियों का चालान करके गलत तरीके से उनको सजा दिलाती है, अगर गांव की कोई कमेटी रहेगी तो वह उसके बारे में अपने सुझाव दे सकती है । उसके सुझाव कितने माने जाते हैं, यह तो बाद की बात होगी ।

जैसा अभी कहा गया १०७, १०९, १४४ यह जो धारायें हैं, एक वकील होने के नाते मैं जानता हूं कि इनका कितना दुरुपयोग हुआ है, कितना लोगों को इससे आतंकित किया जाता है, किस प्रकार सही लोगों को न पकड़ कर दूसरे-दूसरे लोगों का चालान किया जाता है ।

एक सुझाव और है और वह यह है कि अगर यह मनुष्य रूपी कुत्ते बहुत भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, तो वैसे कुत्ते जिनसे कि बड़ा फायदा बताया जाता है और जिन पर कोई बड़ा खर्चा आपका नहीं है, क्योंकि उनके परिवार का न सवाल है न उनके पेंशन का सवाल है और भ्रष्टाचार का भय भी नहीं है, तो बजाय पुलिस के बढ़ाने के अगर वह कुत्ते बढ़ाये जायं और अगर विदेशी अलसेशियन कुत्ते न मिलते हों तो देशी कुत्ते ही तैयार किये जायं और उनसे काम लिया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा लाभ होगा ।

**श्री रामभजन** (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहली बार बोलने के लिये आपकी आज्ञा पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत अनुदान जो हमारे माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसके समर्थन में और विरोधी दल ने जो अनुदान पेश किया है उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं ।

**श्री कुंवर श्रीपाल** (जिला जौनपर)—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा कि विरोधी दल ने जो अनुदान पेश किया है, तो इधर से कौन अनुदान पेश है ?

**श्री अध्यक्ष**—वह पहली बार बोल रहे हैं । उनका मतलब कटौती के प्रस्ताव से है ।

**श्री राम भजन**—यह मानी हुई बात है कि हमारे देश की सुरक्षा के दो तरीके हैं । एक बाहरी सुरक्षा फौज के द्वारा और दूसरी आन्तरिक सुरक्षा पुलिस के द्वारा होती

[×××] नोट—उक्त अंश माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है। यद्यपि हमारी पुलिस के लोगों ने हमारे देश और प्रदेश के अन्दर बहुत ही सराहनीय कार्य किये हैं जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। बड़े-बड़े डाकुओं का सफाया करना, बड़ी-बड़ी चोरियों का पता लगाना और प्रदेश में शांति बनाये रखना इत्यादि, यह सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। पुलिस विभाग में ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने हमको नतमस्तक होना पड़ता है.....

**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष**—वह अपने नोट देख रहे है।

**श्री राम भजन**—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो विरोधी दल के लोग हमारी बात को सहन नहीं करते। मैं आपके द्वारा यह पूछता हूं कि असेम्बली के अन्दर जितनी भी बहस और जितना भी विवाद हुआ है आप लोगों ने कहीं पर भी कोई रचनात्मक सुझाव या कोई सही चीज पेश की है? विरोधी दल केवल विरोध करने के लिये विरोध करता है और कोई बात नहीं है। आप यकीन कीजिये कि जो सही बात और सच्ची बात मेरे हृदय को मालूम होती है वही मैं कहने जा रहा हूं।

एक पुलिस आयोग हमारे प्रदेश में नियुक्त किया गया और उसने कुछ सिफारिशें कीं। उन सिफारिशों पर अमल करने के लिये हमारी सरकार प्रयत्नशील है। उन सिफारिशों के आधार पर जो सुधार होगा उन सुधारों के द्वारा कुछ न कुछ हमारे प्रदेश की भलाई होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ यह मानना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो इस समय परिस्थिति है वह विषम है। उस परिस्थिति को सुधारने के लिये हमारी सरकार को पूरी तरह से तत्पर होना चाहिये। यह मानी हुई बात है कि हमारे प्रदेश की सरकार जहां सच्चाई के साथ अपना काम कर रही है, वहां दूसरे लोग हैं जो हमारी मुसीबत और हमारी तकलीफों को बढ़ाने के लिये पूरी तरह से तत्पर है। कुछ लोग उस तकलीफ को और बढ़ाने के लिये अपना कार्य कर रहे हैं और हमारी सरकार पर आक्षेप लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाऊं कि पुलिस को बदनाम करने वाले और हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करने वाले दूसरी पार्टी के कुछ लोग हैं जो प्रदेश को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। मैं मिसाल के तौर पर आपको बतलाऊंगा कि मेरे जिले में एक दरोगा ने कुत्ते से कटवा कर रुपया वसूल किया था। मैंने उसकी कम्प्लेंट कराई थी, लेकिन हमारे जो दूसरे एम० एल० ए० थे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो इस तरह से हमारी मुसीबत और बढ़ जाती है।

दूसरी तरफ से हमारे ऊपर आक्षेप लगाया जाता है। सिवाय आक्षेप लगाने के और कोई उन लोगों के पास दूसरी चीज नहीं है। एक सज्जन अभी बोले थे। उन्होंने बतलाया कि हमारे प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है और चोरी, डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि वास्तव में कुछ इस तरह की वारदातें जरूर बढ़ी हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि जिस समय आपकी सरकार केरल के अन्दर थी तो वहां पर आपकी सरकार ज्यादा भ्रष्टाचार की वजह से, ज्यादा कत्ल और डकैती की वजह से और पार्टी के लोगों की ज्यादा तरफदारी की वजह से ही तो अलग होने के लिये मजबूर हुई थी। यह सारी चीजें साफ तरीके से देखनी चाहिये। यह देखना चाहिये कि हमारा प्रदेश सब का सम्मिलित प्रदेश है। इसमें हमारी कल्याण की बातें शान्ति और जिम्मेदारी के साथ हो रही हैं किन्तु अफसोस यह है कि कोई विरोधी दल इस तरह का प्रयत्न नहीं करता जिससे हमको सहायता मिले। वह हमारी मुसीबत को ही बढाने के लिये तैयार हैं और सारी बातें हमारी आलोचना की ही, की जाती हैं। अब मैं पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं और वह यह हैं।

यदि पुलिस को सुधारना है तो थाने के जो दलाल जमा रहते हैं और जो हमारे सारे कामों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और रिपोर्ट लिखाने में हर वक्त हस्तक्षेप करते हैं उनको

[श्री रामभजन]

वहां से हटाया जाय । उनकी अगर हिस्ट्रीशीट खोल दी जाय तो यह बहुत ही मुनासिब बात होगी ।

इसके अलावा हमारे प्रदेश के जो आंकड़े इस संबंध में पेश किये गये उनके ऊपर विवाद हुआ । यह मानना पड़ेगा कि आंकड़े बढ़ें और इस वजह से बढ़े कि हमारी सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया कि अब वारदातों को छिपाया न जाय, लेकिन साथ-साथ यह भी मानना पड़ेगा कि बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो छिपाये जाते हैं और छिपाये जाने के फलस्वरूप इस तरह की स्थिति पैदा होती है जिससे डाकुओं और चोरों की हौसला अफजाई होती है । जिन लोगों ने चोरी की है यदि उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं की जाती है तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी हौसला अफजाई होने के सिवा और क्या हो सकता है । इसलिये हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिये । वास्तविकता अपनी जगह पर रहेगी।

यह मानना पड़ेगा कि पुलिस विभाग बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन हमारी बड़ी भारी मुश्किल यह है कि इस डेमोक्रेटिक सेट-अप में हम जनतांत्रिक प्रणाली द्वारा ही अपनी समस्याओं को हल करना चाहते हैं और जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते । अंग्रेज जब हिन्दुस्तान में थे तो भी हमने उनके साथ कोई दुर्भावना नहीं रखी, उनसे भी प्रेम से व्यवहार किया । तो हम इन कर्मचारियों को भी एक समय आलोचना कर के और दूसरे समय तारीफ करके सुधार सकते हैं ।

इसके अलावा रिपोर्टों के बारे में मेरा यह अनुरोध है कि वे सही रूप में दर्ज होनी चाहिये । अगर वे ठीक से दर्ज नहीं की जातीं तो निश्चित ही प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता । इसके अलावा थानों पर और जिला हेडक्वार्टर्स पर चीजों को छिपाने की कोशिश की जाती है । उन बातों को आई० जी० तक तथा सरकार तक पहुंचाने के लिये अपनी सी० आई० डी० को हमें सक्रिय करना चाहिये ताकि वे बातें प्रकाश में आयें और उन समस्याओं को हल किया जा सके और यहां बैठकर हम विचार कर सकें कि पुलिस विभाग में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ।

**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं पुलिस का एक सिपाही था और डाक्टर लोहिया के भाषणों से प्रभावित हो कर मैंने अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में इस्तीफा दिया और राजनीति में प्रवेश किया और सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की । मैं बतला देना चाहता हूं कि बुराई पुलिस के सिपाहियों में या अफसरों में नहीं है, बुराई सरकार में है । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**—आप अपनी बात कहें ।

**श्री रतीपाल**—मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के अनुदान पर ही मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला यह मेरा सौभाग्य है । अंग्रेजी शासन काल में जो कानून थे वही आज भी जनता पर लदे हुये हैं । उनसे पीड़ित होकर ही मैंने उस फोर्स से इस्तीफा दिया था .....

**श्री अध्यक्ष**—आप इतनी लम्बी भूमिका बांधेंगे तो समय बीत जायगा । आप अपने सुझाव दें ।

**श्री रतीपाल**—मान्यवर, मैं नया आदमी हूं । मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का जितना दुराचार है उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है । क्योंकि यहां से ही हुक्म निकलता है कि १०७, १०९, और ११० में लोगों का चालान किया जाय । सरकार की तरफ से मांग होती है कि लोगों का इस प्रकार चालान किया जाय । मैं समझता था कि पाकिस्तान में ही मार्शल ला लगा हुआ है, लेकिन यहां तो जिले जिले में, थाने थाने पर मार्शल ला लगा हुआ है और इससे सरकार इन्कार नहीं कर सकती । मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में जो पुलिस

के लिये दुर्भावना है उसका एक कारण यह भी है कि जनता की आवाज पुलिस सुनने के लिये तैयार नहीं होती। जितनी पुलिस की आमदनी बढ़ी है उतने ही जरायम बढ़ गये हैं। जितना पुलिस का अत्याचार बढ़ा है उतनी ही बेगार बढ़ी है। मैं तो देखता हूं कि आज सैकड़ों सिपाही टी०बी० के मरीज हो रहे हैं। अफसरों के यहां जूते साफ करने में, लकड़ी ढोने में, भूसा ढोने में उनका समय जाता है। क्या पुलिस जनता की भलाई के लिये है या अफसरों के जूते साफ करने के लिये है? मंत्री महोदय चलकर देख लें।

मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि इस किताब में जो रायबरेली जिले की डकैती का वर्णन किया गया है उसमें जुबेर नाम के एक आदमी को डकैत बतलाया गया है। यह महज झूठ है।

श्री अध्यक्ष—यह कौन-सी किताब है।

श्री रतीपाल—यह पुलिस रपट है। वहां जुबेर नाम के किसी आदमी को कोई जानता भी नहीं कि कौनसा जुबेर है, जिसको कि रायबरेली जिले में सबसे बड़ा डाकू साबित किया गया। धई में एक दरोगा जी थे, वह उन्हीं के गांव का रहने वाला फकीर है। वह दारोगा जी के यहां पानी और उनकी बकरी के लिये पत्ते नहीं लाया। वहां के दारोगा ने थाना जगतपुर से मिलकर जयकरन नाम से जो फौजदारी हुई उसमें १०७ में उसका चालान कराया, फिर १०९ में कराया। अब की बार जुबेर का डकैती में चालान हुआ है कि बड़ा भारी डाकू जुबेर पकड़ा गया है। मेरे गांव से वह एक मील दूर जगह है, कोई भी चलकर देखे और अगर मेरी बात झूठ हो तो सदन जो चाहे मुझे सजा दे। कोई भी मंत्री या कोई आदमी चलकर उसकी जांच करे। यह डकैती में जो नाम आया है वह गलत है और जनता के साथ बेईमानी की गई है, उनकी जिन्दगी को मिट्टी किया है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले की जांच की जाय और अगर सही डाकू हों तो सजा दी जाय वरना उनको छोड़ दिया जाय, क्योंकि पुलिस ने बड़ा ढकोसला रचा है।

आज पुलिस और जनता में बड़ा गैर व्यवहार पैदा होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि चाहे गांव के बड़े आदमी हों, चाहे नेता दल के लोग हों पुलिस उनके पीछे चलती है और जनता की आवाज नहीं सुनती। जो सरकार ने यह बजट पेश किया है यह छोटे कर्मचारियों को देना चाहिये। बल्कि सोशलिस्ट पार्टी का कहना यह है कि अफसरान का चुनाव होना चाहिये, समाजवादी मांग है कि सौ से कम और हजार से ज्यादा तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। चौकीदार की इसमें कहीं भी चर्चा नहीं आयी, उसकी भी तनख्वाह बढ़ाई जाय जोकि गांव के अन्दर रात दिन पहरा देता है, सभापति की घौंस सुनता है, नेताओं और बड़े आदमियों की भी घौंस सुनता है और साथ ही साथ दारोगा जी के घोड़े और भैंस के लिये घास भी छीलता है। आज कांग्रेसी कहते हैं कि पुलिस का कोई दाब नहीं लेता, एस० पी० के यहां आज भी भूसा आता है, थानेदारों के यहां आता है, लकड़ी आती है पचासों गाड़ी। मैं पकड़ कर दिखा सकता हूं। यह अगर रिश्वत नहीं है तो है क्या? दान बेगार लेने के लिये तो जमींदारी खत्म की गयी वही बेगार आज पुलिस के अधिकारी ले रहे हैं। अगर सरकार विचार करे तो शायद वहां की जनता को राहत मिले और भूसा और दान बेगार से वह राहत पायें। आज गरीबों को थानों में हवाई जहाज बनाया जाता है। आप कहते हैं कि मनुष्यों का कहीं हवाई जहाज बनता है। अगर हमारे नेता लोगों का हवाई जहाज बनाया जाय तो दो मिनट जी नहीं सकते। यह नया तरीका पुलिस वालों ने निकाला है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बोलने का मेरा प्रथम प्रयास है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि मुझसे जो त्रुटियां हो जायंगी उसके लिये मुझे क्षमा किया जायगा। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

मैं पुलिस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि आज के इस प्रजातंत्र के युग में जबकि हम आजाद हो चुके हैं, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस सरकार की और हमारी सब की है । हमारे लिये अब कसौटी का समय आ गया है, एक परीक्षा का मौका आया है । हमारे देश के आस-पास के देशों में हिटलरशाही और फौजी शासन की व्यवस्था हो रही है । इसलिये प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है । जितनी योजनायें इस समय चल रही हैं उनके पीछे अपनी सुरक्षा सबसे पहले है और उस जिम्मेदारी का पूरा भार पुलिस विभाग पर है । यह विभाग कसौटी का विभाग है जिस पर हमारी योजनाओं की सफलता निर्भर करती है । मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय जो अनुदान रखा गया है उसको पूरा सदन स्वीकार करेगा ।

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि पुलिस के अफसरान जिस जिम्मेदारी से इस वक्त काम कर रहे हैं वह जिम्मेदारी संतोषजनक है और प्रगतिशील है । इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजों के समय की जिम्मेदारी और आज की जिम्मेदारी को देखते हुये हम कह सकते हैं कि इन सालों में काफी तरक्की हुई है। आज के प्रजातंत्र और जनतंत्र के युग में ग्रामों तक गांधी जी के स्वप्न को पहुंचाने में कि हमारा विकेन्द्रीकरण हो और शासन की बागडोर गांव सम्हाले, इस जिम्मेदारी के निभाने में पुलिस एक बहुत बड़ा अंग है । इसमें शक नहीं कि हमारी जनता की भी जिम्मेदारी है । मैं अनुभव करता हूं कि पुलिस और जनता के बीच में कोआपरेशन और कोआर्डिनेशन होना चाहिये, लेकिन यह तभी हो सकता है जबकि हर पार्टी और हर वर्ग के व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें । इसमें मैं एक कमी महसूस करता हूं । पुलिस के आदमियों को अपनी जिम्मेदारी और वफादारी अनुभव करनी है जितनी कि हम सदन के सदस्य अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं । जनता में जो शिकायतें होती हैं उनकी जवाबदेही हम सभी को जनता में करनी पड़ती है । पुलिस गलती करती है तो उसकी जवाबदेही हमको करनी पड़ती है । ऐसी दशा में पुलिस वालों का नैतिक चरित्र ऊंचा होना चाहिये ताकि हम सदस्यों को जनता के सामने नीची निगाह न करनी पड़े ।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पुलिस वालों के सम्बन्ध में जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, तो किसी आदमी को बार-बार चोर कहने से उसकी चोरी करने की आदत पड़ जाती है । इसलिये मैं समझता हूं कि उनको हमें इज्जत की निगाह से देखना चाहिये, सम्मान के साथ देखना चाहिये । किसी खराब आदमी को हमेशा घृणा और नफरत की निगाह से देखने से उसमें घृणा और नफरत बढ़ती है । हम प्रेम, मुहब्बत और सद्-भावना से ही उनके रवैये को बदल सकते हैं, दूसरे तरीके से नहीं बदल सकते । इसमें कोई शक नहीं कि प्रजातन्त्र में विरोध करने का अधिकार होता है लेकिन वह विरोध रचनात्मक दृष्टि से होना चाहिये । विरोध की भावना से विरोध नहीं होना चाहिये । साथ ही जो अच्छे सुझाव आयें उनको स्वीकार करने में हमारी सरकार को कोई गुरेज नहीं होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि पुलिस का अनुदान सर्वसम्मति से स्वीकार किया जायगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष आज जो मांग प्रस्तुत की है, जहां तक उसके व्यय का सम्बन्ध है, चूंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिये, सुरक्षा की व्यवस्था के लिये रखी जाती है इसलिये आज की बढ़ती हुई आबादी में, उसके बारे में मुझे कोई विरोध नहीं है । लेकिन इस अनुदान के अन्दर एक ऐसा स्थान कम्पलेन्ट आफिसर का है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है । ये लोग जनता की शिकायतों को दूर करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनका कैरेक्टर रोल एस० पी० के मातहत रहता है और एस० पी० कभी भी अपने मातहत कर्मचारी के खिलाफ कोई बात होते देख नहीं सकता है । मेरा सजेशन है कि इस पद को समाप्त कर दिया जाय और शिकायत की जांच के लिये एक निष्पक्ष अधिकारी की नियुक्ति की जाय । किसी जुडीशियल आदमी की नियुक्ति इस कार्य के लिये कर दी जाय जो हर जिले में ऐसी शिकायतों की जांच करे तो बहुत अच्छा होगा । वह पुलिस के महकमे से

कोई सम्बन्ध न रखे, क्योंकि पुलिस के महकमे में जो मनोवृत्ति है उसमें यह होता है कि आई० जी०, डी० आई० जी० को सपोर्ट करता है, डी० आई० जी० एस० पी० को, एस० पी० डी० एस० पी० को, और डी० एस० पी० इंस्पेक्टर को सपोर्ट करता है। इस प्रकार से एक दूसरे के गलत काम में लोग सपोर्ट करने का प्रयत्न करते हैं। जब तक इस कुव्यवस्था पर एक ऐसा नियंत्रण नहीं होगा कि कोई निष्पक्ष अधिकारी उनके विरुद्ध जांच करके रिपोर्ट पेश कर सके, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में हर जिले में एक ऐसा व्यक्ति या कोई मशीनरी आप एप्वाइन्ट कर दें, जिसमें जनता का विश्वास हो, तभी जनता की तकलीफें दूर हो सकती हैं।

हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जनता पुलिस को सहयोग देने को तैयार नहीं है, यद्यपि वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता की सेवक बन गयी है। लेकिन पुलिस जनता का सहयोग चाहती ही नहीं है। आज भी उसकी मनोवृत्ति अंग्रेजों के जमाने की सी ही है। मैं मानता हूं मुख्य मंत्री जी उसको दूर करने की दिशा में प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं लेकिन अभी तक वे उसमें असमर्थ रहे हैं। जब कोई थानेदार किसी गांव में जाता है सेवक की मनोवृत्ति से नहीं जाता बल्कि शासक की मनोवृत्ति से जाता है। उसका एक कारण यह भी है कि उसको सी० आर० पी० सी० के ऐसे अधिकार दिये हुए हैं जिनका सदुपयोग करने के बजाय वह दुरुपयोग करता है। दफा १०९, ११०, १५१, १०७, ११७, १३४ और १६० के अन्दर किसी भी बड़े आदमी को पकड़ कर मुलजिम के रूप में उसका चालान किया जा सकता है और किया जाता है। आज ही एक माननीय सदस्य ने आपके सामने प्रश्न पूछा था कि सीतापुर के लहरपुर में ३ और १४ अप्रैल के बीच दफा १०९ के अन्तर्गत कितने आदमियों का चालान हुआ, तो माननीय गृह मंत्री ने उत्तर दिया कि २३ आदमियों का चालान हुआ। इसके पहले वहां दफा १०९ का कोई भी मुलजिम नहीं था, लेकिन इन ११ दिनों में ही उस दफा के अन्तर्गत २३ आदमियों का चालान हो गया। इससे स्पष्ट है कि इस दफा १०९ का कितना दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से पुलिस द्वारा जनता को भयभीत किया जा रहा है। अगर सरकार अपने को वेलफेयर स्टेट समझती है और चाहती है कि पुलिस और जनता का अच्छा सम्बन्ध रहे तो उसको चाहिये कि वह कोई ऐसा कानून बनावे जिससे इन दफाओं का दुरुपयोग न हो सके जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया।

दफा १५१ की जो परिभाषा की गयी है उसके अन्तर्गत थानेदार को अधिकार है कि वह जिसको चाहे अपने थाने पर बुला ले और वहां रिपोर्ट में लिख दे कि यहां ऐसा झगड़ा होने वाला था और दोनों तरफ से बल्लम आदि इकट्ठे थे और अगर चालान न करते तो बलवा हो जाता। तारीफ यह है कि दफा १५१ के अन्तर्गत एक ही तरफ के मुलजिम का चालान होता है जबकि बलवे में दोनों पार्टीज के भाग लेने की आशंका थी लेकिन मैजिस्ट्रेट महोदय फौरन दफा १०७ में उसे जेल भेज दिया। आज कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको देखना चाहिये और इसको रोकने की चेष्टा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

*श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कई दिनों के बाद बड़ी कृपा करके आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। पुलिस विभाग के अनुदान पर विरोधी दल के माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

आज कहा जाता है कि पुलिस विभाग का रहना बहुत जरूरी है। यह ठीक है कि पुलिस विभाग रहे, लेकिन हमारे क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में म कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र फैजाबाद के पश्चिमी भाग के मौजा कलन्दरपुर ग्राम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने थाना इनायतनगर में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी जान व माल का खतरा है और उसके दो तीन दिन बाद होली के दूसरे दिन ही दिन उसका कत्ल हो जाता है, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धूम प्रसाद]

थाना इनचार्ज और पुलिस की तरफ से उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। कत्ल के बाद उस गांव में जो हालत हुई वह मैं बतला दूं। उस गांव में एक ही नाम के तीन तीन-व्यक्ति थे और पुलिस के कर्मचारी जब उस गांव में पहुंचे तो एक ही नाम वाले तीन-तीन व्यक्तियों से ४०० और ५००-५०० रुपये मांगने की उन्होंने व्यवस्था की। मैं खुद वहां पहुंचा और गांव के अन्दर लोगों को समझाया बुझाया।

श्री अध्यक्ष—माननीय धूम प्रसाद जी, आप कितना समय और लेंगे? अगर अभी समाप्त करना हो तो दो मिनट और मैं दे देता हूं, आप बोल लें।

श्री धूम प्रसाद—श्रीमन्, कल के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, तो आप अब कल बोलेंगे, आपके अभी तीन मिनट बाकी हैं।

## प्रादेशिक सरकार के महंगाई भत्ते को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले भत्ते के समकक्ष लाने से सम्बद्ध १८ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न ४ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—अब प्रादेशिक सरकार के मंहगाई भत्ते को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के समकक्ष लाने के सम्बन्ध में श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा १८ अप्रैल, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ के विषय में नियम ५० (१) के अन्तर्गत आधे घंटे का विवाद होगा।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार प्रकट करने के लिये और इस सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये आपने समय दिया। श्रीमन्, इस सवाल और उसका उत्तर पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने शायद केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते और प्रादेशिक सरकार के महंगाई भत्ते में जो अन्तर है उसको जानने की कोशिश नहीं की। श्रीमन्, उत्तर में बताया गया है कि "राज्य सरकार की मंहगाई की दरें केन्द्रीय सरकार की मंहगाई भत्ते की वर्तमान दरों से कहीं ज्यादा हैं। अतः इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते के समकक्ष अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता"। इसके मतलब साफ हैं कि प्रादेशिक सरकार का महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते के मुकाबले में ज्यादा है इसलिये उसके बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके जरिये इस सदन का और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते के ऊपर खयाल करें। उनका पहला पे कमीशन बना था। उस वक्त केन्द्रीय सरकार की जो महंगाई भत्ते की दरें हैं वह यह हैं कि ४ सौ रुपया पाने वालों को ६० रुपये मंहगाई भत्ता मिलता था। जब दूसरा पे कमीशन बना तो उसने यह निर्णय किया कि ४ सौ रुपये तक तनख्वाह पाने वालों को जितना मंहगाई भत्ता दिया जाता है, वह सब पे में मिला दिया जाय। नतीजा यह हुआ कि चार सौ रुपये पाने वालों का वेतन ४ सौ से बढ़ कर ५ सौ रुपया हो गया। दूसरे पे-कमीशन ने साथ-साथ यह भी कहा कि मंहगाई और खर्चे का स्तर १० यूनिट बढ़े तो मंहगाई और बढ़ा दी जाय। उसका नतीजा यह हुआ कि १ नवम्बर, १९६१ से केन्द्रीय सरकार ने नई मंहगाई दर नियत कर दी। वह यह है कि १४९ रुपये तक तनख्वाह पाने वाले को १५ रुपया, १५० रुपये से ३ सौ रुपये तक पाने वाले को २० रुपया और ३०० रुपये से ३९० तक पाने वाले को १० रुपया मंहगाई भत्ता दिया जाने लगा।

अब प्रादेशिक सरकार का देखिये जिसके लिये वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमारे यहां ज्यादा है। शायद वित्त मंत्री जी को उनके अधिकारियों ने दिखाया न हो। सरकार

का एक जी० ओ० हुआ था २९ जून, १९५९ को, उसमें साफ लिखा है कि प्रादेशिक सरकार जो महंगाई भत्ता देती है उसमें से कुछ हिस्सा वेतन में मिला दिया जाता है। उसका नतीजा यह हुआ कि प्रादेशिक सरकार का जो भत्ता ५० रुपये तक के कर्मचारियों का था ३३ रुपये, उसमें से २० रुपया वेतन में मिला दिया गया और ५१ से १५० रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों का जो ३५ रुपये मंहगाई भत्ता था उसमें से ३० रुपया वेतन में मिला दिया गया और १५१ से ४५० रुपये तक जिनकी तनख्वाह है उनको ४० रुपया मिलता था मंहगाई भत्ता, उसमें से ३५ रुपया वेतन में मिला दिया गया। इस प्रकार केवल १३, ५ और ५ रुपया मंहगाई भत्ता प्रादेशिक सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। मेरा खयाल है कि सदन के बहुत से सम्मानित सदस्यों की समझ में बात नहीं आयी कि यह उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी का किस प्रकार का भ्रम जाल रहा है। श्रीमन्, मैं स्वयं इस प्रकार के उत्तर से बहुत ही चकित हुआ क्योंकि इस प्रकार के उत्तर से प्रदेश के हजारों जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें बड़ा असंतोष बढ़ता है और हमारे ऐसे नागरिकों के दिलों में भी उससे बहुत शुबहा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप जरा और सूबों के फीगर्स को देखें तो आप को कुछ उनसे नसीहत मिलेगी कि दूसरे सूबों की सरकारें अपने कर्मचारियों को किस दर से मंहगाई भत्ता देती हैं। जहां आप ४५० रु० तक वेतन पाने वालों को ४० रुपया देते हैं वहां मध्य प्रदेश में ५०० रुपये तक पाने वालों को ७५ रुपया मंहगाई भत्ता मिलता है, केरल में ४०० से ५०० रु० तक वालों को ७० रुपया मिलता है, बिहार में ३०० तक पाने वालों को ५५ रुपया मिलते हैं, बम्बई में ५०० तक पाने वालों को ७० रुपया मिलते हैं, बंगाल में ४०० तक वालों को ७० रुपया और पंजाब में भी ५०० तक वालों को ७० रुपया मंहगाई भत्ता मिलता है। इस तरह से आप देखें और हिसाब लगायें कि आप के सूबे का और सूबों के मुकाबले में क्या स्तर है। मैं चाहता हूं कि आप इन फीगर्स को समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि जब सारे सूबों की सरकारें जिन की आय यहां से कम है वह भी आप के मुकाबले में अपने कर्मचारियों को ज्यादा मंहगाई भत्ता देती हैं और केन्द्रीय सरकार भी ज्यादा देती है तो जो आप के कर्मचारियों की मांग है उनके औचित्य को आप समझें और यदि इस समय कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप फिलहाल एक पे-कमीशन ही नियुक्त करें जो विचार करे और अपनी सूझ-बूझ आपके सामने रखे।

इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को सिटी एलाउन्स देती है। यही नहीं उसने शिक्षा एलाउन्स भी देने का निर्णय कर लिया है, हाउस एलाउन्स भी देती है और उसने कई तरह के अन्य एलाउन्सेज भी देने का निर्णय किया है जबकि यह सरकार इन मदों में कुछ नहीं देती। इन शब्दों के साथ मैं इस विवाद को प्रस्तुत करता हूं और सदन से और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस वक्त प्रादेशिक कर्मचारियों में जो असन्तोष है उसको समाप्त करने के लिये तुरन्त एक पे-कमीशन नियुक्त करें, जिससे उनकी उचित मांगों का निबटारा हो सके। मैं फिर यही कहूंगा कि जो वेतन और मंहगाई भत्ता आज यहां दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है।

**वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)**—अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उस दिन किया था वह इस रूप में था कि "क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रादेशिक सरकार भी केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते के समकक्ष अपने कर्मचारियों को देने का विचार करती है"? इसका उत्तर यह दिया गया था कि "राज्य सरकार की मंहगाई भत्ते की दरें केंद्रीय सरकार की वर्तमान दरों से कहीं ऊंची हैं अतः इस सरकार का केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते के समकक्ष अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता"।

इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता महोदय को कुछ भ्रम हो गया है। हमारे यहां ५० रुपये तक वेतन पाने वालों को मंहगाई भत्ता ३३ रुपया दिया जाता है और ५१ रुपये से १५० रुपए तक पाने वालों को ३५ रुपया मिलता है और १५१ से ४५० तक पाने वालों को ४० रुपया मिलता है और ४५१ से ४८९ तक पाने वालों का मार्जिनल एडजस्टमेंट होता है। उनका यह भ्रम है कि वह मंहगाई भत्ता नहीं रह गया

[श्री जयराम वर्मा]

है और यह वेतन का भाग हो गया है। यह खयाल उनका गलत है। मंहगाई भत्ते का कुछ हिस्सा जिसका उन्होंने जिक्र किया वह डीयरनेस पे की शक्ल में माना जाता है। वह बेसिक पे का हिस्सा नहीं है। जिन प्रयोजनों से उनको लाभ होता है उन्हीं प्रयोजनों के लिए उसको डीयरनेस पे माना गया है। यानी अगर डेनो एलाउन्स देने का सवाल है तो डीयरनेस पे को काउन्ट किया जायगा, दैनिक भत्ते के कंजक्शन के लिये, उनके पेंशन के बारे में इस डीयरनेस पे को काउन्ट किया जायगा। लेकिन उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां आती हैं उनके लिये इसको पे का पार्ट नहीं माना गया है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी सरकारी मकानों में रहते हैं उनसे किराया चार्ज करने के लिये इस डीयरनेस पे को काउन्ट नहीं किया जाता है। इसलिये यह कहना कि यह मेजर पोर्शन बेसिक पे का हिस्सा हो गया है, सत्य से परे हैं। स्थिति तो यह है कि वह बेसिक पे का हिस्सा नहीं है। यह ३३, ३५ और ४० रुपये मंहगाई भत्ता ही है। उनको कुछ और सुविधा देने के लिये इसे डीयरनेस पे की शक्ल में मान लिया गया है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का प्रश्न है वह ५९ के बाद का प्रश्न करते हैं कि आज केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितना मंहगाई भत्ता मिलता है। यदि तीन वर्ष पहले का प्रश्न उनके दिमाग में रहा हो तो यह हम सोच नहीं सकते थे। लेकिन जो मंहगाई भत्ता आज मिलता है वह हमारे मंहगाई भत्ते से बहुत कम है। नवम्बर, ५९ से जो वेतन-क्रम उनके मुकर्रर हुए उसमें १५० से कम वेतन पाने वालों को १० रुपया मंहगाई भत्ता मिलता था और १५० से ३०० रुपये तक वेतन पाने वालों को २० रुपये मिलते थे और उसके ऊपर कोई मंहगाई भत्ता नियत नहीं किया गया था। अखबारों की खबर है कि केन्द्रीय सरकार ने उसमें थोड़ा-सा फिर चेंज किया है और १५० से कम वेतन पाने वालों को १० के बजाय १५रुपये मंहगाई भत्ता कर दिया है और १५० के ऊपर और ३०० रुपये से कम वेतन पाने वालों को ३० रुपये कर दिया है और ३०० से ३३० तक वेतन पाने वालों को मार्जिनल एडजेस्टमेंट किया है कि उनको इतना रुपया मिलेगा जिसके जोड़ देने से ३३० रुपया हो जायगा। ३२१ से ३८९ तक वेतन पाने वालों को १० रुपया और ३९० से ३९९ तक के लिये मार्जिनल एडजस्टमेंट किया गया है जिससे उनकी उपलब्धि ४०० रुपये पूरी हो जाय। जब हम मुकाबला करते हैं उनके मंहगाई भत्ते का अपनी राज्य सरकार के मंहगाई भत्ते से तो केन्द्रीय सरकार का मंहगाई भत्ता जो है, जिस वक्त का जिक्र है, उस वक्त उनका भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते से बहुत कम है और यही उत्तर दिया गया है। यह उत्तर न कहीं भ्रामक है, न तथ्य से परे है और न उससे कोई निराशा पैदा होती है। जो बात कही गयी है वह बिलकुल सत्य कही गयी है, उससे किसी भ्रम के पैदा होने का सवाल पैदा नहीं होता।

जहां तक कि उनकी उपलब्धियों का सवाल है, यदि यह प्रश्न होता कि क्या उनकी उपलब्धियां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर कर दी जायं या दूसरे वेतन-क्रम निर्धारित करने का सवाल होता तो यह दूसरी बात होती। लेकिन जहां तक मंहगाई भत्ते का सवाल है उसका कोई दूसरा उत्तर हो नहीं सकता। क्योंकि डीयरनेस पे का भ्रम पैदा हो गया है तो जिस जी० ओ० का उन्होंने हवाला दिया है शायद उसे बगैर पढ़े ही उसका हवाला दिया और यह कहा कि यह बेसिक पे का पार्ट हो गया है और मंहगाई भत्ता बहुत थोड़ा रह गया है तो ऐसी बात नहीं है। जो जी० ओ० अप्रैल, १९६० से लागू हुआ है उसमें जिक्र है कि यह मंहगाई भत्ता है और उसमें से मेजर पोर्शन उन प्रयोजनों के निमित्त डीयरनेस पे काउन्ट किया जायगा जिनमें काउन्ट करने से हमारे सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा और जिनमें काउन्ट करने से उन पर कुछ लायबिलिटी पड़ेगी उनमें यह काउन्ट नहीं किया जायगा। इसलिये यह भ्रामक नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुन्दर पांडेय ने जो अपना पक्ष प्रस्तुत किया, महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में, और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसको सुनने के बाद इस आदरणीय सदन में और ज्यादा भ्रम उत्पन्न हो गया क्योंकि इसका मूल कारण क्या है जिसके दूर करने के लिये माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने एक प्रश्न रखा था और इस पर सफाई मांगनी चाही थी, उस कारण की तह में माननीय मंत्री जी जाते नहीं हैं। मैंने और हमारी पार्टी ने.....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस पर प्रश्न होते हैं, भाषण देने का नियम तो नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—उनके मन में जो भ्रम पैदा हुआ है पहले उसको जाहिर करेंगे, फिर प्रश्न करेंगे ।

श्री उग्रसेन—अभी तो यह भूमिका है ।

श्री अध्यक्ष—भूमिका नहीं, आप प्रश्न कीजिये ।

श्री उग्रसेन—मैंने समझा कि या तो प्रश्न पुछवा लें या ५-५ मिनट का मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं । प्रश्न के द्वारा आपके भ्रम का निराकरण होगा, इसलिये आप प्रश्न ही पूछिये ।

श्री उग्रसेन—इस बात को देखते हुये कि राज्य कर्मचारी बहुत दुखी हैं और महंगाई को दृष्टिगत रखते हुये महंगाई भत्ता जो बहुत कम है, क्या माननीय मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति को लागू करने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं । बदकिस्मती से ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—इस वक्त महंगाई के आंकड़े क्या हैं और सरकार जो महंगाई का भत्ता देती है वह उन आंकड़ों को कितना न्युट्रलाइज करता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्य का अर्थ शायद यह है कि जो प्राइसेज के इन्डैक्स होते हैं उनके अनुपात में आपका भत्ता कितना है । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि प्राइसेज के इन्डैक्स के नम्बर पर हमारे यहां कोई सिद्धान्ततः महंगाई भत्ता मंजूर नहीं हुआ । एक ऐडहाक भत्ता चलता है और हम देते चल रहे हैं इस इरादे से कि उनकी तकलीफों को हम कम कर सकें ।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह महंगाई भत्ता वेतन के रूप में नहीं देते हैं तो रुपये में किस प्रकार की गणना होती है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—बड़ा स्पष्ट है । डियरनेस एलाउन्स है वह, लेकिन दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किया, पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक सारे डियरनेस एलाउन्स को स्केल आफ पे में मर्ज कर दिया और डियरनेस एलाउन्स गायब कर दिया । अब थोड़ा-थोड़ा फिर किया है १०, १५, और ३० रुपये । तो जितना डियरनेस एलाउन्स देते थे वह उन्होंने पे में मर्ज कर के वही स्केल आफ पे कर दिया । एक तरीका तो यह है । अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुये हम इस तरीके पर रह नहीं सकते थे। तो हमारे यहां बीच का तरीका निकाला गया कि डियरनेस एलाउन्स की रकम को कुछ ऐसे प्रयोजनों के लिये जिससे कि हमारे कर्मचारियों को लाभ पहुंचे उसको पे में जोड़ दें और उसको डियरनेस पे कहा गया। जैसे उनका प्राविडेन्ट फंड है, पेन्शन है, रिटायर कर रहे हैं बेसिक पे पर, लेकिन जितना डियरनेस एलाउन्स है उसका हिस्सा हमने जोड़ दिया और उस पर कैलकुलेट किया तो कुछ पेन्शन बढ़ गयी । इसी प्रकार से उनका प्रावीडेंट फंड बढ़ गया । उनका फायदा होता है कि कोई १२० रुपये वेतन पाता है और ३०रुपये डी०ए०है तो ट्रेवलिंग एलाउन्स के लिये १२० पर कम मिलता है और १५० पर ज्यादा मिलता है । इसलिये टी० ए० में हमने उनको पे १५० पये मान ली है । लेकिन हाउसरेंट में १२० पर १० फीसदी के हिसाब से रेंट १२ रुपये होता है और १५० पर १५ पये होता है । इसलिये रेंट के लिये हमने डी० ए० जोड़ा नहीं है । जहां सरकारी कर्मचारियों का

[श्री कमला पति त्रिपाठी]

फायदा है वहां हमने जोड़ लिया है और जहां नुकसान है वहां जोड़ा नहीं है । इसलिये हमने एक मध्य मार्ग निकाला है । जहां तक महंगाई भत्ते का प्रश्न है आप इस चीज को देखें । अगर आपने स्केल आफ पे का सवाल किया होता तो बात दूसरी होती । सेंटर ल में पे स्केल में उसको मर्ज कर दिया । अब फिर उन्होंने रिसेंटली डी० ए० एनाउन्स किया है । अगर इससे अपने यहां के डी० ए० का मुकाबला किया जाय तो स्पष्टतया उनका कम है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मामला ऐसा है कि अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि वे कोई प्राईस इन्डडेक्स के सिद्धान्त पर डी०ए० नहीं देते हैं तो यह सिद्ध हो गया कि उसको मीट करने के लिये डी० ए० नही देते हैं। दूसरों की देखा देखी भी नहीं देते हैं जो अन्य प्रदेशों में है। उनसे भी शायद सब से कम देते हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से तो कम देते ही हैं । तीनों तरह से एक ही रास्ता पकड़ में आता है कि सब से कम देते हैं । इससे, जैसा कि माननीय राम-सुन्दर जी पान्डेय ने कहा कि असंतोष बढ़ता है । इसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेगें कि जो पे कमीशन की सिफारिश है उसको स्वीकार करें ताकि सबको देख कर समन्वय किया जाय कि कितना वेतन कम हो और डी० ए० हो ? इस पर श्रीमन् विचार कर लिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर माननीय गेंदासिंह जी ने पे कमीशन की रिपोर्ट देखी होती तो उनका भ्रम दूर हो गया होता कि किस माने में कि प्राइस इन्डेक्स पर गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने फिक्स किया । पे कमीशन ने सिफारिश की है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के पे स्केल्स और अन्य स्टेटस् के पे स्केल्स में जो डिस्पैरिटी है उसको दूर करने के लिये हम कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं । यह तो जो स्टेट्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर है और अपनी रेवेन्यू देखकर भिन्न-भिन्न स्टेट्स अपने हिसाब से तय करें । यह उन्होंने लिखा है। उन्होंने यह नहीं लिखा है कि अपने यहां प्राइज इंडेक्स पर विचार रखें । हमारे यहां डी० ए० प्राइस इंडेक्स के हिसाब से नहीं है और न हमारी शक्ति ही है कि उसके हिसाब से फिक्स करें । अपने कर्मचारियों को कोई भी सरकार अधिक से अधिक सुविधा और संतोष प्रदान करना चाहेगी बशर्ते कि उसकी क्षमता हो ।

जब माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने सप्लीमेंटरी किया था तो मैंने उस समय निवेदन किया था और बजट के अवसर पर भी निवेदन किया था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो रेट डी० ए० का है, पे कमेटी की रिपोर्ट के पहले का या १९५९ से पहले का, उस हिसाब से यदि हम अपना यहां कर दें तो हमारे यहां ९ करोड़ ७ लाख का खर्चा बढ़ता है । इसलिये यह हमारे लिये करना असम्भव है । यह कहना कि हमारे यहां सब जगह से कम है, यह भी सही नहीं है । कहीं कम हो सकता है और कहीं ज्यादा हो सकता है । कहीं हमारे यहां स्टार्ट ज्यादा है कहीं हमारे यहां मेक्सिमम ज्यादा है । आप बैठ कर देखें । यदि माननीय गेंदासिंह जी को दिलचस्पी हो तो देखें कि कहीं किसी जगह कम भी हो सकता है, कहीं-कहीं स्केल्स ऐसे है जिनके मिनिमम या मेक्सिमम से हम ज्यादा हैं, दूसरे प्रदेश हम से खराब हैं ।

जहां तक कमीशन की बात है, सरकार उसकी आवश्यकता नहीं समझती । इस सम्बन्ध में बार-बार घोषणा की जा चुकी है । १९४९ से लेकर १९६१–६२ तक, जनवरी में ऐडहाक इन्क्रीमेंट किया है, जब-जब बढ़ाया है यह लिस्ट मौजूद है । उसमें आप देखेंगे कि साल-साल भर पर नहीं तो दूसरे तीसरे वर्ष, कुछ न कुछ इजाफा, कुछ न कुछ सुविधा दी गयी है । आज सबसे अधिक करने की क्षमता प्रदेशीय सरकार के पास नहीं है ।

एक बात और निवेदन कर दूं । जिन स्टेट्स की बात की जाती है, बहुत सी स्टेट्स ने ३० रुपये से लेकर एक हजार तक डियरनेस एलाउन्स रखा है । इससे डिस्पैरिटी घटती नहीं है । हमारे यहां एक सीमा तक है । उसके ऊपर डियरनेस एलाउन्स नहीं है । जहां तक बड़ी तनख्वाहें हैं, उनमें साढ़े चार सौ तक है, उसके ऊपर नहीं है । उनके यहां हजार ग्यारह सौ तक देते हैं, और खासा बढ़ा देते हैं ।

श्री ऊदल—ऊपर से स्पेशल अलाउंस देते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक बात और निवेदन करना चाहता था । पे-कमीशन ने अपनी सिफारिश में यह बात लिखी है, उन्होंने इस सवाल को लेकर बहुत खोज की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज का स्केल स्टेट्स में मैं डेटरी होना चाहिये या नहीं । बहुत स्टेट्स की ओर से यह सवाल उठा, हमारे यहां से बार-बार कहा गया कि आप जिस प्रकार से सेन्ट्रल एम्प्लाइज और स्टेट एम्प्लाइज के साथ डिस्पैरिटी ले आ रहे हैं उसका असर स्टेट्स पर बहुत खराब होगा । अगर आप बढ़ाते हैं तो हम को भी हेल्प कीजिये । वह हमको जो ४५० तक डियरनेस अलाउंस में मदद करते थे वह भी बन्द कर दिया है । बजट में हमने इसका जिक्र किया था । पे-कमीशन की टर्म्स आफ रेफरेंस में यह था कि स्टेट्स और सेंट्रल एम्प्लाईज में किस तरह से ऐसा किया जाय कि डिस्पैरिटी न हो ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—यह तो भाषण मंत्री जी करते रहेंगे । हमको पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष—अगर आप नियम देख लें तो मालूम हो जायगा । संम्बन्धित मंत्री का अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्होंने उसमें बहुत छानबीन की है । अमेरिका और कैनाडा में भी फेडरल और स्टेट्स के एम्प्लाइज में डिस्पैरिटी है । ऐसी सिफारिश यहां भी नहीं कर सकते । स्टेट्स को अपनी इकोनामिक कंडीशन के मुताबिक अपने एम्प्लाइज के लिये जितना सम्भव हो सहायता करनी चाहिये । यह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है । जहां तक पे-कमीशन की मांग है, कमीशन कायम करने की क्षमता हमारी नहीं है । उसके वजूहात हैं । फिर अवसर होगा तो बताऊंगा ।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार के महंगाई भत्ते में और केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते में क्या फर्क है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बताया है ।

श्री रामसुन्दर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह मान लिया जाय कि प्रादेशिक सरकार की आर्थिक अवस्था खराब है इसलिये महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के समकक्ष करने का इरादा नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि यह कहना कि आर्थिक अवस्था खराब है, यह एक बात को तोड़ मरोड़कर बिलकुल दूसरे ढंग से कहना है । आर्थिक अवस्था बहुत प्रौढ़ है और हमारी शक्ति के अनुसार हम उनको दे रहे हैं । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से, समय के समाप्त होते-होते, कि इस प्रकार के प्रश्नों को बार-बार उठाने से कोई लाभ नहीं होता सिवाय इसके कि जिस असन्तोष के लिये उनको बड़ी फिक्र है उसी में थोड़ा और बढावा देकर के कम से कम कुछ लोकप्रियता हासिल करें ।

श्री अध्यक्ष—अब समय समाप्त हुआ । अब कल ११ बजे हम फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया । )

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३ मई, १९६२ ।

## नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

### नकल तहरीर हिन्दी

### स्टेशन आफिरसर खलीलाबाद

आज हम सर्वेक्षण हेतु यस० यस चतुर राम राम असरे खलीलाबाद की दुकान पर करीब ३.१५ बजे दिन को पहुंचा लगभग आधा घंटा हमने सर्वे का काम किया । और दुकान पर उपलब्ध बही खातों पर हस्ताक्षर किया । इस फर्म के साझीदार श्री मोतीलाल सर्वेक्षण के समय दुकान पर मौजूद थे । सर्वे कार्रवाई को मैं अपनी सर्वे कार्रवाई की डायरी में नोट किया । मैंने श्री मोती लाल से अपने इस डायरी पर कायदे के मुताबिक उनके द्वारा अनुमानित स्टाक व हस्ताक्षर किये हुये बही के बारे में हस्ताक्षर करने के लिये कहा उन्होंने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हमने उन्हें पुनः समझाया कि उन्हें हस्ताक्षर करना चाहिये क्योंकि यह कायदे के अनुसार है लेकिन उन्होंने जोरदार शब्दों में इन्कार कर दिया जिसे हमने डायरी में नोट कर दिया । सर्वेक्षण के समाय हमें दूकान पर किताब की नकल की एक बही मिली, जिस पर दूकान के अन्दर आये हुये और बाहर गये हुये माल का उल्लेख था मैंने उनसे कहा कि यदि वे इस डायरी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उस बही को जो कि डुप्लीकेट मालूम होती है बिक्री कर दफा के अन्तर्गत बही जब्त (सीज) कर ली जायगी । इस पर वह आग बबूला हो गया और बही को दूकान के अन्दर फेंक दिया जो कि किसी कर्मचारी ने कहीं हटा दिया । श्री मोती लाल हमारे उपर कूद पड़े और बुशसर्ट पकड़ कर खींच लिया । इससे डायरी के ऊपर का पन्ना अलग हो गया । उसने यह भी कहा कि आप २५० रु० के नौकर हैं इतनी वेतन के हमारे यह मुनीम हैं । उसने हमें यह भी धमकाया कि यह खलीलाबाद है यहां से जिन्दा नहीं जायेगा । श्री मोतीलाल ने हमारे सरकारी काम में अड़चन पैदा किया और हम पर हमला किया मैं रिपोर्ट करता हूं कि इस मामले में जांच की जाय और उचित कार्यवाही की जाय। सर्वेक्षण के समय हमारे साथ श्री तमेसर हमारा अर्दली था ।

---

## नत्थी 'ख

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ तथा ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

## १ जून १९६२ से मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को रेहन्ड से बिजली देने की दर

**डिमान्ड चार्ज**

बिल के हिसाब से प्रथम ५०० किलोवाट मांग के लिये १५ रु० प्रति किलोवाट प्रति माह।
उस के आगे की १००० किलोवाट के लिये १२ रु० प्रति किलोवाट प्रति माह ।
१५०० किलोवाट के ऊपर के मांग के लिये १० रु० प्रति किलोवाट प्रति माह ।

धन( plus)

**एनर्जी चार्ज**

प्रति किलोवाट मांग के लिये प्रथम २०० किलोवाट के लिये शुद्ध ४.० नये पैसे
आगे की २०० यूनिट तक के लिये शुद्ध ३.३ नये पैसे ।
बाकी यूनिटों के लिये शुद्ध २५ नये पैसे ।

धन (plus)

इसके अतिरिक्त बिल के हिसाब से देय मूल्य पर ७, १/२ प्रतिशत चार्ज भी लिया जायगा ।

---

# THE MIRZAPUR ELECTRIC SUPPLY COMPANY, LIMITED JABALPORE ROAD, MIRZAPUR

## General Tariffs for the Supply of Electrical Energy

(Effective for Energy Supplied after the date of Meter Reading immediately preceding on March 1, 1962)

The Mirzapur Electric Supply Company Limited.

**1. Low Tension Supply for Domestic, Agricultural and Industrial Purposes.**

(*A*) *Lighting and Fans*, 40 Naya Paise per unit metered less a rebate of 10 nP.

*Wireless sets*, and per unit for payment of bills within 10 days of presentation.

*Motors up to and including* 1/2 *B. H. P.*—Minimum monthly charge exclusive of meter rental Re. 1.

(*B*) *Domestic appliances*—

*Refrigerators, Cookers and Heaters wired on a seperate circuit and metered seperately*)—16 Naya Paise per unit metered.

(*C*) *Cinemas*—23 Naya Paise per unit Metered for a combined supply to Projector, lighting and fans.

(*D*) *Battery Charging—Unrestricted hour use*—23 Naya Paise per unit metered.

**II. General Industrial Tariff for Small Power in excess of Half Horse Power.**

(*A*) *Power on Flat Rate*—

(1) *Restricted hour use*—16 Naya Paise per unit metered.

(2) *Unrestricted hour use*—23 Naya Paise per unit metered.

NOTE—Consumers taking supply under Rates II (A) (1) should not use their appliances between the hours of 17 and 23. Any consumer using energy between the hours of 17 and 23 will be charged the higher rate for the whole year.

(*B*) *Power on two part Tariff*—Rs. 8.25 per K. V. A. of maximum demand per month, *plus* 9.75 Naya Paise per unit metered.

**III. Industrial tariff for H. T. Supply to large consumers (100 K. V. A. and above)**

10 nP. per unit metered.

(i) This rate is subject to a minimum payment for 25 Units per K. V. A. per month.

(ii) The H. T. equipment will be supplied by the consumer.

(iii) A reduction of 2 nP. per unit will be offered if the supply is taken at the licencees Bus Bar in the Power Station.

NOTE—1. Under the industrial Tariffs, should the Power Factor fall below 80 per cent at any time the total charges will be subject to a surcharge of 10 per cent if the power factor is between 80 per cent and 70 per cent and 20 per cent if the power factor is between 70 per cent and 60 per cent. The Company reserves the right to disconnect any consumer where power factor at any time falls below 60 per cent. This clause will not be applicable if the demand is determined on a K. V. A. basis.

2. All rates are subject to any surcharge that may be imposed from time to time with the approval of Government.

3. These rates are subject to revision from time to time under the provisions of the Electricity Supply Act, 1948.

## नत्थी 'ग'

देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न १-२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३८ पर )

### ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में ५५ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के कारण सेवा से निवृत्त हुये सरकारी सचिवालय के अफसरों व कर्मचारियों की तालिका

| क्रमांक | नाम | | पद |
|---|---|---|---|
| १ | श्री रूप चन्द्र, एच० जे० एस० | .. | सचिव, विधान मंडल |
| २ | श्री आर० पी० वर्मा, एच० जे० एस० | | सचिव, विधायिका विभाग |
| ३ | श्री राम स्वरूप मेंहरा | .. | उप सचिव |
| ४ | श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल | .. | उप सचिव |
| ५ | श्री रामेश्वर लाल | .. | अनु सचिव |
| ६ | श्री जगदीश प्रसाद | .. | अनु सचिव |
| ७ | श्री मथुरा दत्त जोशी | .. | अनु सचिव |
| ८ | श्री शिव बोधन मिश्रा | .. | अनु सचिव |
| ९ | श्री राम नारायण कपूर | .. | अनु सचिव |
| १० | श्री एम० ए० मायकिल | .. | सहायक सचिव |
| ११ | श्री हारून अहमद | .. | सहायक सचिव |
| १२ | श्री ए० के० मित्रा | .. | सहायक सचिव |
| १३ | श्री सी० सलदाना | .. | अधीक्षक |
| १४ | श्री वी० एस० सी० बनर्जी | .. | अधीक्षक |
| १५ | श्री जगन्नाथ जोशी | .. | विशेष कार्याधिकारी |
| १६ | श्री महाबीर प्रसाद सक्सेना. | .. | अधीक्षक |
| १७ | श्री हरिहर प्रसाद चतुर्वेदी | .. | वैयक्तिक सहायक |
| १८ | श्री राम सिंह कोतवाल | .. | वयक्तिक सहायक |
| १९ | श्री रघुवीर प्रसाद मिश्रा | .. | वैयक्तिक सहायक |
| २० | श्री जगदीश शरण रस्तोगी | .. | वैयक्तिक सहायक |
| २१ | श्री गोपाल चन्द्र देवा | .. | अधीक्षक |
| २२ | श्री शांति स्वरूप | .. | वैयक्तिक सहायक |
| २३ | श्री किशोरी लाल गुप्त | .. | प्रवर वर्ग सहायक |
| २४ | श्री सैयद इब्न अली जैदी | .. | प्रवर वर्ग सहायक |
| २५ | श्री भगवान दास गुप्त | .. | प्रवर वर्ग सहायक |
| २६ | श्री कृष्णानन्द सक्सेना | .. | प्रवर वर्ग सहायक |
| २७ | श्री श्याम नारायण खरे | .. | प्रवर वर्ग सहायक |

| क्र० | नाम | | पद |
|---|---|---|---|
| २८ | श्री हाफिज अली | .. | प्रवर वर्ग सहायक |
| २९ | श्री नारायण कुलश्रेष्ठ | .. | प्रवर वर्ग सहायक |
| ३० | श्री बद्री प्रसाद त्रिवेदी | .. | अनुवादक |
| ३१ | श्री केशव प्रसाद श्रीवास्तव | .. | आशुलिपिक |
| ३२ | श्री नारायण सिंह राना | .. | आशुलिपिक |
| ३३ | श्री मनमोहन लाल गुप्त | .. | संदर्भ लिपिक |
| ३४ | श्री मोहम्मद सिद्दीक | .. | संदर्भ लिपिक |
| ३५ | श्री सैयद मोहम्मद नवाज अल्वी | .. | संदर्भ लिपिक |
| ३६ | श्री गुर मौज शरण सिन्हा | .. | संदर्भ लिपिक |
| ३७ | श्री उमाशंकर | .. | संदर्भ लिपिक |
| ३८ | श्री अबुल हसन उस्मानी | .. | संदर्भ लिपिक |
| ३९ | श्री गोबरधन दास अग्रवाल | .. | संदर्भ लिपिक |
| ४० | श्री देवी शंकर | .. | केयर टेकर |
| ४१ | श्री गुलाम हस्नैन हैदरी | .. | लघु कोटि लिपिक |

## नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४१ पर)

### पुलिस आयोग की जिन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर आदेश जारी हो गये है उनकी सूची

| क्र० सं० | पैरा नम्बर | | सूची |
|---|---|---|---|
| १ | १८३, २१०, २७४ | | अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के वेतन क्रमों का पुनरीक्षण । |
| २ | ३८, ४१, ४४, ४७, ४९ ५२, ५६ । | | सिविल पुलिस की संख्या में वृद्धि । |
| ३ | २६१ | .. | एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में अश्रु-गैस के दस्तों की स्थापना । |
| ४ | ५८ | .. | आपत्कालीन सशस्त्र रक्षित दल (आर्म्ड इमर्जेन्सी रिजर्व) की संख्या में वृद्धि । |
| ५ | १८७ | .. | इलाहाबाद में सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में आवश्यक कर्मचारियों सहित एक सीनियर पब्लिक प्रासीक्यूटर की नियुक्ति । |
| ६ | २४३ | .. | सब इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस, सहायक लोक अभियोक्ता तथा सब इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस । प्लाटून कमांडर कैडेटों को प्रशिक्षण काल में छात्रवेतन प्रदान करना । |
| ७ | १३४ | .. | राज्य के कुछ नगरों में द्रुतगामी दलों (Flying Squads) की स्थापना । |
| ८ | २७३(४) | .. | राज्य रेडियो अनुभाग के संदेशवाहक कांस्टेबुलों के स्थान पर संदेशवाहक चपरासियों का रखा जाना । |
| ९ | २१६,२२८ | .. | कुछ विशेष वेतनों तथा भत्तों को समाप्त करना तथा कुछ विशेष वेतनों तथा भत्तों की दरों का पुनरीक्षण । |
| १० | १५६ | .. | लखनऊ में एक पूर्णतया सुसज्जित फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना । |

# नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४८ पर)

## उन गजेटेड अधिकारियों की सूची जिन्हें बहराइच जिले में तीन साल से अधिक हो गये तथा उसके विशेष कारण

| नाम | पदनाम | कारण |
|---|---|---|
| श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी .. | जिलाधीश .. | इन अधिकारियों का स्थानान्तरण जनहित में न हो सका। |
| श्री लाल रावणेश्वर सिंह .. | उप मंडलाधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) | |
| श्री त्रिवेणी सिंह .. | डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफिसर । | इन्होंने ५-१२-६१ को तीन वर्ष पूरे किये । साधारण तौर पर गर्मी में ही तबादला होता है अब इनके तबादले का प्रश्न विचाराधीन है । |
| श्री जानकी दत्त पांडे .. | मेडिकल आफिसर लक्ष्मणपुर | इन अधिकारियों का स्थानान्तरण न करने का कारण जन हित है । |
| श्री ब्रजेन्द्र कुमार .. | मेडिकल आफिसर भिन्गा | |
| श्री एस० के० डी० अग्रवाल .. | मेडिकल आफिसर गिलौला | |
| डा० आर० एस० रावल .. | मेडिकल आफिसर पयागपुर | |
| श्री श्याम लाल गुप्त .. | सहायक जिला पंचायत अधिकारी । | नियुक्ति (क) विभाग के आदेश संख्या १०००२/२-क-७२/५८, दिनांक २० अक्तूबर १९६१ के अनुसार विकास कार्यों के हित में सहायक जिला पंचायत अधिकारियों को एक जिले में पांच वर्ष तक रक्खा जा सकता है । |
| श्री एम० एम० लाल मेहरा .. | प्रिंसिपल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय । | इनका स्थानान्तरण १९६१-६२ में एटा को कर दिया गया था परन्तु उनकी स्त्री लखनऊ में सख्त बीमार थीं इस लिये आदेश रद्द कर दिया गया । |
| श्री पी० एल० वर्मा .. | बी० डी० ओ० हुजूरपुर .. | नियोजन (क) विभाग के आदेश संख्या १४०६/३५-ए । |
| श्री आर० बी० राय .. | बी० डी० ओ० जरवल .. | दिनांक जुलाई १३, १९५९ के अनुसार बी० डी० ओ० का एक ब्लाक में स्थानान्तरण पांच वर्ष बाद होता है । |

# नत्थी 'च'

## सूची

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४९ पर)

| फर्म का नाम | स्थिति | उद्योग |
|---|---|---|
| **जिला मिर्जापुर—** | | |
| १—जनरल इन्डस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली । | मिर्जापुर | एलमोनियम रोल्ड प्रोडक्ट्स एन्ड एलमोनियम फाइल्स । |
| २—बी० के० डिलवली, नई दिल्ली, | मिर्जापुर | ए० सी० एस० आर और सब प्रकार के एलमोनियम कन्डक्टर्स । |
| ३—अरुन एलमोनियम के बिल फैक्टरी मिर्जापुर । | मिर्जापुर | ए० सी० एस० आर कन्डक्टर्स |
| ४—हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, बम्बई । | रिहन्द | ए० सी० एस० आर० और सब प्रकार के एलमोनियम कन्डक्टर्स । |
| ५—परताबपुर कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता । | पिपरी | कास्टिक सोडा |
| **जिला इलाहाबाद—** | | |
| १—मैक लिओड एन्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता । | नैनी | वायर रोप्स |
| २—अशोक आइरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज, इलाहाबाद । | इलाहाबाद | स्टील कास्टिंग्स |
| ३—त्रिवेदी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली । | नैनी | इन्डस्ट्रियल मशीनरी |
| ४—देहली क्लाथ एन्ड जनरल मिल्स लिमिटेड दिल्ली । | इलाहाबाद | सुपरफास्फेट्स |
| ५—उत्तर रिफ्रैक्टरीज, इलाहाबाद | इलाहाबाद | फायर ब्रिक्स |
| ६—नवीन इन्जीनियरिंग वर्क्स इलाहबाद । | इलाहाबाद | सी० आई० कास्टिंग्स |
| ७—न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स लिमिटेड इलाहाबाद । | इलाहाबाद | फ्रूट एन्ड वेजीटेबुल प्रोसेसिंग |
| ८—यूनिवर्सल टायर लिमिटेड कलकत्ता । | इलाहाबाद | आटोमोविल टायर्स एन्ड ट्यूब्स |
| **जिला बाराणसी—** | | |
| १—नेशनल इन्जीनियरिंग वर्क्स, वाराणसी । | वाराणसी | इन्डस्ट्रियल मशीनरी |
| २—भारत ऊलन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता । | मुगलसराय | शोडी वूलन यार्न |
| ३—जे० एन० सिंह एन्ड को (प्राईवेट) लिमिटेट, लखनऊ । | रामनगर | पेपर |
| ४—विशुन दयाल केजरीवाल एन्ड सन्स, कानपुर । | वाराणसी | गैस |
| ५—आर्यन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी । | वाराणसी | इलेक्ट्रिक फरनेस |

# नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५० पर)

## जिला देवरिया में १-१-६२ से ३१-३-६२ तक पड़ी डकैतियों का विवरण

| क्र० सं० | स्थान जहां डकैती पड़ी | व्यक्तियों की सं० जिनको इन डकैतियों में जानें गईं | धन की क्षति | चलाये गये मुकदमों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | | रु० | |
| १ | ग्राम हरना डीह थाना बरहज | शून्य .. | ४८६ | शून्य (जांच हो रही है) |
| २ | ग्राम हाटा थाना लार .. | २ व्यक्ति (ग्रामीण) | ८९०३ | ,, ,, |
| ३ | सिरसिया खोहिया थाना तर-कुलवा। | १ व्यक्ति (डकैत) | ५१७ | ,, ,, |
| ४ | माथापार थाना खुखुंदूं .. | शून्य .. | १७५७ | ,, ,, |

विधान सभा

## नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५० पर)

दिनांक ११-३-६२ को विपत हरिजन, निवासी भिखारीपुर, थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी ने लिखित सूचना दी कि उसकी जौ की फसल को ग्राम के राम लखन सिंह तथा ४ अन्य ठाकुरों ने चोरी से कटवा लिया। इस सूचना पर एक मुकदमा धारा ३७९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया तथा थानाध्यक्ष मिर्जामुराद ने इसकी जांच की। जांच से मालूम हुआ कि फसल जिस खेत से काटी गई थी उसे विपत हरिजन के पट्टीदार से श्री रामलखनसिंह के कारपरदाज ठाकुरप्रसाद ने सन् १९५७ में खरीद लिया था। ठाकुर प्रसाद ने कथित फसल को अपनी बताते हुए कटवाया। पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य अपराध न होने के कारण इस मामले की जांच समाप्त कर दी गई। उक्त तारीख को ही विपत हरिजन के पुत्र सुक्खू ने थाने पर लिखित रिपोर्ट दी कि जब उसके पिता थाने पर फसल काटने की रिपोर्ट लिखाने गये थे तो अभियुक्तों ने उसकी दालान फूंक दी। इस सूचना पर एक अन्य मुकदमा धारा ४३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया। जांच से ज्ञात हुआ कि रिपोर्ट झूठी लिखाई गई है। जिस समय ठाकुर प्रसाद सिंह उक्त खेत की फसल कटवा रहे थे तो विपत हरिजन के पुत्र विश्वनाथ ने आवेश में आकर अपनी पुरानी मड़ई स्वयं ही फूंक दी।

---

# नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५४ पर)

## तालिका

| क्रम सं० | चीनी मिल का नाम | १९६०–६१ सीजन के गन्ने के मूल्य पर सूद जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में) | १९६१–६२ सीजन के गन्ने के मूल्य पर सूद जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में) |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | सिम्भौली .. .. | ०.२७ | — |
| २ | मोदीनगर .. .. | — | — |
| ३ | मोहिउद्दीनपुर .. .. | ०.२३ | — |
| ४ | जसवन्त .. .. | ०.५० | — |
| ५ | दौराला .. .. | ०.०१ | — |
| ६ | मवाना .. .. | — | — |
| ७ | सिखौती टांडा .. .. | ०.०९ | — |
| ८ | बागपत .. .. | — | — |
| ९ | बुलन्द .. .. .. | ०.०८ | ०.०७ |
| १० | खतौली .. .. | ०.२३ | ०.०१ |
| ११ | मन्सूरपुर .. .. | ०.८८ | ०.०८ |
| १२ | रोहाना .. .. | ०.५० | ०.२० |
| १३ | शामली .. .. | १.४२ | ०.३२ |
| १४ | सहारनपुर .. .. | ०.५५ | — |
| १५ | देवबन्द .. .. | ०.६२ | — |
| १६ | इकबालपुर .. .. | ०.७५ | — |
| १७ | लक्सर .. .. | — | — |
| १८ | दोइवाला .. .. | — | — |
| १९ | बरेली .. .. | — | — |
| २० | बहेड़ी .. .. | — | ०.१८ |
| २१ | बिजनौर .. .. | ०.४६ | ०.०२ |
| २२ | धामपुर .. .. | ०.०५ | ०.०८ |

| क्र० सं० | चीनी मिल का नाम | १९६०–६१ सीजन के गन्ने के मूल्य पर सूद जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में) | १९६१–६२ सीजन के गन्ने के मूल्य पर दर सूद जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में) |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ३ |
| २३ | सेवहारा .. .. | — | — |
| २४ | काशीपुर .. .. | — | — |
| २५ | बाजपुर .. .. | — | — |
| २६ | रामपुर .. .. | — | — |
| २७ | पीलीभीन .. .. | ०.२८ | — |
| २८ | नेवली .. .. | ०.१३ | — |
| २९ | अमरोहा .. .. | ०.४५ | ०.२६ |
| ३० | बिलारी .. .. | ०.२२ | — |
| ३१ | रोजा .. .. | — | — |
| ३२ | हरगांव .. .. | — | — |
| ३३ | महोली .. .. | ०.०४ | ०.०६ |
| ३४ | बिसवां .. .. | — | — |
| ३५ | बाराबंकी .. .. | — | ०.०१ |
| ३६ | बुढ़वल .. .. | — | — |
| ३७ | गोला .. .. | — | — |
| ३८ | ऐरा .. .. | — | — |
| ३९ | हरदोई .. .. | — | — |
| ४० | बलरामपुर .. .. | ०.०२ | — |
| ४१ | तुलसीपुर .. .. | ०,१७ | — |
| ४२ | जरवल रोड .. .. | ०.६३ | ०.०१ |
| ४३ | नवाबगंज .. .. | ०.३६ | — |
| ४४ | बभनान .. .. | — | — |
| ४५ | खलीलाबाद .. .. | — | — |
| ४६ | मुन्देरवा .. .. | — | ०.०७ |
| ४७ | बस्ती .. .. | — | — |
| ४८ | वाल्टरगंज .. .. | — | — |

| क्र० सं० | चीनी मिल का नाम | १९६०–६१ सीजन के गन्ने के मूल्य पर सूद जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में) | १९६१–६२ सीजन के गन्ने के मूल्य पर शूद जो ३१–३–६२ को शेष था (लाख रु० में) |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ४९ | मसोधा .. .. | ०.१६ | ०.१२ |
| ५० | शाहगंज .. .. | — | — |
| ५१ | पिपराइच .. .. | ०.६९ | ०.२२ |
| ५२ | घुघली .. .. | ०.३२ | ०.११ |
| ५३ | सिसवा बाजार .. .. | ०.०९ | — |
| ५४ | सरदारनगर .. .. | १.१९ | ०.३९ |
| ५५ | आनन्दनगर .. .. | ०.१२ | ०.०१ |
| ५६ | गौरीबाजार .. .. | ०.११ | — |
| ५७ | बैतालपुर .. .. | ०.०५ | — |
| ५८ | देवरिया .. .. | ०.०४ | ०.२५ |
| ५९ | भटनी .. .. | ०.१७ | ०.११ |
| ६० | प्रतापपुर .. .. | ०.०२ | ०.०१ |
| ६१ | छितौनी .. .. | ०.१५ | — |
| ६२ | खड्डा .. .. | ०.०९ | — |
| ६३ | कप्तानगंज .. .. | ०.३३ | — |
| ६४ | लक्ष्मीगंज .. .. | ०.४० | — |
| ६५ | रामकोला (पी) .. .. | — | — |
| ६६ | रामकोला (के) .. .. | ०.९८ | — |
| ६७ | पदरौना .. .. | — | — |
| ६८ | कठकुइयां .. .. | — | — |
| ६९ | सेवराही .. .. | १.०१ | — |
| | योग .. | १४.४१ | २.६१ |

## नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१–७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५६ पर)

## पिंडरा ब्लाक, तहसील व जिला बाराणसी के निवासियों को पानी पीने के कुयें तथा पंप के लिये दिये गये अनुदान का विवरण

| क्रम-संख्या | नाम जिसे अनुदान दिया गया | ग्राम जहां का निवासी है | कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया | अनुदान की रकम (रु० में) |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | | | रु० |
| १ | श्री तूदी राम .. | .. गजारी | कुयें बनाने हेतु | ३४०.०० |
| २ | श्री भोला नाथ मिश्र | .. बाची | .. ,, | २००.०० |
| ३ | श्री जोखन .. | .. गजेन्द्रा | .. ,, | ४३२.०० |
| ४ | श्री मिठाई लाल | .. घोधला | .. ,, | ३००.०० |
| ५ | श्री रजई राम .. | .. रामपुर | .. ,, | २३१.०० |
| ६ | श्री धनी राम .. | .. वसवान | .. ,, | ३२५.०० |
| ७ | श्री बैजनाथ सिंह | .. बाबतपुर | .. ,, | ५००.०० |
| ८ | श्री महादेव सिंह | .. बसाव | .. ,, | ३००.०० |
| ९ | श्री रामराज मिश्र | .. थारी | .. ,, | ३४०.०० |
| १० | श्री बासदेव मिश्र | .. खालिसपुर | .. ,, | ३७५.०० |
| ११ | श्री बलदेव .. | .. रतबारबेगपुर | ,, | २५०.०० |
| १२ | श्री तेराही .. | .. मनी | .. ,, | ३००.०० |
| १३ | श्री बलदेव .. | .. करखीयावान | .. ,, | ३२४.२५ |
| १४ | श्री राम दुलारे .. | .. ,, | ,, | २७५.०० |
| १५ | श्री बलदेव .. | .. रसूलपुर | .. ,, | २९७.०० |
| १६ | श्री सुबेदारसिंह | .. नवादा | .. ,, | ७५०.०० |
| १७ | श्री दुखी .. | .. रतबारबेगपुर | .. ,, | ३००.०० |
| १८ | श्री रहमान .. | .. थाना | .. ,, | ३७०.०० |
| १९ | श्री भोला यादव | .. रामपुर | .. ,, | ३७०.०० |
| २० | श्री राम चरित्र | .. बसन्तपुर | .. ,, | ३००.०० |
| २१ | श्री माधो राम .. | .. गजारी | .. ,, | ३१४.०० |
| २२ | श्री अकलमन्द साह | .. थाना | .. ,, | ६५०.०० |
| २३ | श्री सुमारु .. | .. जगदीशपुर | .. ,, | ३००.०० |
| २४ | श्री दयानाथ .. | .. सुराडी | .. ,, | २५०.०० |
| २५ | श्री चौथी .. | .. थाना | .. ,, | ४०९.५० |
| २६ | श्री सुखराम .. | .. बरौना | .. ,, | २२५.०० |
| २७ | श्री नैरातम .. | .. हिरावनपुर | .. ,, | ४००.०० |
| २८ | श्री दिलेशर .. | .. कलामी | .. ,, | ३००.०० |
| २९ | श्री राम सुमार .. | .. निहालपुर | .. ,, | २७५.०० |
| ३० | श्री सत्यनरायण उपाध्याय | .. दीनदासपुर | .. ,, | ४००.०० |
| ३१ | श्री राजा राम सिंह | .. असबलपुर | .. हैन्ड पम्प | १२५.०० |
| ३२ | श्री झूरी मिश्र .. | .. चकरमा | .. ,, | ७५.०० |

## पिंडरा ब्लाक, तहसील व जिला वाराणसी के निवासियों को खड़न्जा, पशुओं की चरही तथा कम्पोस्ट बनाने के लिये दिये गये अनुदान का विवरण

| क्रम संख्या | नाम जिसे अनुदान दिया गया | ग्राम जहां का का निवासी है | कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया | अनुदान की रकम (रु० में) |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | | | रु० |
| १ | श्री रामराज .. | .. राम नगर .. | पक्की चरही | २५.०० |
| २ | श्री रामनिहोर .. | .. ,, | ,, | २५.०० |
| ३ | श्री विश्वनाथ .. | .. चकरमा .. | ,, | २५.०० |
| ४ | श्री लल्लन मिश्र .. | .. अमौट .. | ,, | ३०.०० |
| ५ | श्री भोधन मिश्र | .. करखियावान .. | ,, | ३०.०० |
| ६ | श्री उमा शंकर .. | .. ,, | ,, | ३०.०० |
| ७ | श्री बैजनाथ .. | .. सराया .. | ,, | ३०.०० |
| ८ | श्री सारनाथ पान्डेय | .. बरौना .. | ,, | ३०.०० |
| ९ | श्री कान्तेश्वरी | .. नदोया .. | ,, | ३०.०० |
| १० | श्री एम० शिवावरत | .. ,, | ,, | ३०.०० |
| ११ | श्री गजाधर .. | .. महागांव .. | ,, | २५.०० |
| १२ | श्री जगविदित .. | .. भानपुर .. | ,, | २५.०० |
| १३ | श्री रामनरायन | .. चिरापुर .. | ,, | ३०.०० |
| १४ | श्री राम मूर्ति सिंह | .. फूलपुर .. | ,, | ३०.०० |
| १५ | श्री गंगा प्रसाद पान्डेय | .. दुर्दिलपुर .. | कम्पोस्टपिट | ४०.०० |
| १६ | श्री भगेलू सिंह .. | .. झाझौर .. | ,, | १००.०० |
| १७ | श्री ईजाज़ अहमद खान | .. पिंडरा .. | ,, | २००.०० |
| १८ | श्री राम दुलारे सिंह | .. जगदीशपुर .. | ,, | १२५.०० |
| १९ | श्री सोभानाथ सिंह | .. ,, | ,, | १२५.०० |
| २० | श्री उमराव सिंह | .. ,, | ,, | १२५.०० |
| २१ | श्री मारकन्डेसिंह | .. ,, | ,, | १२५.०० |
| २२ | श्री राम नरेश राम | .. भटपुरवा .. | ,, | ५०.०० |
| २३ | श्री रामफेर सिंह .. | .. मनी .. | खड़ंजा | ६००.०० |
| २४ | श्री मटरू सिंह | .. मगरी .. | ,, | ३,४६८.०० |
| २५ | श्री राम नरायण सिंह | .. असबलपुर .. | ,, | १,२१७.०० |
| २६ | श्री मेवा लाल .. | .. सिन्धोरा .. | ,, | ३,३५०,०० |
| २७ | श्री गिरजा सिंह | .. हीरामनपुर .. | ,, | ४००.०० |
| २८ | श्री अक्लमन्द शाह | .. थाना .. | ,, | ११०३.२५ |
| २९ | श्री भवनाथ शर्मा | .. सुराही .. | ,, | ३६०.०० |

# नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५८ पर ।)

## सूची

जो उत्तर के साथ संलग्न है

| संख्या | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| १ | श्री रेवती रमण माथुर .. | .. जिलाधीश |
| २ | श्री केशव चन्द्र मिश्र .. | .. तहसीलदार |
| ३ | श्री जगन्नाथ अरोरा .. | .. चकबन्दी अधिकारी |
| ४ | श्री कृष्ण मोहन सहाय .. | .. चकबन्दी अधिकारी |
| ५ | श्री जितेन्द्र प्रकाश अग्रवाल | .. अधिशासी अभियंता |
| ६ | श्री जय सिंह .. | .. सहायक अभियंता |
| ७ | श्री अख्तर हुसैन .. | .. प्रधान अध्यापक |
| ८ | श्री अमृत लाल .. | .. बी० डी० ओ० |
| ९ | श्री शीतल प्रसाद जैन मित्तल | .. बी० डी० ओ० |
| १० | श्री रबीन्द्र सिंह राठौर | .. बी० डी० ओ० |
| ११ | श्री अजब सिंह .. | .. बी० डी० ओ० |
| १२ | डाक्टर एन० डी० बहुगुणा | .. मेडिकल आफिसर |
| १३ | डाक्टर जी० एस० त्यागी .. | .. मेडिकल आफिसर |
| १४ | डाक्टर डी० एस० शुक्ल .. | .. मेडिकल आफिसर |

## नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५८ पर।)

| क्रम-सं० | थाने का नाम | वर्ष | कत्ल की संख्या | बलबों की संख्या | चोरियों की संख्या | नक़ब-जनी की सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | कोतवाली ... .. | १९६१ | ३ | १२ | १३४ | ८२ |
| | | १९६२ | .. | १ | ५४ | २७ |
| २ | अयोध्या .. .. | १९६१ | १ | ३ | ५७ | ४८ |
| | | १९६२ | .. | .. | १२ | १३ |
| ३ | केन्टोन्मेन्ट .. | १९६१ | .. | ३ | १८ | ८ |
| | | १९६२ | .. | .. | १३ | .. |
| ४ | रौनाही .. .. | १९६१ | २ | ११ | ३० | २७ |
| | | १९६२ | .. | ७ | ७ | ९ |
| ५ | इनायतनगर .. | १९६१ | ७ | ९ | ६१ | ५५ |
| | | १९६२ | १ | ४ | १२ | २१ |
| ६ | पूराकलन्दर .. .. | १९६१ | .. | ४ | ३० | ६० |
| | | १९६२ | .. | २ | ८ | ७ |
| ७ | बीकापुर .. .. | १९६१ | ३ | ११ | ४० | ५७ |
| | | १९६२ | १ | ४ | १० | १० |
| ८ | हैदरगंज .. .. | १९६१ | ३ | १० | १८ | २४ |
| | | १९६२ | .. | ३ | ९ | ५ |
| ९ | महाराजगंज .. | १९६१ | .. | १३ | २२ | १८ |
| | | १९६२ | .. | १ | ८ | २ |
| १० | गोसाइंगंज .. | १९६१ | ३ | १० | ३५ | २० |
| | | १९६२ | .. | १ | १५ | ७ |
| ११ | अकबरपुर .. .. | १९६१ | २ | ६ | १९ | २५ |
| | | १९६२ | .. | २ | ९ | ८ |
| १२ | टांडा .. .. | १९६१ | २ | १० | ३९ | ४६ |
| | | १९६२ | १ | ५ | २० | १७ |
| १३ | बासखारी .. .. | १९६१ | .. | ११ | ४२ | ३५ |
| | | १९६२ | .. | ७ | २४ | १४ |
| १४ | जहांगीरगंज .. | १९६१ | २ | ९ | २२ | ४४ |
| | | १९६२ | .. | ५ | ४ | १२ |
| १५ | जलालपुर .. | १९६१ | २ | ९ | ४४ | ३८ |
| | | १९६२ | .. | ६ | १२ | ८ |
| | योग .. | | ३३ | १७९ | ८२८ | ७४७ |

## नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८० का उत्तर पीछे पृष्ट ७५८ पर ।)

### फतेहपुर जिले के थानों में १–४–६१ से ३१–३–६२ तक की अवधि में अदालत भेजे जाने तथा छूटने वाले मुकदमों के विवरण

| नाम थाना | मुकदमें अदालत भेजे गए | मुकदमें छूटे |
|---|---|---|
| कोतवाली .. .. .. .. | १०१ | २४ |
| विन्दकी .. .. .. .. | १२० | ३१ |
| जहानाबाद .. .. .. .. | ६६ | १३ |
| ललौली .. .. .. .. | ३० | ५ |
| चांदपुर .. .. .. .. | ५२ | १२ |
| कल्यानपुर .. .. .. .. | ७९ | २१ |
| हथगांव .. .. .. .. | ८१ | १९ |
| थरियांव .. .. .. .. | ६५ | २५ |
| खगा .. .. .. .. | ६९ | २५ |
| किशनपुर .. .. .. .. | ४४ | १४ |
| खखरेरू .. .. .. .. | ५७ | १२ |
| गाजीपुर .. .. .. .. | ५१ | १६ |
| हुसेनगंज .. .. .. .. | ६२ | १७ |
| कुल योग .. | ८७७ | २३४ |

### फतेहपुर जिले के थानों में १–४–६२ से २६–४–६२ तक की अवधि में अदालत भेजे जाने तथा छूटने वाले मुकदमों तक की सूची

| नाम थाना | मुकदमें अदालत भेजे गये | मुकदमें छूट |
|---|---|---|
| कोतवाली .. .. .. .. | ८ | २ |
| विन्दकी .. .. .. .. | ११ | ६ |
| जहानाबाद .. .. .. .. | ३ | .. |
| ललौली .. .. .. .. | १५ | १ |
| चांदपुर .. .. .. .. | २२ | .. |
| कल्यानपुर .. .. .. .. | २९ | २ |
| हथगांव .. .. .. .. | ६ | .. |
| थरियांव .. .. .. .. | २ | १ |
| खगा .. .. .. .. | १ | १ |
| किशनपुर .. .. .. .. | ३ | २ |
| खखरेरू .. .. .. .. | ८ | ३ |
| गाजीपुर .. .. .. .. | २ | १ |
| हुसेनगंज .. .. .. .. | २२ | १ |
| कुल योग .. | १३२ | २० |

# नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५९ पर)

## १ जनवरी, १९६२ के २७ मार्च, १९६२ तक कानपुर के अनेक थानेदारों के के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

| क्रम-संख्या | थाने का नाम | थानेदार का नाम | शिकायत क्या थी | क्या कार्यवाही हुई |
|---|---|---|---|---|
| १ | सिकन्द्रा | श्री हरनाम सिंह, एस० ओ० | सही मुलजिमानों को २५०)रु० लेकर छोड़ दिया। | उप पुलिस अधीक्षक परिवाद द्वारा जांच जारी है। |
| २ | मोगनीपुर | श्री देवेन्द्रसिंह, स० इ० दोयम | बाबत गलत गिरफ्तार करके बन्द कर देना | सर्किल अफसर द्वारा जांच की गई और सही नहीं पाये गए। |
| ३ | ,, | ,, ,, | थाने ले जाकर झूठा बन्द करना | सर्किल इन्सपेक्टर ने जांच की, आरोप सही नहीं पाया गया। |
| ४ | ,, | ,, ,, | झूठे चालान करना | सर्किल अफसर ने जांच की आरोप सिद्ध नहीं हुए। |
| ५ | नर्वल | श्री जे० यन० चतुर्वेदी एस० ओ० | बावत झूठा चालान धारा १०७/११७ जा० फौ० | सर्किल अफसर ने जांच की आरोप सिद्ध नहीं हुए। |
| ६ | ,, | (१) ,, (२) श्री सी० यल० गौतम स० इ० दोयम | बादमाशों को पनाह देना | ,, |
| ७ | बिल्हौर | श्री जय करनसिंह स० इ० दोयम | प्रार्थी के लड़के को बेगुनाह मारपीट करना। | सर्किल अफसर द्वारा जांच की गई आरोप सही नहीं पाया गया। |
| ८ | घाटमपुर | श्री शिवविजय सिंह एस० ओ० | रिपोर्ट थाने पर न लिखना | सर्किल अफसर जांच कर रहे है। |
| ९ | ,, | ,, ,, | थाने ले जाकर झूठे चालान करना। | सर्किल अफसर ने जांच की। आरोप सही नहीं पाये गये। |
| १० | ,, | श्री बाबूराम स० ई० सी० पी० | गलत गिरफ्तार करके बन्द करना। | उर पुलिस अधीक्षक परिवाद ने जांच की आरोप गलत पाये गए। |

| क्रम-संख्या | थाने का नाम | थानेदार का नाम | शिकायत क्या थी | क्या कार्यवाही हुई |
|---|---|---|---|---|
| ११— | घाटमपुर | श्री बाबूराम एस० ई० सी० पी० | डरा धमका कर गलत रिपोर्ट लिखवाना । | शासन द्वारा प्रार्थी का पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु आई० जी० पुलिस इलाहाबाद को भेज दिया था उन्होंने एस० एस० पी०, कानपुर को भजा जांच से आरोप असत्य पाए गए । |
| १२— | मूसानगर | श्री विन्दावन प्रकाश | बदमाशों को पनाह देना रिश्वत लेना | सर्किल अफसर द्वारा जांच की गई आरोप सिद्ध नहीं हुए । |
| १३— | ,, | ,, | थाने पर रिपोर्ट न लिखना | एस० ओ० मूसानगर द्वारा जांच जारी है |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६७ एल० ए०—१९६२—८४५ ।